लोक सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र
Second Session]

Preservation Unit
Fumigated
On 4-8-92
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 2 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. II contains Nos. 1 to 10]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 2, मंगलवार, 25 मई, 1971/4ज्येष्ठ 1893 (शक)

No. 2, Tuesday, May 25, 1971/Jyaistha 4, 1893

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
31	मताधिकार की आयु कम करने के लिये संविधान में संशोधन	Amendment of Constitution to Lower the Age of Franchise.	1-2
34	उद्योगों की अप्रयुक्त क्षमता	Idle capacity in Industries	3-6
35	अफ्रीकी एशियाई सम्मेलन	Afro Asian Conference	6-8
36	पश्चिम बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में विद्युतिकरण की धीमी प्रगति	Slow progress of Electrification in West Bengal, Bihar and Orissa	8-11
37	सियालदेह डिवीजन (पूर्व रेलवे) में स्थानीय यात्री गाड़ियों का बार बार रद्द किया जाना	Frequent Cancellation of Local Passenger Trains in Sealdah Division (Eastern Railway)	11-13
38	औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में ग्रामीण योजनायें	Rural Schemes in Industrially Backward Areas	13-14
39	सरकारी क्षेत्र में विदेशी सहयोग से स्कूटर के कारखाने की स्थापना	Setting up of Scooter Plant in Public Sector with Foreign Collaboration	16-17
46	स्कूटरों की माँग तथा लायसेंस क्षमता	Demand and Licensed Capacity of Scooters	17-18
49	सरकारी क्षेत्र में स्कूटरैट कारखाने की स्थापना	Setting up of Public Sector Scooterette Project	18-20
59	पिछड़े क्षेत्र का औद्योगीकरण करने सम्बन्धी नीति	Policy for Industrialisation of Backward Areas	14-16

प्रश्नों के लिखित उत्तर — Written Answers to Questions

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
32	प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन (उत्तर रेलवे) पर रेलवे कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Railway Employees at Partapgarh Railway Station (Norther Railway)	21

किसी नाम पर अंकित + यह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० सं० S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
33	गोहाना-पानीपत रेलवे लाइन (उत्तर रेलवे) का पुनः चलाया जाना	Restoration of Gobana-Panipat Railway Line (Northern Railway)	21-22
40	समस्तीपुर डिवीजन (पूर्वोत्तर रेलवे) में अपराधों में वृद्धि	Increase in crime in Samastipur Division (North Eastern Railway)	22
41	सीमेंट के नये कारखाने स्थापित करने के सम्बन्ध में विचाराधीन पड़े प्रार्थनापत्र	Pending Applications for Setting up of New Cement Factories	22
42	मीटरगेज लाइनों का बड़ी लाइनों में बदला जाना	Conversion of Métre Gauge into Broad Guage Tracks	23
43	उत्तर प्रदेश में टनकपुर से बागेश्वर तक रेलवे लाइन का बिछाना	Laying of Railway line from Tanakpur to Bageshwar in Uttar Pradesh	24
44	ग्रामीण उद्योगों के लिए योजनायें	Schemes for Rural Industries	24
45	दक्षिण रेलवे में गाड़ियों के भोजन यानों में खराब किस्म का भोजन सप्लाई करने के बारे में शिकायतें	Complaint regarding supply of Bad quality food in dining cars on Southern Railway	25
47	कावेरी जल विवाद के सम्बन्ध में निर्णय	Decision on Cauvery Water Dispute	25
48	उद्योगों के लिए आशय पत्र जारी करना	Issue of Letters of Intent for Industries	25
50	कोचीन-मंगलोर तथा कोचीन-मद्रास के बीच एक्सप्रेस गाड़ियाँ	Express Trains between Cochin and Mangalore and Cochin and Madras	26
51	फतवाह इस्लामपुर लाइट रेलवे और आरा-सासाराम लाइट रेलवे के बन्द किये जाने के सम्बन्ध में ज्ञापन	Memorandum on the Closure of Futwah Islampur Light Railway and Arrah Sassaram Light Railway	26-27
52	संविधान के अनुच्छेद 31 में संशोधन	Amendment of Article 31 of the Constitution	27
53	कलकत्ता के लिये भूमिगत रेलवे सम्बन्धी परियोजना प्रतिवेदन	Project Report for Calcutta Underground Railway	27-28
54	बाटा शू कम्पनी, कलकत्ता का बन्द होना	Closure of Bata Shoe Company, Calcutta	28
55	प्रभावशाली सिंचाई के लिये उत्तर में गंगा और दक्षिण में कावेरी को मिलाना	Linking of Ganges in North and Couvery in South for effective Irrigation	28-29
56	बिड़ला बन्धुओं की कम्पनियों चे बारे में जाँच	Enquiry against Birla Group of Companies	29
57	मार्च, 1971 में मुख्य चुनाव अधिकारियों का दिल्ली में हुआ सम्मेलन	Conference of Chief Electoral Officers held at Delhi during March, 1971	29-30

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages

ता० प्र० सं०
S. Q. Nos.

58 टेलीफोन केब्लों की कमी	Shortage of Telephone Cables	30-31
60 पश्चिमी कोसी नहर का नेपाल के क्षेत्र में मार्ग निर्धारण करना	Alignment of Western Kosi Canal in Nepalese Territory	31

अतारांकित प्रश्न संख्या
U. S. Q. Nos.

136 असम में सरकारी क्षेत्र में पेपर पल्पस मिलों की स्थापना	Setting up of Paper Pulp Mills in Assam in Public Sector	31-32
137 न्यू बोनगायगाँव जोगीघोप्पा से गोहाटी तक बड़ी लाइन का विस्तार	Extension of Broad Gauge Line from New Bongaigaon/Jogighopa to Gauhati	32
138 ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण आयोग द्वारा बनाई गई योजना	Plan Drawn by Brahmaputra Flood Control Commission	32-33
139 वर्ष 1971-72 में ग्रामों का विद्युतिकरण	Rural Electrification during 1971-72	33
140 उत्तर गुजरात में सरकारी क्षेत्र परियोजना	Public Sector Project in North Gujarat	33-34
141 त्रिवेन्द्रम कन्याकुमारी रेलवे लाइन का सर्वेक्षण	Survey of Trivendrum Kanyakumari Railway Line	34
142 औद्योगिक उपक्रमों का लायसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक विस्तार	Production by Industrial Concerns beyond Licensed Capacity	34-35
143 शाहदरा सहारनपुर लाइट रेल्वे का सरकार द्वारा अपने हाथ में लेना और चालू करना	Taking over and Running of Old Shahdara Saharanpur Railway Line	35
144 कार बनाने वाले कारखानों के कार्यकरण की जाँच	Inquiry into Working of Car Manufacturing Units	35-36
145 गुड़गाँव के निकट छोटी कार परियोजना के लिये भूमि का अर्जित किया जाना	Acquisition of Land for Small Car Project near Gurgaon	36
146 पौड़ी-गढवाल (उत्तर प्रदेश) में उद्योग	Indistries in Pauri Garhwal (U.P.)	36
147 अलकनंदा में बाढ़ आने के कारण हुई सम्पत्ति की हानि तथा सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता	Loss of property owing to Floods in Alkananda and Financial Assistance given by Government	37
148 औद्योगिक लायसेंसों के लिये तमिल नाडु से प्राप्त आवेदन पत्र	Applications received from Tamil Nadu for Industrial Licences	37
149 बिजली मितव्ययिता समिति की सिफारिशें	Recommendations of Committee on Power Economy	38

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
150	कार मूल्य संबंधी आयोग का प्रतिवेदन	Report of Commission on Car Prices	38-39
151	भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडलों के संघ की नई दिल्ली में बैठक	Meeting of Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry at New Delhi	39
152	निर्वाचन नियमों में संशोधन	Amendment of Election Law	39
153	पश्चिम बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में तापीय बिजली केन्द्रों का स्थापित किया जाना	Setting up of Thermal Power Station in West Bengal, Bihar and Orissa	40
154	लाभ बटवारा बोनस के भुगतान के सम्बन्ध में हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, रूपनारायणपुर, (पश्चिम बंगाल) में विवाद	Dispute in Hindustan Cables Ltd., Rupnarainpur (West Bengal) on payment of Profit Sharing bonus	40
155	कोयला खानों को माल डिब्बों का वितरण करने में भ्रष्टाचार	Complaints regarding corruption in distribution of Wagons to Coal Mines	41
156	आसनसोल और झरिया कोयला खानों के कोयले को हटाने के लिये कोयला खानों को माल डिब्बों की सप्लाई	Supply of Wagons to Coal Mines in Asansol and Jharia to clear Accumulation of Coal	41-42
157	रेलवे बोर्ड के प्रमुख खनन सलाहकार के अधीन लोको निरीक्षण संगठन के कर्मचारियों को स्थायी करना	Confirmation of staff of Loco Inspection Organisation under Chief Mining Adviser, Railway Board	42
158	भारत में निर्मित कारों के ऊंचे मूल्य	Higher cost of Motor Cars Manufactured in India	43
159	उत्तर प्रदेश को दूसरे राज्यों से बिजली की आवश्यकता	Power required by Uttar Pradesh from other States	43
160	छोटी कार परियोजना	Small Car Project	43-44
161	उद्योगों में किस्म नियंत्रण	Quality Control in Industries	44-45
162	सम्पत्ति अधिकार समाप्त करने के लिये संविधान में संशोधन	Amendment of Constitution to take away Property Right	45
163	कलकत्ता, हावड़ा तठा आसनसोल के निकटवर्ती क्षेत्रों में माल डिब्बों को तोड़ने तथा लूटने की घटनाओं में वृद्धि	Increase in incidents of breaking and looting of wagons around Calcutta, Howrah, and Asansol	45-47
164	इंजीनियरिंग उद्योगों की अधिष्ठापित क्षमता का पूर्ण उपयोग	Full utilisation of installed capacity of Engineering Industries	47

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
165	दोषपूर्ण मतपत्र	Defective Ballot Papers	47-48
166	प्रमुख उद्योगों की समस्याओं की जाँच करने के लिये विशेषज्ञ समिति	Expert Committee to go into Problems of Key Industries	48
167	थुम्बा केन्द्र के समीप लघु उद्योगों की स्थापना	Settingup of Small Scale Industries near Thumba Station	48
168	खाद्य तथा ग्राम उद्योगों में पूंजी निवेश	Investment in Khadi and Village Industries	48-49
169	छोटी रेलवे (लाइट रेलवे) को बन्द करना	Closure of Light Railways	
170	अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में विद्युतिकरण प्रतिशतता का कम होना	Percentage of electrification low in U.P. in comparison to other states	49-50
171	उत्तर प्रदेश में नई रेलवे लाइनें	New Railway Lines in Uttar Pradesh	50
172	मुरादाबाद से काठगोदाम को बड़ी रेलवे लाइन	Broad Gauge Railway Line from Moradabad to Kathgodam	50
173	मत पत्रों की जाँच सम्बन्धी नियमों में परिवर्तन	Changes in the Rules on Poll Papers Inspection	51
174	बुलन्दशहर से दिल्ली के लिये सीधी रेल गाड़ी	Direct Train from Bulandshahr to Delhi	51
175	वर्ष 1970-71 के दौरान खुर्जा रेलवे स्टेशन पर हुई रेलवे दुर्घटनाएँ	Railway Accidents occurred at Khurja Railway Station during 1970-71	51
176	पूर्वी रेलवे चिकित्सा विभाग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के लिये आरक्षण	Reservation of Posts for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Eeastern Railway Medical Department	51-52
177	सरकारी क्षेत्र में इटली के सहयोग से स्कूटरों का निर्माण	Manufacture of Scooters with Italian Collaboration in Public Sector	52
178	भारतीय रेलवे में घेरावों के कारण रेलवे को हुई हानि	Losss to Railways due to Gheraos on Indian Railways	52
180	होशंगाबाद मध्य प्रदेश में सीमेंट के कारखाने की स्थापना	Setting up of Cement Plant in Hoshangabad (M.P.)	52-23
181	लाइसेंस प्राप्त कुलियों की शिकायतों तथा उनकी कार्य स्थिति की जाँच करने सम्बन्धी आयोग	Commission to inquire into the Grievances and working Condition of Licensed Porters	53-54
182	अमरीकी ढंग से ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये कोआपरेटिव इलैक्ट्रिसिटी सोसायटी बनाने का प्रस्ताव	Proposal to Constitute a co-operative Electricity Committee for Rural Electrification on American Pattern	54-55

विषय अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.		Subject	पृष्ठ/Pages
183	पंजाब में शल्य उपकरण उद्योग की उपेक्षा	Neglect of Surgical Instrument Industry in Punjab	55
184	कुट्टिप्पुरम से गुरुवायूर तक नई रेलवे लाइन	New Railway Line from Kuttipuram to Guruvayoor	55
185	त्रिचूर से जूता निर्माण प्रशिक्षण केन्द्र का विकास	Development of Footwear Training Centre in Trichur	55-56
186	केरल के बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को दी गई ऋण सुविधाओं के बारे में शिकायत	Complaint regarding credit facilities tc small scale industries in Kerala by Banks	56
187	केरल द्वारा वृहद सिंचाई कार्यों के लिये और अधिक केन्द्रीय सहायता की माँग	Demand by Kerala for more Central help for their major irrigation works	56
188	मध्यावधि चुनाव के पश्चात् पश्चिम बंगाल में औद्योगिक उत्पादन	Industrial production in West Bengal after mid term poll	57
189	डुब्डा बेसिन जल निकासी योजना के लिये टेन्डर	Tender for Dubda Basin drainage Scheme	58
190	तामिलनाडु में नये उद्योग स्थापित करने हेतु लायसेंस जारी करना	Issue of Licences for setting up of new industries in Tamil Nadu	58-59
191	बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन (पूर्व रेलवे) पर बेकार पड़ा वाटर कूलर	Water Cooler at Bakhtiyarpur Railway Station (Eastern Railway) lying Idle	60
192	ब्रिटेनिया कम्पनी के विरुद्ध जाँच	Inquiry against Britannia Company	60
193	बड़ी कम्पनियों को लायसेंसों का जारी किया जाना	Issue of Licences to Big Companies	60-62
194	औद्योगिक उत्पादन की विकास दर	Growth Rate of Industrial Production	62
195	औद्योगिक विकास मंत्रालय के अधीन कार्य कर रही सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के कार्य-परिणाम	Working Results of Public Sector Projects under Ministry of Industrial Development	63-64
196	चतुर्थ योजना में ग्रामीण क्षेत्रों का विद्युतीकरण करने सम्बन्धी योजना	Scheme for Rural Electrification for the Fourth Plan	64
197	रेलों द्वारा भुगतान किये गये दावे	Claims paid by Railways	64-66
198	पश्चिमी तथा पूर्वी कामला नहरों को काम में लाया जाना जिनका काम 'किंग्स' नहर के निकट रैगुलेटर के पूरी तरह न बनने के कार रुक गया था	Utilisation of Western and Eastern Kamla Canals haQpered due to non-completion of Regulators near King's Canal	67

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.			
199	बरौनी के गरहरा क्षेत्र के रेलवे कर्मचारियों के लिये परियोजना भत्ता	Project Allowance to Railway Workers of Barauni Garhara Area	67-68
200	उत्तर बिहार, बिहार और भारत में विद्युत शक्ति की तुलनात्मक खपत	Comparative consumption of Power in North Bihar, Bihar and India	68-69
201	अशोक पेपर मिल्स लि., दरभंगा की स्थिति में सुधार और उसमें उत्पादन	Rehabilitation of Ashok Paper Mills Ltd. Darbhanga	69
202	चम्पा और बड़ाद्वार स्टेशन (दक्षिण पूर्व रेलवे) के बीच बम्बई हावड़ा एक्सप्रेस में आग लग जाना	Fire in Bombay Howrah Express Train between Champa and Baraduar (South Eastern Railway)	70
205	बिजली का सामान कम होने के कारण राज्य बिजली बोर्डों की अपने वचन पूरे करने में असमर्थता	Inability of State Electricity Boards to discharge their Commitments due to shortage of Electric Material	70-72
206	औद्योगिक विकास मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी कर्मचारी	Government Servants in Public Sector Undertakings under Ministry of Industrial Development	72
207	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड को हुई हानि	Loss sustained by N.P.C.C. Ltd.	73
208	कतकू बाँध परियोजना की प्रगति	Progress of Kutkoo Dam Project Bihar	73
209	बिहार के तलैया बाँध परियोजना में प्रगति	Progress of Tilayya Dam Project Bihar	74
210	हजारी बाग (बिहार) में कागज मिल का स्थापित किया जाना	Setting up of Paper Mill in Hazaribagh (Bihar)	74
211	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम तथा हिन्दुस्तान स्टील वाशरी के लिये माल डिब्बों की कमी	Shortage of Wagons for NCDC and Hindustan Steel Washery	74-75
212	अमरीका के सहयोग से स्थापित औद्योगिक कम्पनियाँ	Industrial Concerns with American Collaboration	75
213	उड़ीसा में नई रेलगाड़ियों का चालू किया जाना	Introduction of New Trains in Orissa	75
214	तलचेर शाला लाइन (दक्षिण पूर्व रेलवे) पर बुधपंका में हाल्ट की व्यवस्था	Opening of a Halt at Budhapanka, Talchar Branch Line (South Eastern Railway)	75-76
215	वर्ष 1971-72 के दौरान मैसूर राज्य में स्थापित किये जाने वाली सिंचाई परियोजनायें	Irrigation Projects to be set up during 1971-72 in Mysore State	76

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
216	राजस्थान नहर की सिंचाई क्षमता का उपयोग न किया जाना	Non-Utilisation of Irrigation Potential created by Rajasthan Canal	76-77
218	सरकारी क्षेत्र में उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण	Manufacture of consumer goods in Public Sector	77
219	कारों की गिरती हुई किस्म	Deteriorating Quality of Cars	77-78
220	भाखड़ा बिजली घर में संकट	Crisis in Bhakra Power Station	78-79
221	जबलपुर (मध्यप्रदेश) में छोटी कार परियोजना की स्थापना किये जाने की माँग	Demand for Locating Small Car Project in Jabalpur M.P.	79
222	वाणिज्यिक तथा औद्योगिक उद्यमों के लिए लायसेंस जारी किया जाना	Issue of Licences for Commercial and Industries Enterprises	79-80
223	लघु उद्योगों को विश्व बैंक से वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Small Scale Industries from World Bank	80
224	राजस्थान नहर परियोजना का पूरा होना	Rajasthan Canal Project	80
225	कानपुर बम्बई के मध्य रेलगाड़ी चालू करना	Running of a Train between Kanpur and Bombay	81
226	कलकत्ता जाने वाली 'कोल-फील्ड एक्सप्रेस' रेलगाड़ी का पानागढ़ स्टेशन पर रुकना	Halt of Calcutta Bound Coal Field Express Train at Panagarh Station	81
227	मालदा टाऊन रेलवे स्टेशन और सामसी रेलवे स्टेशन स्थित "वे स्टालों" तथा दुकानों को नष्ट करना और उन्हें वहाँ से हटाना	Destruction and Removal of Waystalls and shops at Malda Town and Samsi Stations	81-82
228	राष्ट्रपति शासन के दौरान पश्चिम बंगाल में उद्योगों का बन्द किया जाना	Closure of Industries in West Bengal during President's Rule	82-83
229	1 अप तथा 2 डाऊन दिल्ली-कालका-हावड़ा मेल का हजारीबाग स्टेशन पर रोका जाना	Stopping of 1-UP and 2-Down Delhi-Kalka-Howrah Mail at Hazaribagh	83
230	कावेरी जल विवाद	Cauvery Water Dispute	84
231	सिंचाई आदि के लिये मैसूर, केरल और तमिलनाडु के लिये विशेष ऋणों की स्वीकृति	Sanction of Special loans to Mysore, Kerala and Tamil Nadu for Irrigation etc.	84-85
232	चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन तथा विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आनुपाती प्रतिनिधित्व	Delimitation of Constituencies and proportional representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Assemblies	86

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
233	तमिलनाडु और मैसूर के बीच कावेरी जल विवाद सम्बन्धी समझौता सूत्र	Compromise Formula on the Cauvery Water Dispute between Tamil Nadu and Mysore	86
234	मैसूर राज्य में हेमवती, काबिनो और हरंगी परियोजनाओं की मंजूरी	Clearance to Hemavathi, Kabini and Harangi Projects in Mysore State	87
235	छोटी कार परियोजना को चौथी योजना में सम्मिलित करने हेतु योजना आयोग का अनुमोदन	Approval of Planning Commission for inclusion of small car project in Fourth Plan	87
236	देश में आने वाली बाढ़ों के सम्बन्ध में वैज्ञानिक विश्लेषण	Scientific analysis of the Incidence of Floods in the country	88
237	तमिलनाडु में लघु उद्योगों को ऋण	Loan to Small Scale Industries in Tamil Nadu	88-89
239	तमिलनाडु में औद्योगिक उपक्रमों को लाइसेंस तथा आशय पत्र जारी किया जाना	Issue of Licences and Letters of Intent to Industrial Undertaking in Tamil Nadu	89
240	गैर सरकारी उद्योग में अनुसंधान तथा डिजाइन कार्य	Research and Design Activities in Private Sector Industry	89-90
241	इंजीनियरी सामान का उत्पादन	Production of Engineering goods	90
242	गंगा नदी द्वारा पटना, गया, शाहाबाद, मुंगेर तथा भागलपुर जिलों की भूमि की सिंचाई की योजना	Scheme for Irrigation of Land in Patna, Gaya Sahabad, Monghyr and Bhagalpur Districts from Ganga River	90-91
243	धनबाद प्रभाग (पूर्वी रेलवे) के हड़ताल करने वाले कर्मचारियों चे विरुद्ध कार्यवाही	Action against Employees of Dhanbad Division (Eastern Railway) who went on Strike	91-92
244	मध्य प्रदेश में सोन नदी पर बाँध का निर्माण के सम्बन्ध में विधान सभा का संकल्प	Resolution by Bihar Legislative A Assembly against construction of Barrage at Son River in Madhya Pradesh	92
245	भारतीय रेलों में मिला दी गई भूतपूर्व रियासतों की रेलों की बकाया राशि के भुगतान के बारे में अंतिम रूप दिया जाना	Finalisation of Balances of Ex-State Railways Merged with Indian Railways	92
246	काकोसी और भिल्डी (पश्चिम रेलवे) के बीच रेलवे लाइन	Rail Link, between Kakosi and Bhildi (Western Railway)	93
247	तीसरी तथा चौथी श्रेणी के पदों के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवार	Scheduled Castes and Scheduled Tribes for Class III and IV Posts	93

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ
248	सशस्त्र डाकुओं द्वारा पसराहा और नारायणपुर (पूर्वोत्तर रेलवे) के बीच एक गाड़ी के यात्रियों का लूटा जाना	Looting of Passengers of a train by Armed dacoits between Pasraha and Narayanpur (North Eastern Railway)	94
249	जकार्ता के प्रतिनिधिमंडल द्वारा रेल उपकरणों की खरीद	Purchase of Rail Equipments by a Delegation from Jakarta	94-95
250	राजस्थान में केन्द्रीय परियोजनाओं की स्थापना	Setting up of Central-Projects in Rajasthan	95
251	भ्रष्टाचार कम करने हेतु ग्यारह सूत्री कार्यक्रम को जारी रखना	Continuance of 11 Point Programme for Elimination of Corruption	95
252	मुगलसराय में होने वाली चोरियों को रोकने के लिये नियुक्त स्वयंसेवक	Volunteers engaged for the stoppage of Thefts at Mughal Sarai	96
253	पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिये उद्योगपतियों को सहायता	Assistance to Industrialists for Setting up Industries in Backward areas	96-97
254	मतपत्रों की जाँच करने के लिये सुविधा	Facility for checking Ballot Papers	97
255	त्रिपुरा की पम्बरू पन-बिजली परियोजना का पूरा किया जाना तथा राष्ट्रीय-परियोजना निर्माण निगम के विरुद्ध शिकायत	Completion of Pambaroo Hydro-electric Projects of Tripura of Tripura and Complaint against N. P. C. C.	97-98
256	होवर नदी (त्रिपुरा) के जल निकास की योजना	Scheme for Drainage of Hower River (Tripura)	98
257	उत्तर बिहार की पश्चिमी कोसी नहर योजना को तत्काल पूरा करने में रुकावटें	Hurdles in Immediate Execution of Western Kosi Canal Scheme; North Bihar	98-99
258	पूर्वोत्तर रेलवे के सकरी-निर्मली सेक्शन में झंझरपुर से खुराना तक रेल लाइन का विस्तार करने की माँग	Demand for Extension of Railway Line from Jhanjharpur to Khubauna in Sakri Nirmali Section (North Eastern Railway)	99
259	पूर्वी रेलवे में ब्रेक कलपुर्जों की चोरी के कारण माल डिब्बों का माल गाड़ियों में न जोड़ा जाना	Goods Wagons immobilised Daily owing to Theft of Brake Components in Eastern Railway	99-100
260	पूर्व रेलवे और दक्षिण पूर्व रेलवे में उपकरणों की चोरी से सम्बन्धित तुलनात्मक आँकड़े	Comparative figures of Theft of Accessaries in Eastern Railway and Soutl Eastern Railway	100

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
262	जोधपुर (उत्तर रेलवे) की रेलवे वर्कशाप का कार्यकरण	Functioning of Railway Workshop, Jodhpur (Northern Railway)	100-01
263	राजस्थान के ग्रामों का औद्योगीकरण	Rural Industrialisation in Rajasthan	101
264	सरकारी संरक्षण प्राप्त अथवा सरकार द्वारा प्रबन्धित धार्मिक संस्थाएँ	Religious Institutions enjoying Government patronage or managed by Government	101
265	धर्मनगर से अगरतला (उत्तर पूर्व सीमा रेलवे) तक रेल लाइन	Railway Line from Dharam nagar to Agartala (NEF. Railway)	101-02
266	पंसकुरा हल्दिया सेक्शन (दक्षिण पूर्व रेलवे) का विद्युतिकरण	Electrification of Panskura-Haldia Section (South Eastern Railway)	102
267	रेल के डिब्बों और इंजनों का निर्यात	Export of Railway Bogies, Locomotives	102-03
268	रेलवे में सुधार के लिए 11-सूत्री कमक्रम की उपलब्धियाँ	Achievements of 11-Point Programme for Improvement of Railways	103
269	लाइसेंस देने की शक्ति प्राप्त करने के लिये राज्यों की माँग	Demand from States for Getting Powers of Licensing	103
270	न्यायपालिका द्वारा न्यायिक विवेचन की शक्ति के लिये माँग	Demand from Judiciary for Power of Judicial Review	104
271	काम के घंटों के दौरान लखनऊ-दिल्ली मेल के कंडक्टरों की अनुपस्थिति	Absence of Conductors during duty Hours in Lucknow New Delhi Mail	104
272	दिल्ली तथा लखनऊ के बीच दिन में एक गाड़ी का चलाया जाना	Introduction of a day train between Delhi and Lucknow	104-05
273	हावड़ा-आमता लाइट रेलवे को अपने नियंत्रणाधीन लेना	Take over of Howrah-Amta Light Railway	105
274	देश के पूर्वी प्रदेश में बिजली की कमी	Shortage of Power in Eastern Region of the Country	105-06
275	सीमेंट की माँग, उत्पादन और मूल्य	Demand Production and Price of Cement	106
276	कम्पनियों द्वारा मोटर कारों के मूल्य में वृद्धि	Increase in price of Motor Cars	107
277	पूर्वोत्तर 'सीमा रेलवे द्वारा आसाम में कर्मचारियों की नियुक्ति	Appointment of persons by Northeast Frontier Railway in Assam	107-08
278	त्रिपुरा के नगरों में बाढ़ तथा उससे बचाव के उपाय	Floods in Tripura Towns and Protection Measures	108
279	त्रिपुरा में अगरतला कस्बे के चारों ओर निर्मित बाढ़ संरक्षण बांध	Flood Protection Bund around Agartala Town, Tripura	108-09

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. O. Nos.		
280 त्रिपुरा में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन	Delimitation of Assembly Constituencies in Tripura	109
281 त्रिपुरा के लिये न्याय आयुक्त का न्यायालय	Judical Commissioners Court for Tripura	109
282 उड़ीसा में कागज बनाने की मिल की स्थापना	Setting of Paper Mill in Orissa	109-10
283 चौथी पंचवर्षीय योजना में नयी कागज की मिल की स्थापना	Setting of Paper Mills during Fourth Plan	110
284 वर्ष 1970 के अन्त तक राजस्थान को बिजली की सप्लाई	Supply of Electricity to Rajasthan	110-11
285 बिड़ला बन्धुओं को लाइसेंस देना	Issue of Licences to Birla Brothers	111
286 सिंहना को डबला (खेतरी ताँबा परियोजना) के साथ मिलाने वाली रेलवे लाइन	Completion of Railway Line connecting Singhana with Dabla (Khetri Copper Project)	111
287 राजस्थान के झुनझुनू जिले में नहर द्वारा सिंचाई	Canal Irrigation in Jhunjhunu District of Rajasthan	111
288 आसिफाबाद रोड (दक्षिण मध्य रेलवे के निकट एक माल गाड़ी और वर्धा-काजीपेट यात्री गाड़ी के बीच टक्कर	Collision of a Goods train and Wardha Kazipet passenger Train near Asifabad Road South Central Railway)	112
289 राज्यों को विद्युत शक्ति सम्प्रेषण की सुविधायें देने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था से ऋण दिया जाना	Release of IDA Loan for Electric Power Transmission facilities in States	112-13
290 विल्लीवक्कम से त्रिवेल्लोर तक और व्यासरपड़ी से बेसिन ब्रिज तक नई रेल लाइनों का बिछाया जाना	New Railway Lines for Villiwakkam to Trivellore and Vyasarpady to Basin Bridge near Madras	113
291 बेरक बाँध परियोजना की प्रगति	Progress of Barak Dam Project	113
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	114-18
उत्तर भारत में हाल में हुई वर्षा से फसलों और खलिहानों को पहुंची क्षति	Damage to crops and granaries by rains in Northern India	114-18
श्री आर० बी० बडे	Shri R. V. Bade	
श्री अन्नासाहेब पी० शिन्दे	Shri Annasahib P. Shinde	
सभा पटल पर रखे गये पत्रों के बारे में	Re. Papers Laid on the Table	118-20

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	120
विधेयकों पर अनुमति	Assent to Bills	121
सदस्य की गिरफ्तारी	Arrest of Member	121-22
(श्री लालजी भाई)	(Shri Lalji Bhai)	
चीनी सम्बन्धी नीति के बारे में वक्तव्य	Statement re. Sugar Policy	122-24
(श्री फखरुद्दीन अली अहमद)	(Shri F. A. Ahmad)	
पूर्वी बंगाल से शरणार्थियों के आगमन के बारे में चर्चा	Discussion Re. Influx of Refugees from East Bengal	124-40
श्री ए० के० सेन	Shri A. K. Sen	
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	
श्री जे० बी० पटनायक	Shri J. B. Patnaik	
श्री दशरथ देव	Shri Dasaratha Deb	
श्री हरि प्रसाद शर्मा	Shri H. P. Sharma	
श्री एच० एन० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee	
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy	
श्री फ्रैंक एन्थनी	Shri Frank Anthony	
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	Shri Chintamani Panigrahi	
श्री बी० आर० भगत	Shri B. R. Bhagat	
श्री जी० विश्वनाथन्	Shri G. Viswanathan	
श्री श्यामनन्दन मिश्र	Shri Shyamnandan Mishra	
श्री आर० के० खाडिलकर	Shri R. K. Khadilkar	
श्री पी० के० देव	Shri P. K. Deo	
श्री पी० एम० सईद	Shri P. M. Sayeed	
श्री एम० एम० हाशिम	Shri M. M. Hashim	
श्री शंकर दयाल सिंह	Shri Shankar Dayal Singh	
श्री त्रिदिब चौधरी	Shri Tridib Chaudhuri	
सदस्य की दोष सिद्धि	Conviction of Member	140
(श्री लालजी भाई)	(Shri Lalji Bhai)	

लोक-सभा
LOK-SABHA

मंगलवार 25 मई, 1971/ 4 ज्येष्ठ, 1893 (शक)
Tuesday, May 25, 1971/ Jyaistha 4, 1893 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *In The Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 31।

श्री के० सूर्यनारायण: प्रश्न का उत्तर दिये जाने के पूर्व क्या मैं जान सकता हूं कि भाषा के प्रश्न, और मंत्रियों के पद नाम के विवरण के प्रश्न पर कोई निर्णय लिया गया है ?

अध्यक्ष महोदय: वे बातचीत कर रहे हैं । मैं उन्हें बाद में जानकारी दूंगा।

मताधिकार की आयु कम करने के लिए संविधान में संशोधन

श्री एम० के० कृष्णन्: क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान केरल विधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित उस संकल्प की ओर दिलाया गया है जिसमें मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने के लिए संविधान में संशोधन करने की मांग की गई है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को उपर्युक्त संकल्प की एक प्रति प्राप्त हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) और (ख). जी हां, संकल्प इस प्रकार है:—

"यह सदन केन्द्रीय सरकार से निवेदन करता है कि भारत के संविधान में आवश्यक संशोधन किए जाएं जिससे उन सब भारतीय नागरिकों को जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है मताधिकार दिया जा सके।"

(ग) इस मामले की जाँच की जा रही है।

श्री एम० के० कृष्णन् : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि देश के युवकों ने ऐसी माँग की है और इस बात पर भी विचार करते हुये कि विश्व के लगभग समस्त देशों ने मताधिकार आयु कम करके 18 वर्ष कर दी है, क्या सरकार मताधिकार आयु घटाअर 18 वर्ष करने के लिये शीघ्र ही निर्णय लेगी और संविधान में संशोधन करेगी ?

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : मामला विचाराधीन है। विश्व में अन्यत्र जो कुछ हो रहा है उस पर विचार किया जा रहा है।

Shri R. C. Vikal: When the final shape will be given to it?

Shri Nitiraj Singh Chaudhary: It is connected with so many points. The main point is about the number. According to the revised electoral rolls there were 275 million voters. It appears from the intensive revision, which is going on now, that there would be about three hundred million voters and the number will increase by 50 million more if the franchise age is reduced to 18 years. This will enhance the responsibility. The decision can only be taken after completion of work which is being done. so it can not be said as to when it will be decided.

श्री रामगोपाल रेड्डी : भारतीय जनसंघ ने यह माँग की है। क्या भारतीय साम्यवादी दल ने इसे स्वीकार कर लिया है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : बहुत से दलों ने इसे स्वीकार कर लिया है।

It appears from the answer given by the hon. Minister that the number of the voters willi ncrease and the Government are wrrsied because they do not want to see increased number of voters. I think the increase in number of voters will add more responsibility to the Government. But this is the question of principles. The conditions at the time when our constitution was framed were different and the conditions of to-day vary from that. The boys and girls of to-day achieve adulthood at an earlier age and a boy of 18 can decide about the property and become an heir. This age has been reduced in U. S.A. and Britain. Will an early decision be taken keeping all there points in view? Are the Government making endeavours for it?

Shri Nitiraj Singh Chaudhary: The circumstances of India vary from those of U.S.A. and Britain. There is difference in attitudes of the youth of those countries and this country. According to the laws in this country and Article 326 of the constitution the adult suffrage will be enfranchised to the person who has attained the age of 21 years. The adult must possess the maturity of understanding. According to the laws in the country the age for maturity of understanding has been fixed 21 years as in the Guardians Inwards Act, Special Marriage Act, Christian Marriage Act. Having all these things in view an early decision is not possible.

उद्योगों की अप्रयुक्त क्षमता

*34. **श्री एच० एन० मुकर्जी :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1968–69 से विभिन्न उद्योगों में अप्रयुक्त क्षमता का वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस सम्बन्ध में सभी परिहार्य असन्तुलनों को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) 1968, 1969 और 1970 में कुछ चुने हुए उद्योगों में क्षमता के उपयोग का प्रतिशत बतानेवाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या/एल० टी० 168/71]

(ख) अधिष्ठापित क्षमता का पूरा उपयोग करने के सुनिश्चय के लिये नीचे लिखे कदम उठाये गये हैं।

(1) उद्योगों में काम आने वाले कच्चे माल पुर्जों के आयात को पर्याप्त उदार बना दिया गया है विशेषकर इस्पात के आयात को काफी उदार बना दिया गया है।

(2) पूंजीगत माल की मांग पुनः यथा संभव बढ़ाने के विभिन्न विकास कार्यक्रमों का पुर्नविलोकन किया गया है ।

(3) औद्योगिक उपक्रमों को अपनी लायसेंसिंग क्षमता के 25 प्रतिशत तक बिना औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त किये कुछ शर्तों के अधीन नई वस्तुओं के उत्पादन द्वारा विविधिकरण करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। अनेक इंजीनियरी उद्योग इसका लाभ उठा रहे हैं।

श्री एच० एन० मुकर्जी : विवरण से पता चला है कि यहां पर सूची में दिये गये 36 इंजीनियरी उद्योगों में से 24 उद्योगों में 50 प्रतिशत से कम क्षमता का उपयोग किया गया है । इस दु:खद स्थिति को ध्यान में रखते हुये क्या मैं जान सकता हूं और क्या सरकार हमें बता सकती है कि एक ऐसी अधिकतम सीमा है जिससे नीचे क्षमता के उपयोग करने का अर्थ है, हमारी अर्थ-व्यवस्था को गंभीर क्षति पहुंचाना, और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : मैं माननीय सदस्य से इस बात के लिये सहमत हूं कि स्थिति गंभीर है और मैं अपने उत्तर में पहले ही कह चुका हूं कि स्थिति सुधारने के लिये सरकार कार्यवाही कर रही है।

श्री एच० एन० मुकर्जी : मेरी जानकारी है कि ऐसे प्रश्न वर्ष प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं और तीन वर्ष पूर्व सरकार ने ऐसे प्रश्न का कुछ कम अथवा अधिक मिलता जुलता उत्तर दिया था, जैसा उत्तर आज मंत्री महोदय सरकार द्वारा की जा रही कार्यवाही के बारे में दे रहे हैं। अब तक

जो कार्यवाही की गई है उसका क्या कोई मूल्यांकन है और वर्ष 1966 से लेकर आज तक जो कार्यवाही की गई है उसका सही परिणाम क्या है ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : हमने मूल्यांकन किया है और इसी वास्ते जो कुछ कार्यवाई की है उसका मैं संकेत दे चुका हूं । चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये अर्थव्यवस्था की कुल आयात सन्बन्धी आवश्यकताओं के अनुमानित 9,730 करोड़ रुपये की धनराशि में से औद्योगिक उत्पादन वृद्धि की गति में तीव्रता लाने और उसे बनाये रखने के लिये आवश्यक कल पुर्जे और आयात चालू रखने और कच्चे माल के आयात के लिये 7,840 रु. रखे जायेंगे । प्राथमिकता वाले उद्योगों और लघु उद्योगों में निर्यात उद्योगों के लिये आयातित कच्चे माल की बढती हुई मांग को आयात नीति में स्थान दिया गया है । इस्पात की वर्तमान कमी को पूरा करने के लिये इस्पात का काफी आयात करने की अनुमति दे दी गई है और मैं आशा करता हूं कि इससे इंजीनियरी उद्योगों की समस्या भी सुलझ जायेगी ।

श्री ए० पी० शर्मा : हैवी इंजीनियरिंग निगम, रांची की अप्रयुक्त क्षमता क्या है और इस अप्रयुक्त क्षमता को प्रयोग में लाने के लिए सरकार का कौन से ठोस प्रस्ताव लाने का विचार है ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न के लिए सूचना दी जाये ।

श्री अमरनाथ विद्यालंकार : क्या मंत्री महोदय हमें सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में अप्रयुक्त क्षमता का अलग-अलग ब्यौरा देंगे ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के लिए मेरे पास अलग-अलग आंकड़े नहीं है । आंकड़े एक साथ दिये हुए हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : विवरण में दिये गये आंकड़ों से स्पष्ट है कि स्थिति चिन्ताजनक है । क्या क्षमता की उपयोगिता को बहुत कम काम में लाने का कारण सही प्रतिष्ठापित क्षमता और लाइसैंस प्राप्त क्षमता में भारी अन्तर होना है ? क्या ये आंकड़े लाइसैंस प्राप्त क्षमता के बारे में हैं अथवा सही अधिष्ठापित क्षमता के बारे में हैं अथवा क्या इसका यह कारण है कि बहुत से लोग विशेषकर गैर-सरकारी क्षेत्र में, जितनी उन्हे लाइसैंस के अनुसार कुछ प्राप्त क्षमता है उसका पूरा प्रयोग नहीं करते हैं ? सभी मामलों—इंजीनियरी और गैर-इन्जीनियरी उद्योगों में—एक जैसा कम उपयोग बताया जा सकता है ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : कतिपय ऐसे मामले हैं जिनमें 50 प्रतिशत से कम क्षमता का उपयोग किया गया है । लकड़ी के कार्य की मशीनों, सीमेन्ट मिल की मशीनों, पहिये से चलने वाले डीजल इंजीनियरी उद्योगों—स्ट्रक्चरल—आदि हैं. . .

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न बहुत साधारण है; क्या लाइसैंस प्राप्त क्षमता का लाइसैंस में उल्लेख है अथवा नहीं ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : इसका सम्बन्ध. . . .क्षमता से है ।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि वह उत्तर देने के बारे में स्पष्ट हों। क्या उनका कहने का तात्पर्य यह है कि इस कालम के समस्त आंकड़े लाइसैंस प्राप्त क्षमता से सम्बन्ध रखते हैं—कि इन आंकड़ों का लाइसैंस प्राप्त क्षमता से, जिसका बहुत प्रयोग किया जा रहा है, सम्बन्ध है अथवा अधिष्ठापित क्षमता से है ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : जी नहीं, इसका संबंध अधिष्ठापित क्षमता से है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : पहले तो आपने इसका सम्बन्ध लाइसैंस प्राप्त क्षमता से बताया था। (**व्यवधान**) मैं 10,000 यूनिटों के लिए लाइसैंस ले सकता हूं और सही रूप में 2,000 क्षमता वाला संयंत्र खोलता हूं।

एक माननीय सदस्य : उन्हें पता लगा लेने दीजिये।

श्री मोइनुल हक चौधरी : ये अधिष्ठापित क्षमता हैं (**व्यवधान**)

श्री एस० आर० दामाणी : सूची में जिन 36 मदों का उल्लेख है उसमें से 26 मदें ऐसी हैं जहां क्षमता 50 प्रतिशत से कम प्रयोग की जाती है और यह अस्सी प्रतिशत तक है। उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। बड़े पैमाने पर क्षमता को कम प्रयोग किये जाने के क्या कारण हैं : क्या यह कच्चे माल की कमी के कारण है अथवा मांग के कारण है। मंत्री महोदय इसकी जांच करें।

दूसरे, अप्रयुक्त क्षमता के कारण हमें बहुत-सी वस्तुओं का आयात करना पड़ता है। हमारे पास पर्याप्त क्षमता होते हुए भी इसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है अतः वस्तुओं का आयात करना पड़ता है। भविष्य में इस विषमता को दूर करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : इसके तीन कारण हैं। पहला कतिपय उद्योगों में अपर्याप्त मांग, —मांग परिवर्तनशील है। दूसरा, कुछ मामलों में कच्चे माल की कमी है और तीसरा, मजदूरों के प्रबन्ध की समस्या का कारण है, जो कार्यवाही की गई उसके बारे में मैं अपने उत्तर में पहले ही कह चुका हूं।

श्री एस० आर० दामाणी : आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। अगला प्रश्न।

श्री जी० विश्वनाथन् : श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, इस समय नहीं।

श्री जी० विश्वनाथन् : कल प्रधान मंत्री ने हमें आश्वासन दिया था कि नामावलि के प्रश्न की सरकार जांच करेगी। परन्तु अभी तक हमें स्थिति से अवगत नहीं कराया गया है। स्थिति क्या हैं और सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

अध्यक्ष महोदय : हम कुछ बैठकें बुला रहे हैं।

श्री जी० विश्वनाथन् : हम तो यह अपेक्षा कर रहे थे कि किसी निर्णय की घोषणा की जायेगी परन्तु अभी तक किसी बात की घोषणा नहीं की गई है।

श्री के० मनोहरन् : यदि आप मुझ से पूछें कि बैठक में क्या हुआ तो इसके बारे में मैं बता सकता हूं। क्या ऐसा करने के लिए मुझे इजाजत दी जायेगी ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे नियमित व्यवस्था के माध्यम से सूचना प्राप्त कर लेने दीजिए।

श्री के० मनोहरन् : ऐसा लगता है कि प्रधान मंत्री ने कहा है. . . . (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मुझे अभी तक सूचना नहीं मिली है। मुझे सूचना प्राप्त कर लेने दीजिए।

श्री सी० चित्तिबाबू : हम मंत्रियों के पदनाम को जाने बिना कैसे समझ सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इसके बारे में जांच कर रहा था और आपको इसकी जानकारी दे दी जायेगी।

श्री के० मनोहरन् : मैं सारी बात को संक्षेप में कह सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं कि आप इसे संक्षेप में कह सकते हैं।

श्री के० मनोहरन् : प्रधान मंत्री राष्ट्रपति का आदेश हटाने के लिए सहमत हो गई हैं; वह अपने सहयोगियों से सलाह लेंगी। इस बात की उन्होंने प्रतिज्ञा की है। परन्तु अब भी इन प्रश्नों को वापस नहीं लिया गया है। अतः जब तक वे इसे वापस नहीं लेते हैं, हम द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम दल के सदस्य प्रश्न काल में भाग नहीं लेंगे।

अध्यक्ष महोदय : उनके वापस लिए जाने का कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि हमें पहले से ही प्रश्नों को टाइप करना पड़ता है और उन पर आगे कार्यवाही करनी होती है।

श्री के० मनोहरन् : जब तक इसे वापस नहीं लिया जाता है, हमने प्रश्न काल में भाग न लेने का निर्णय किया है। अतः हम सदन से बाहर जाना चाहते हैं।

(इसके पश्चात् श्री के० मनोहरन् और कुछ अन्य सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये)

(Shri Manoharan and some other Members then left the House.)

श्री आर० बालकृष्ण पिल्ले : केरल कांग्रेस दल के सदस्य भी प्रश्न काल में भाग नहीं लेना चाहते हैं।

(श्री आर० बालकृष्ण पिल्ले, श्री पी० के० मुकिया तेवर और कुछ अन्य सदस्य भी सभा भवन से बाहर चले गये)

(Shri R. Balkrishna Pillai, Shri P. K. Mookkiah Thevar and some other Members also left the House.)

अफ्रीकी-एशियाई सम्मेलन

*35. **श्री निहार लास्कर** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1971 में नई दिल्ली में अफ्रीकी-एशियाई सम्मेलन हुआ था और उस सम्मेलन में 7 राष्ट्रों की एक स्थायी समिति स्थापित करने का निश्चय किया गया था;

(ख) यदि हां, तो स्थायी समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ग) उस सम्मेलन में किन-किन विषयों पर चर्चा हुई थी; और

(घ) भारत में यह सम्मेलन करने से देश को क्या लाभ हुआ है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी हां

(ख)

(1)	श्री एम० ए० रिफ़ात	(यू० ए० आर)
(2)	श्री एस० वीरास्वामी	(मारीशस)
(3)	श्री हसन अन्सारी	(ईरान)
(4)	श्री के० एल० नन्जप्पा	(इंडिया)
(5)	श्री हाबेल अकपामा	(टोगो)
(6)	श्री एच० एम० अड़ोलवा	(कीनिया)
(7)	श्री बी० एम० कताने	(फिलिपीनस्)

(ग) सम्मेलन में नीचे दिये हुए विषयों पर विचार-विमर्श हुआ ।

1. **लघु उद्योगों के विकास** हेतु मूलभूत नीति तथा कार्य प्रणाली

2. लघु उद्योगों के विकास के लिये कारगर टूल्स ।

3. (i) अन्तर्राष्ट्रीय सब कान्ट्रेक्टिंग को सुकर बनाने तथा लघु उद्योगों के विकास को आगे बढ़ाने हेतु द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय आधार पर अफ्री-एशियाई देशों का अन्तरराज्यीय सहयोग ।

(ii) लघु उद्योगों के विकास के लिये अर्न्तराष्ट्रीय अनिकरणों की भूमिका ।

(घ) चूकि अफ्री-एशियाई विकासशील देशों की समस्याऐं कमोबेश एक सी हैं, इन क्षेत्रों में क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग की काफी गुँजायश है । भारत, इस क्षेत्र के विभिन्न देशों को परामर्शदात्री सेवाएँ प्रदान कर तथा पारस्परिक व्यापार को बढ़ाकर संयुक्त उद्योगों द्वारा व उप-संविदाओं (सबकोन्ट्रेक्टिंग) द्वारा प्रोत्साहन देकर लघु उद्योग के सहयोग प्रदान कर और प्रोत्साह देकर अच्छी भूमिका निवाह सकता है । आशा है, अफ्री-एशियाई देशों में भारतीय निर्यात की चीजों, मशीनरी तथा उपकरणों की मांग काफी बढ़ेगी ।

श्री निहार लास्कर : अभी तक हमारे अपने ही राज्यों में लघु उद्योगों का विकास नहीं हुआ । हमारे मंत्री महोदय का अपना राज्य असम भी उन्हीं में से एक है । अपने ही देश के राज्यों में लघु उद्योगों का विकास किये बिना ही हम अफ्रीकी-एशियाई देशों के विकास का विचार कैसे कर रहे हैं ? क्या मन्त्री महोदय पहले अपने ही देश के लघु उद्योगों का विकास करेंगे और फिर बाहर के देशों के बारे विचार करेंगे ?

श्री पीलू मोदी : इन्हें अपने ही नगर से यह कार्य आरम्भ करना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न नहीं अपितु एक सुझाव है जिसे मन्त्री महोदय नोट कर लें ।

श्री निहार लास्कर : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या अपने लघु उद्योगों द्वारा तैयार उत्पादों को अफ्रीकी-एशियाई देशों में भेजने का कोई प्रयत्न किया गया है ? क्या वह इसमें सफल हुये है ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : हमारे देश में लघु उद्योगों द्वारा जो समान तैयार किया जाता है, उनकी प्रदर्शनी लगी हुई है । सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों को हम प्रदर्शनी दिखाने ले गये थे और वहां उन्होंने हमारे लघु उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं को देखा ।

पश्चिम बंगाल, बिहार तथा उडीसा में विद्युतीकरण की धीमी प्रगति

*36. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में विद्युतीकरण की धीमी प्रगति के क्या कारण हैं; और

(ख) इन राज्यों में पिछले तीन वर्षों में कितने गाँवों तथा शहरों का विद्युतीकरण किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) पश्चिमी बंगाल, बिहार, और उड़ीसा में विद्युतीकरण की धीमी प्रगति का प्रमुख कारण यह रहा है कि देश में दूसरे राज्यों के मुकाबले में इन राज्य सरकारों द्वारा ग्राम विद्युतीकरण के लिए पिछले दस वर्षों में बहुत कम धन आवंटित किया गया है ।

(ख) पिछले तीन वर्षों में बिहार, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल राज्यों में विद्युतीकृत ग्रामों और नगरों की संख्या नीचे दी जाती है:—

राज्य	68-69	69-70 (के दौरान विद्युतीकृत)	70-71	
पश्चिम बंगाल				
ग्राम	216	186	345	
नगर	2	कोई नहीं	कोई नहीं*	*3 नगर विद्युतीकृ होने बाकी है ।
बिहार				
ग्राम	661	797	742	+10000 से ऊपर
नगर	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं+	जनसंख्या वाले सारे नगर विद्युतीकृत हो चुके हैं ।
उड़ीसा				
ग्राम	62	129	311	
नगर	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं+	

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं यह पूछना चाहता हूं कि पूर्वी क्षेत्र के तीनों राज्य, ग्राम विद्युतीकरण में पीछे क्यों रह गये हैं जब कि पंजाब, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्य इस क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ गये हैं ? क्या इसका कोई विशेष कारण है या यह केवल संयोग की बात है कि पूर्वी क्षेत्र सीमावर्ती प्रदेश, जैसा कि विवरण के आंकड़ों से पता चलता है, इसमें पीछे रह गये है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० के० एल० राव) : यह राज्य का विषय है। निसन्देह यह दुर्भाग्य की बात है। वास्तव में बात यह है कि गत दशक यथा 1961-71 में अन्य राज्यों ने इस कार्य के लिए अधिक धनराशि व्यय की जब कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा ने इस मद पर कुछ भी व्यय नहीं किया। उदाहरण के लिए तमिलनाडु ने गत दशक में ग्राम विद्युतीकरण पर 90 करोड रुपये व्यय किये जब कि बंगाल ने केवल 8 करोड़ रुपया व्यय किया। उड़ीसा राज्य ने इस कार्य पर 9 करोड़ रुपया व्यय किया जब कि अन्य राज्यों में इस पर 50.50 करोड़ रुपया व्यय किया गया। अब उन्हें समझ आ रही है। इस वर्ष से उन्होंने इस कार्य को विशेष महत्व देना आरम्भ कर दिया है और मुझे आशा है कि अब इस में प्रगति होगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उन्होंने कहा है कि यह प्रमुखत: राज्य सरकारों का ही उत्तरदायित्व था परन्तु मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब केन्द्रीय योजनाओं और राज्यों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा आवंटन किया जाता है तो क्या सरकार ने राज्य सरकारों को कभी विद्युतीकरण की ओर विशेष ध्यान देने के लिए कहा था क्योंकि इसका सम्बन्ध केवल राज्यों से नहीं अपितु इसका सम्बन्ध कृषि तथा सम्पूर्ण कृषि उत्पादन से भी है।

डा० के० एल० राव : हमें पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा के लिए कुछ विशेष कार्यवाही करनी पड़ेगी क्योंकि यह दोनों ही राज्य ग्रामों के विद्युतीकरण और पम्पिंग सैटों के विद्युतीकरण में सब से पीछे रह गये हैं और यह बहुत खेद की बात है। मैंने ग्राम विद्युतीकरण निगम को एक पत्र लिख कर उससे अनुरोध किया है कि मंजूरी देते समय इन राज्यों की योजनाओं की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। उनकी सहायता करने का यही एकमात्र ढंग है और मुझे आशा है कि हम ऐसा करने में सफल होंगे। हमें मालूम है कि बिहार ने हाल ही में इस दिशा में कुछ प्रगति करनी आरम्भ की है। मैं चाहता हूं कि ग्राम विद्युतीकरण निगम को इन तीनों राज्यों की पहले की अपेक्षा अधिक सहायता देनी चाहिये क्योंकि यह राज्य अन्य राज्यों से पीछे रह गये हैं। जो सहायता निगम द्वारा दी जायेगी वह राज्य योजना सहायता के अतिरिक्त होगी।

Shri K. N. Tiwary: So far as electricity is concerned, I would like to know how much was given to Bihar, how much has been utilized and what is the position of North Bihar?

डा० के० एल० राव : मैं पहले ही कह चुका हूं कि अब बिहार ने इस दिशा में कुछ कार्य आरम्भ कर दिया है। गत पांच वर्षों में उन्होंने इस दिशा में काफी प्रगति की है, इससे पूर्व निश्चय ही वहां की स्थिति बहुत खराब थी। चौथी योजना के संसाधनों में से 36 करोड़ और अपनी योजना के संसाधनों में से 50 करोड़ रुपया, अत: कुल 86 करोड़ रूपया बिहार इस कार्य के लिए लगा रहा है जो कि काफी बड़ी धन राशि है। यदि बिहार को तब सारी धन राशि प्राप्त हो जाती है और वह उसे इस कार्य पर लगा देता है तो निश्चय ही वहां के ग्राम विद्युतीकरण की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि उत्तरी बिहार में

बिजली बहुत कम है । वहां की प्रति व्यक्ति बिजली देश में सब से कम है क्योंकि वहां इसका उत्पादन नहीं होता । हम इस स्थिति से भली भांति अवगत हैं और वहां नये तापीय स्टेशन लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं तथा इसके साथ ही दक्षिणी बिहार से भी बिजली ले रहे हैं । इस क्षेत्र की ओर हमें अधिक ध्यान देना पड़ेगा ।

अध्यक्ष महोदय : वहां जो माननीय सदस्य है ।

Shri B. P. Maurya: Mr. Speaker, Sir, I would like to know from the Hon. Minister the per-capita electricity available in the countiy? The population of Uttar Prdesh is about a crore. What is the share of Uttar Pradesh and how much electricity is available in Uttar Pradesh now? How much amount was spent in Uttar Pradesh last year on this aspect?

अध्यक्ष महोदय : प्रमुख प्रश्न का सम्बन्ध पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा, तीन राज्यों से हैं ।

Shri Sarjoo Pandey: What is the criteria of giving central assistance to states for electrification? Is there any such provision under which some states get more assistance and others less?

श्री बी० के० दास चौधरी : इन तीन राज्यों में जो कुछ किया गया है उसका ब्यौरा देने में माननीय मंत्री महोदय बहुत सिद्धहस्त मालूम होते हैं । उन्होंने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि पूर्वी क्षेत्र के इन तीनों राज्यों ने अपने अनुदान का प्रयोग विद्युतीकरण कार्यक्रमों के लिए नहीं किया है । मंत्री महोदय को इस सम्बन्ध में स्पष्ट उत्तर देना चाहिये । गत वर्ष के प्रतिवेदन में यह विशेष रूप से कहा गया था कि ग्राम विद्युतीकरण निगम ने पांच प्रायोगिक परियोजनायें आरम्भ की है और यह परियोजनायें आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र मैसूर और सम्भवत: पंजाब तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में आरम्भ की गई हैं । राज्यों को और अधिक बिजली दी जा रही है परन्तु मंत्री महोदय पूर्वी क्षेत्र के इन तीन राज्यों के बारे में, विचार करने को तैयार नहीं हैं, जहां कि बिजली की भारी कमी है । मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह पूर्वो राज्य भी ऐसी परियोजनायें चलाने में उतने ही योग्य समझे जाते हैं जैसा कि साधारण ग्राम विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत अन्य राज्यों को समझा जाता है । ग्राम विद्युतीकरण निगम को अमरीका से लगभग 150 करोड़ रुपये मिले हैं । क्या मंत्री महोदय इस प्रस्ताव से सहमत हैं ?

डा० के० एल० राव : ग्राम विद्युतीकरण निगम एक वित्तीय संस्थान है । ज्यों ही उसे किसी राज्य से कोई परियोजना प्राप्त होती है, निगम उसकी स्वीकृति दे देता है । यह खेद की बात है कि माननीय सदस्य ने कुछ आक्षेप लगाये हैं : दूसरी ओर स्थिति यह है कि राज्य सरकारों से जो भी योजनायें प्राप्त होती हैं उन्हें तुरन्त स्वीकृति दे दी जाती है । यह दुर्भाग्य की बात है कि इन तीनों राज्यों ने अधिक परियोजनायें निगम को नहीं भेजी है मैंने इसे नोट कर लिया है और साथ ही मैंने निगम को आदेश दिया है कि वह इन राज्यों में अपने विशेष दल भेज कर, इनकी सहायता विशेष रूप से करे ।

श्री बी० के० दासचौधरी : मैंने उत्तरी बंगाल के लिए आपको कुछ योजनायें भेजी थी, जो आपने स्वीकार कर ली थीं । उनके बारे में क्या हुआ है ?

श्री के० सूर्यनारायण : माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि यह राज्य सरकार का

विषय है । तो क्या इस क्षेत्र को राज्य सरकारों द्वारा ग्राम विद्युतीकरण न करने के पीछे कोई राजनीतिक कारण है ? दूसरे मैं यह पूछना चाहता हूं कि पिछड़े क्षेत्रों में ग्राम विद्युतीकरण के लिए क्या भारत सरकार कोई विशेष अनुदान देती है ?

डा० के० एल० राव : सरकार यह चाहती है कि ग्राम विद्युतीकरण के कार्यक्रम को बहुत शीघ्र क्रियान्वित किया जाये । मुझे यह बताते हुये हर्ष हो रहा है कि अब इस योजना को द्रुत गति प्रदान की जा रही है और अब प्रत्येक वर्ष $3\frac{1}{2}$ लाख पम्पिंग सैटों को बिजली के कनेक्शन दिये जा रहे हैं । केवल कुछ ही वर्ष पूर्व पम्पिंग सैटों की कुल संख्या 25,000 थी और अब इनकी संख्या बढ़कर 16 लाख हो गई है । प्रत्येक वर्ष हम $3\frac{1}{2}$ लाख पम्पिंग सेट लगा रहे हैं । इस योजना को बहुत तीव्र गति प्रदान कर दी गई है । जहां तक भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता देने का प्रश्न है, उसके लिए केन्द्रीय सहायता के अतिरिक्त ग्राम विद्युतीकरण निगम का गठन भी किया गया है, जो विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों के लिए राज्य योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली सहायता के अतिरिक्त, सहायता राज्य सरकारों को देती है ।

Shri Damodar Pandey: I would only like to know whether the rural electrification has been held up or hampered due to shortage of distribution line or low production capacity?

Mr. Speaker: Your supplementary does not arise out of question being replied.

An Hon. Member: Mr. Speaker, Sir, it relates to Bihar and we must be given an apportunity.

Mr. Speaker: You should give notice and we will Feri a day for discussing Bihar.

श्री ए० पी० शर्मा : इस पर आधे घंटे की चर्चा होनी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : आप नोटिस दीजिये, मैं चर्चा की अनुमति दे दूंगा ।

श्री ए० पी० शर्मा : ग्राम विद्युतीकरण के विषय पर चर्चा करने के सुझाव का क्या हुआ ? मेरा सुझाव है कि इस पर चर्चा की जाये ।

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई सदस्य नोटिस देता है तो मैं उस पर विचार करूंगा आपका प्रश्न उत्पादन क्षमता के बारे में है जो कि विषय से पूर्णतया भिन्न है । मैं पहले ही अगले प्रश्न को ले चुका हूं ।

श्री प्रबोध चन्द्र : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल में व्यवस्था के प्रश्न को नहीं उठाया जा सकता और हम सदन में इसी परम्परा का पालन करते हैं ।

सियालदह डिवीजन (पूर्व रेलवे) में स्थानीय यात्री गाड़ियों का बार-बार रद्द किया जाना

* 37. **श्री रेणुपद दास :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सियालदह डिवीजन, कलकत्ता में डिब्बों की अत्यधिक कमी के कारण स्थानीय रेल सेवाओं के बार-बार रद्द किये जाने की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सियालदह डिवीजन में डिब्बों की कमी के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार पर्याप्त संख्या में डिब्बों की सप्लाई करने के लिए निश्चित कदम उठाने और सियालदह रेलवे स्टेशन पर निर्धारित रूप से यात्री गाड़ियों को चलाने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक यात्री गाड़ियों के चालू हो जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) गाड़ियां रद्द की गयी हैं लेकिन ऐसा रेकों की कमी के कारण नहीं किया गया है ।

(ख) गाड़ियां इन कारणों से रद्द की गयीं :—

(1) नागरिक उपद्रव, बन्द और कर्फ्यू लागू होने के कारण गाड़ियों को चलाना और कर्मचारियों का काम पर हाज़िर होना कठिन ओर जोखिमपूर्ण हो गया;

(2) यात्रियों द्वारा गाड़ियों को रोक रखा गया जिसके फलस्वरुप रेक प्रस्थान स्टेशनों से दूर फँसे रहे;

(3) ऊपरी तारों की चोरी के फलस्वरुप रेक प्रस्थान स्टेशनों से दूर फँसे रहे; और

(4) चल स्टाक के उपस्करों की चोरी के फलस्वरुप उपनगरीय बिजली गाड़ियों के रेक अस्थायी तौर पर रुके रहे ।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि ये गाड़ियां अस्थायी अथवा स्थानीय कारणों से रद्द की गयी थीं, न कि रेकों की कमी के कारण ।

श्री रेणुपद दास : जब यह समय सारिणी में रखा गया है तो इसे तथ्यहीन आधारों पर कैसे रद्द किया जा सकता है ? यात्रा करनेवाले यात्रियों के लिये असुविधा पैदा करने के लिये आप इसे कैसे रद्द कर सकते हैं ?

श्री हनुमन्तैया : मैं केवल इतना ही निवेदन करूंगा कि जो कारण मैंने दिये हैं वे तथ्यहीन नहीं, इससे रेलवे में ऐसी स्थिति पैदा हो गयी है जिससे रेकों का समय पर चलाना असम्भव सा हो गया है । इसका कारण हो रही हिंसा ही है ।

श्री पी० श्रार० दास मुन्शी : मैं इस बात से इन्कार नहीं करता कि असैनिक उपद्रवों क कारण रेलगाड़ियां मन्सूख की गयीं । यह सच है और मैं अपने माननीय मित्र से इस बात पर सहमत हूँ, लेकिन कभी कभी रेकों की कमी हो जाती है जिसके कारण यात्रियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है जो रेल अधिकारियों के पास जाकर अधिक रेकों की मांग करते हैं । अधिकारी कह देते हैं कि रेलों की कमी है । मेरे विचार से यह प्रश्न इसी कारण से पूछा गया है । सियालदह डिवीजन में तथा सियालदह स्टेशन पर एशिया भर में सबसे अधिक यात्री होते हैं । क्या मंत्री महोदय इस बात को जानते हैं कि जब तक रेलगाड़ियों की संख्या न बढ़ायी जाती तथा जब तक स्पेशल रेलगाड़ियां चलाने का प्रबन्ध नहीं किया जाता, उस समय तक समस्या हल नहीं हो सकती । क्या मैं जान सकता हूँ कि यात्रा करने वाले लोगों को राहत देने के लिये उनका क्या कदम उठाने का विचार है ?

श्री हनुमन्तैया : मैंने प्रश्न का उत्तर पहले ही दे दिया है। वास्तव में रेलवे प्रशासन ट्रेन सेवा में सुधार करने का प्रयत्न कर रहा है लेकिन जो बाधाएँ हैं, उनका भी जिक्र कर दिया गया है। मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूँ कि ट्रेन सेवाएँ नियमित होनी चाहिये।

Shri Hukam Chand Kachwai: The number of such incidents in Eastern Railway is more than in other Railways. May I know the specific steps taken any Govt. to check these incidents so that there is no loss to the railway property. What solid steps are being taken for providing facilities to all the passengers?

श्री हनुमन्तैया : इस दिशा में हम अनेकों कदम उठा रहे हैं, इसके लिये राज्य सरकार की सहायता की आवश्यकता है और हम उनसे बातचीत करते आ रहे हैं। हमें रक्षा दलों की संख्या बढ़ानी है यदि आवश्यकता हो, तो इस बात पर भी विचार किया जा रहा है कि ऐसी डकैतियों, गाड़ियों की लूट बन्द करने के लिये सेना बुलाई जावे, समय समय पर विभिन्न प्रकार की कार्यवाही की जाती है। माननीय सदस्य देखेंगे कि अगले दो तीन महीनों में हम बहुत ही गम्भीर कदम उठाने जा रहे हैं।

डा. रानेन सेन : मंत्री महोदय को यह बहाना नहीं बनाना चाहिये कि बंद, हड़तालें तथा उपद्रव होते हैं। क्या यह सच नहीं है कि तीन साल पहले मंत्री महोदय ने स्वीकार किया था कि भारत के कुछ भागों में रेकों की कमी है, अतः यहां किये गये प्रश्न से एक संगत प्रश्न पैदा होता है, जहां तक हम समझते हैं, रेकों की कमी अवश्य है। अतः क्या मंत्री महोदय रेलवे अधिकारियों से पूछताछ करके यह पता लगायेंगे कि रेकों की कमी है और यदि ऐसा है तो रेकों की कमी पूरी की जाये ?

श्री हनुमन्तैया : हां मैं माननीय सदस्य से सहमत हूँ, लेकिन सियालदह स्टेशन से दी गयी सूचना से ज्ञात होता है कि वहाँ रेक तो हैं लेकिन उन्हें चलाने की कठिनाई है। लेकिन जैसे कि माननीय सदस्य ने कहा मैं फिर से पूछताछ करुंगा कि क्या रेकें पर्याप्त संख्या में मौजूद है ?

प्रश्न संख्या 59 के बारे में
Re: Q. 59

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न संख्या 34.

श्री एस० आर० दामाणी : मैं अपने प्रश्न संख्या 59 को इसी के साथ लेने का निवेदन करुंगा।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, अपना प्रश्न पढ़ें।

Rural Schemes in Industrially Backward Areas

*38. **Shri Atal Behari Vajpayee:** Will the **Audyogik Vikas Mantri** be pleased to state:

(a) whether 50 additional rural schemes have been sanctioned recently for certain Districts in the industrially backward regions; and

(b) if so, the details of the past experience in regard to 55 rural industrial schemes sanctioned previously and the extent to which the newly sanctioned schemes are expected to remove imbalances in the development of backward areas?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development Audyogik Vikas Mantralaya men Upmantri (Shri Siddheshwar Prasad): (a) and (b). At present there are only 54 rural industries schemes. The rural Industries Projects Programme was initiated during 1962-63 initially in 49 selected rural areas. The results have been encouraging. Five new projects have been sanctioned during the current year—one in Haryana and four in Rural Electric Cooperative projects areas of Karimnagar District in Andhra Pradesh, Junagadh District in Gujarat, Belgaum District in Mysore and Lucknow District in Uttar Pradesh. By the end of March, 1970, about 29,000 industrial units were existing of which about 13,000 were new units. The total investment was estimated to be Rs. 13.46 crores and value of priduction to be Rs. 10.00 crores during 1969-70. Employment opportunities were created for about 1,75,000 persons. The progress was, however, not uniform in all the project areas and corrective measures were taken from time to time in areas where progress was not so satisfactory.

Shri Atal Bihari Vajpayee: The hon. minister has stated that results of the projects launched in 1962 are encouraging. I want to know whether there is any arraugement in the ministry to assess the functioning of these projects and whether these assessments can be brought to the notice of this house?

Shri Sidheshwar Prasad: The Planning Commission has been assessing such projects from time to time the assessments of the programmes under which these projects were started was also taken up and the findings of such assessments have revealed that while the condition of some projects is very good, condition of others is average and in some cases the condition of the projects is not satisfactory. Govt. took necessary action with regards to the projects, condition of which was not satisfactory.

Shri Atal Bihari Vajpayee: Does the hon. Minister admit that the funds provided for these projects are inadequate and that cottage industries are to be developed on large scale for removing unemployment in the rural areas? I want to know whether a portion of Rs. 55 crores provided in the budget for the removal of unemployment will be spent on these projects or whether the Planning Commission is providing separately for the expansion a such projects?

Shri Sidheshwar Prasad: So far as the question of Rs. 55 crores is concerned, it is a separate issue which is under consideration. As stated in my original question, we have taken 54 schemes as a whole. Survey for the schemes to be taken up during 5th Five Year Plan is being undertaken Final decision will be taken after the survey is completed. implementation of these schemes has not been hampered due to funds.

पिछड़े क्षेत्रों का औद्योगिकीकरण करने सम्बन्धी नीति

*59. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछड़े अथवा अल्प विकसित क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण करने सम्बन्धी नीति को कार्यान्वित करने में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या विशेषत: इस उद्देश्य के लिये कोई योजना बनाई गई है; और यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं और पिछड़े क्षेत्रों को दिए गये वचनों को कैसे पूर्ण किया जायेगा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के संवर्धन के लिए कसौटी तथा प्रोत्साहन सम्बन्धी कार्यकारी दलों की सिफारिशों पर राष्ट्रीय विकास परिषद के निर्णयों के अनुसरण में हाल ही में वित्तीय संस्थानों से रियाती दर पर वित्तिय सहायता प्राप्त करने के लिए औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए कुछ जिलों को चुना गया है । इसके अलावा केन्द्र द्वारा उद्योगों को उनके अचल पूंजी विनियोजन पर सीधे 10 प्रतिशत अनुदान या सहायता देने के लिए भी कुछ जिलों/क्षेत्रों को चुना गया है । सरकार, जम्मू तथा काश्मीर, मेघालय, नागालैंड तथा मणिपुर, त्रिपुरा एवं नेफा के संघ राज्य क्षेत्रों समेत असम राज्यों के बारे में भी नये उद्योगों के मामलों में कच्चे माल तथा तैयार माल की लागत को 50 प्रतिशत तक परिवहन सहायता देने की योजना आयोग की सिफारिश पर विचार कर रही है । विद्यामान एककों को भी अपना विस्तार करने अथवा विविधीकरण के लिए परिवहन सहायता भी उपलब्ध कराई जायेगी बशर्ते कि इससे उनके पिछले लगातार तीन वर्षों के दौरान हुई वार्षिक निपज के औसत में कम-से-कम 25 प्रतिशत तक उत्पादन में वृद्धि होती है ।

10 प्रतिशत तक केन्द्रीय अनुदान और परिवहन सहायता की योजना के प्रशासनिक व्यौरे तथा उनके वितरण करने कि प्रक्रिया तैयार की जा रही है ।

श्री एल० आर० दामाणी : विवरण के अनुसार सरकार ने रियायती आर्थिक सहायता द्वारा उद्योग स्थापित करने के लिये कुछ पिछड़े जिलों / क्षेत्रों का चयन किया है । मामले पर विचार हो रहा है । राष्ट्रीय विकास परिषद तथा योजना आयोग की सिफारिशों पर आखिरी निर्णय करने के लिये कितना समय लगेगा ? इसके अतिरिक्त पिछड़े घोषित जिलों के नाम क्या हैं ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : इस कार्यक्रम के आधीन आन्ध्र प्रदेश, असम आदि के जिले भी शामिल हैं । यह एक लम्बा विवरण है । मैं इसे सभा-पटल पर रखूंगा ।

Shri N. S. Bisht: I want to know whether Govt. will consider the inclusion of willy districts at U. P. in this list?

Shri Sidheshwar Prasad: The areas are included in this programme on the suggestions of the state Governments. We will consider the suggestions at the state Governments for including willy districts under this programme.

Shri R. V. Bade: I want to know whether Madhya Pradesh, which is considered to be a backward state has been included under this programme?

Shri Siddheshwar Prasad: In Madhya Pradesh, four similar schemes have been taken up. The names of the districts in which these schemes are being implemented are as under:

Bhilai, District Durg Bhind, District Bhind, East Nimar District Nimar and Sarguja, District Sarguja.

श्री इन्द्रजित मल्होत्रा : मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सभी योजना मन्जूर की जा चुकी हैं या यह सभी देश के उन जिलों के लिए मन्जूर की जा रही हैं जिन्हें कि औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुये घोषित किया जा चुका है ।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : सभी जिलों को एक ही बार ले लेना ही सम्भव नहीं है ।

श्री इन्द्रजित मल्होत्रा : मैंने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है । इन्हें इसका उत्तर देना चाहिये । देश के जितने भी जिले औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुये घोषित किये गये हैं उन सब के लिए सरकार योजनाओं की मन्जूरी नहीं दे सकती । आप जिलों का यह चुनाव क्यों कर रहे हैं ?

Shri K. D. Malaviya: I would like to know whether any directions have been issued by the Centre to State Government for the selection of industrially backward districts? What is the criteria of their selections. It is a very common complaint of the people that the districts which are really backward are not selected.

Shri Siddheshwar Prasad: The following basic conditions are borne in mind while selecting the backward districts:—

(क) जहां कृषि सम्बन्धी हालात अच्छे हों और कृषि सम्बन्धी प्रयास बड़े पैमाने पर किये जा रहे हों और जनसंख्या भी अधिक हो ।

(ख) जहां पर गैर-सिंचाई हालात में कृषि की जाती हो और वहां अतिरिक्त रोज़गार की आवश्यकता हो ।

(ग) जहां पर प्राकृतिक स्थिति अच्छी न होने और पर्याप्त रूप में संसाधनों के विकास की कमी के कारण बेरोज़गारी अधिक हो ।

(घ) आदिम जाति क्षेत्र और दूसरे पिछड़े क्षेत्र ।

(ङ) वे क्षेत्र जहां बड़ी औद्योगिक परियोजनायें स्थापित की गई हो अथवा की जा रही हो ताकि समेकित औद्योगिक ग्राम्य विकास के लिए, उस औद्योगिक परियोजना के क्षेत्रान्तर्गत कृषि तथा लघु उद्योगों का साथ साथ विकास किया जा रहा हो ।

(च) ग्रामीण विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों के समीप के क्षेत्र । ये मार्गदर्शक सिद्धांत हैं ।

श्री सुरेन्द्र महन्ती : मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या इसमें उड़ीसा से सम्बन्धित कोई कार्यक्रम भी शामिल किया गया है और यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : उड़ीसा के दो जिले यथा सम्बलपुर और कटक को इसमें शामिल किया गया है । **बहुत से माननीय सदस्य उठे ।**

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए बहुत से अनपूरक प्रश्न पूछ लिये गये हैं । अब हम प्रश्न संख्या 39, 46 और 49 को लेते हैं क्योंकि वे सभी प्रश्न एक ही विषय से सम्बन्धित है ।

सरकारी क्षेत्र में विदेशी सहयोग से स्कूटर के कारखाने की स्थापना

*39. **श्री बी० के० दास चौधरी :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में स्कूटर का कारखाना स्थापित करने के लिए विदेशी कम्पनियों के साथ चल रही बात-चीत पूरी हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो उन कम्पनियों के क्या नाम हैं जिनके साथ बात-चीत की गई; और

(ग) सहयोग की शर्तें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी): (क) जी, अभी नहीं ।

(ख) इटली के मै० पियागियो के साथ वार्तालाप चल रहा है ।

(ग) सहयोग की शर्तों, और उपबन्धों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है ।

स्कूटरों की मांग तथा लाइसेंस क्षमता

*46. **डा० कर्णीसिंह** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष तथा आगामी दो वर्षों की स्कूटरों की वर्षवार अनुमानित मांग क्या है;

(ख) क्या स्कूटरों के निर्माण की वर्तमान लाइसेंस क्षमता उनकी मांग से बहुत कम है;

(ग) यदि हां, तो सामान्य तथा सरकारी कोटे से अलग-अलग आवंटन के लिए सामान्यतः कितने समय तक प्रतिक्षा करनी पड़ती है; और

(घ) और अधिक क्षमता बढ़ाने के लिए लाइसेंस न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) योजना आयोग द्वारा गठित किये गये परिवहन उद्योग के कार्यकारी दल ने मोटर साइकिलों, स्कूटरों तथा मोपेड़ों (संयुक्त) की वार्षिक मांग का अनुमान इस प्रकार लगाया गया है:—

150,000 संख्या 1971-72 तक
175,000 संख्या 1972-73 तक
210,000 संख्या 1973-74 तक

स्कूटरों की मांग का निर्धारण अलग से नहीं किया गया है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) केन्द्रीय सरकार के कोटे में से स्कूटरों का आवन्टन करने के बारे में प्रतीक्षा की अवधि, स्कूटर के मेक, आवेदक के वेतन तथा उसके कार्य करने के प्रकार के अनुसार भिन्न-भिन्न होती हैं । सामान्यतया यह अवधि वर्तमान उत्पादन स्तर के आधार पर "लम्ब्रेटा" स्कूटर के मामलों में तीन मास से डेढ़ वर्ष तथा "बजाज 150" स्कूटर के मामलों में एक वर्ष से लेकर लगभग सात वर्ष तक होती है ।

जहां तक सार्वजनिक कोटे का सम्बन्ध है प्रतिक्षा की अवधि भिन्न-भिन्न स्थानों में भिन्न-भिन्न हुआ करती हैं । दिल्ली में विक्रेताओं के यहां बुकिंग कराने पर यह अवधि वर्तमान उत्पादन स्तर

के आधार पर लम्ब्रेटा स्कूटर के लिये लगभग सात वर्ष तथा बजाज 150 स्कूटर के लिए लगभग 9 वर्ष की होती है।

(घ) यह कहना ठीक नहीं है कि स्कूटरों का निर्माण करने के लिए और आगे क्षमता बढ़ाने के लिए लाइसेंस नहीं दिए जा रहे हैं। वस्तुत:, देशी नमूनों तथा साधनों पर आधारित प्रतिवर्ष 3,66,000 स्कूटरों की उत्पादन क्षमता के नये उद्योगों की स्थापना हेतु 16 पार्टियों को पहले ही आशय पत्र दे दिये गये हैं। दो और पार्टियों को भी आशय पत्र जारी किये जा रहे हैं जिनकी कुल क्षमता प्रतिवर्ष 48,000 होगी। चार वर्तमान स्कूटर निर्माताओं की विस्तार योजनाओं पर भी विचार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सरकार ने विदेशी परीक्षित नमूने पर आधारित 1,00,000 स्कूटरों की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाले एक कारखाने की सरकारी क्षेत्र में स्थापना करने के प्रश्न पर सिद्धान्त रूप में निर्णय कर लिया है।

सरकारी क्षेत्र में स्कूटरेट कारखाने की स्थापना

*49. **श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सरकारी क्षेत्र में स्कूटरेट का कारखाना स्थापित करने के संबंध में सरकार ने कोई निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना पर कितनी लागत आयेगी ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) से (ग). स्कूटरेट के बनाने के लिए सरकारी क्षेत्र में एकक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, तो भी सरकार ने परीक्षित विदेशी डिजायन के प्रतिवर्ष (1 लाख) स्कूटरों के बनाने के लिए एक सरकारी क्षेत्र का एकक स्थापित करने का निश्चय किया है। इस निर्णय के अनुसरण में विदेशों की इच्छुक पार्टियों से प्रस्ताव आमंत्रित किये गये हैं। उत्तर में वेस्पा स्कूटर बनाने वाली इटली की एक फर्म से सहयोग करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। यह प्रस्ताव वीचाराधीन है।

श्री बी० के० दासचौधरी : स्कूटरों के उत्पादन के सम्बन्ध में सरकार की नीति विलम्बपूर्ण मन्द और बेढ़ंगी रही है। माननीय मंत्री महोदय को सम्भवत: इस बात की जानकारी नहीं है कि इस मामले में पहले भी कई बार निर्णय लिए जा चुके है परन्तु उन पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है; भगवान जाने इसका कारण क्या है। ऐसा सब कुछ हो रहा है। एक ओर कहा गया है कि सरकार विदेशी सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न कर रही है और दूसरी ओर एक अन्य तारांकित प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि सरकार इसका उत्पादन सरकारी क्षेत्र में करने का विचार कर रही है।

मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या गत वर्ष किसी तकनीकी समिति या विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था और यह सुझाव भी दिया था कि इसे इस वर्ष फरवरी तक अपना प्रतिवेदन भेजना चाहिये। क्या यह प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है और यदि हां, तो इसकी सिफारिशों का क्या हुआ ?

जहां तक विदेशी कम्पनीयों के सहयोग से कारखाना स्थापित करने का प्रश्न है मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार मै० पियागियों के साथ कितनी देर ओर केवल बातचीत करती रहेगी और कारखाना कब आरम्भ होगा ?

तीसरे, क्या मंत्री महोदय सदन को यह बताने की कृपा करेगें कि इस समय स्कूटरों की मांग कितनी है ? जहां तक मुझे जानकारी है स्कूटरों के लिए तीन लाख से भी अधिक आवेदन पत्र अनिर्णीत पड़े हैं और स्कूटर को जन साधारण का वाहन कहा जाता है । क्या सरकार इस मामले पर शीघ्र ही कार्यवाही करेगी, और इस सम्बन्ध में तुरन्त कोई अन्तिम निर्णय लिया जायेगा ?

श्री मोइनुल हक् चौधरी : यह ठीक है कि देश के सरकारी क्षेत्र में स्कूटरों का निर्माण करने की सम्भावनाओं का पता और उनके डिज़ाइन तैयार करने के लिए सरकार ने विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की थी । समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा कि स्कूटर के लिए अभी कोई देशीय डिज़ाइन उपलब्ध नहीं है और यदि अब से किसी नये डिज़ाईन को बनाना आरम्भ करें, तो उसे चार या पांच वर्ष लगेंगे । अतः इस परियोजना को तैयार करने और उसे क्रियान्वित करने में तीन वर्ष और लगेंगे । इसलिए यह योजना स्थगित कर दी गई ।

इसीलिए मेरे पूर्ववर्ती मंत्री, ने 18 अगस्त, 1970 की लोक-सभा और राज्य-सभा में वक्तव्य देते हुये कहा था कि हम सरकारी क्षेत्र में एक परियोजना आरम्भ करेगें जहां कि आरम्भ में दोहरी पारी में एक लाख से भी अधिक स्कूटरों का निर्माण किया जायेगा । हमने बातचीत आरम्भ कर दी है और उसमें प्रगति हो रही है । यह ठीक है कि स्कूटरों की बहुत अधिक कमी है । हमने सरकारी क्षेत्र में कम्पनी लगाकर इसे निर्माण करने का फैसला कर लिया है । वर्तमान उत्पादकों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने का प्रश्न भी विचाराधीन है । इसके अतिरिक्त हमने अन्य 16 पार्टियों को आशय-पत्र भी जारी किये हैं ।

श्री बी० के० दासचौधरी : इस समय हमारी स्कूटरों की मांग कुल कितनी है ?

श्री मोइनुल हक् चौधरी : स्कूटरों की माँग बहुत अधिक है । केवल स्कूटरों की मांग का अध्ययन नहीं किया गया । परन्तु मशीनी उद्योगों से सम्बन्ध योजना दल ने अनुमान लगाया है कि 1973-74 तक स्कूटरों, मोटर-साईकलों, श्रीवीलरों, मोपेड़ आदि की कुल मांग 2.10 लाख के करीब होगी ।

श्री बी० के० दासचौधरी : क्या सरकार इस बात के लिए उत्सुक है कि औद्योगिक लाइसेंस नहीं दिये जाये जहां, रोज़गार के अवसर बहुत अधिक हैं ? मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह विदेशी सहयोग से जो स्कूटर परियोजना आरम्भ करने जा रहे हैं, उसे केवल ऐसे क्षेत्र में आरम्भ करें जो वास्तव में पिछड़ा हुआ हो । मंत्री महोदय को स्मरण रखना चाहिये कि पश्चिम बंगाल भारत का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है ।

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : हम छोटी कार के उत्पादन से अब स्कूटर के उत्पादन पर आ गये हैं । मेरे प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा है कि इस उद्योग को सरकारी क्षेत्र में आरम्भ करने की कोई योजना नहीं है । ऐसा करने में सरकार के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट क्या है ?

श्री मोइनुल हक् चौधरी : हम सरकारी क्षेत्र में स्कूटर परियोजना आरम्भ कर रहे हैं। जहां तक स्कूटरेट का प्रश्न है उसके बारे में मैंने कहा है कि उसे हम सरकारी क्षेत्र में आरम्भ नहीं कर रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : इसके मार्ग में प्रमुख रुकावटें क्या हैं ? क्या यह रुकावटें तकनीकी हैं, वित्तीय हैं या फिर राजनीतिक ?

श्री मोइनुल हक् चौधरी : रुकावट यह है कि हम इतनी चीज़ों को अपने हाथ में नहीं ले सकते।

श्री के० लकप्पा : कई वर्षों से हम इस सदन में और इसके बाहर भी सरकार से यह अनुरोध कर रहे हैं कि स्कूटरों के निर्माण करने के लिए कारखाने लगाये जाने चाहिये। मैसूर जैसे अनेक राज्यों ने यह मांग की है कि उनके यहां स्कूटर उद्योग आरम्भ किया जाना चाहिये। सरकार द्वारा अभी तक सरकारी क्षेत्र में स्कूटरों का निर्माण-कार्य आरम्भ न करने से यह बात स्पष्ट होती है कि सम्बद्ध मंत्रालयों में जो अधिकारी है वह बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथों में है जो कि इस उद्योग को सरकारी क्षेत्र में आरम्भ करने के पक्ष में नहीं है।

क्या सरकार हमारी मांग को पूरा करने के लिए सरकारी क्षेत्र में स्कूटर उद्योग स्थापित करेगी ?

श्री मोइनुल हक् चौधरी : मंत्रालय या उसके अधिकारियों पर जो आरोप लगाये गये हैं, मैं उनका खंडन करता हूं। जहां तक मैसूर राज्य का प्रश्न है हम पहले ही मैसूर राज्य औद्योगिक और विकास निगम को प्रतिवर्ष 24,000 स्कूटरों का उत्पादन करने के लिए आशय-पत्र भेज चुके हैं।

श्री पीलू मोदी : मैं इस बात की ज़ोरदार सिफारिश करता हूं कि इसका उत्पादन सरकारी क्षेत्र में आरम्भ नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि कोई भी गरीब व्यक्ति इसे सहन नहीं कर सकेगा।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आसनसोल स्थित, पश्चिमी बंगाल में एक साइकिलों का कारखाना, जिसका नाम सेन रैले है, एक महीने से भी अधिक समय से बंद पड़ा है; अगर हां, तो सरकार ने इस कारखाने को पुनः चालू करवाने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : इस समय स्कूटर की बात हो रही है, साईकल की नहीं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : जब मंत्री महोदय ने यह कहा है कि सरकार लोगों की मांग को पूरा करने के लिए साईकल के कारखाने लगाने पर भी विचार कर रही हैं, तो फिर यहां साईकलों के बारे में प्रश्न क्यों नहीं उठाया जा सकता ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन (उत्तर रेलवे) पर रेलवे कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

* 32 **श्री समर मुखर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे सुरक्षा दल द्वारा एक कुली पर हमले के विरोध में प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन (उत्तर प्रदेश) पर रेलवे कर्मचारियों ने 16 अप्रैल, 1971 को हड़ताल की थी; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या रेलवे सुरक्षा दल के दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार ने कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन पर कोई हड़ताल नहीं हुई। लेकिन प्रतापगढ़ में रेलवे सुरक्षा दल के प्रधान रक्षक और एक बक्सा मारिक में हाथापई के परिणाम-स्वरुप 15-4-1971 को कुछ गाड़ियों को इस स्टेशन पर अपने अनुसूचित ठहराव से अधिक समय तक रुके रहना पड़ा।

(ख) और (ग). सरकारी रेलवे पुलिस, प्रतापगढ़ ने एक मामला दर्ज कर लिया और 15-4-71 को सरकारी रेलवे पुलिस ने दोनों सम्बन्धित कर्मचारियों को गिरफ्तार करके जमानत पर छोड़ दिया। इस मामले की जाँच हो रही है और कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया गया है।

गोहाना-पानीपत रेलवे लाइन (उत्तर रेलवे) का पुनः चलाया जाना

*33 **श्री मुख्तियारसिंह मालिक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गोहाना से पानीपत तक रेलवे लाइन का विस्तार करने के लिये, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध में तोड़ दिया गया था, वचनबद्ध है;

(ख) यदि हां, तो गोहाना से पानीपत तक रेलवे लाइन पुनः बिछाये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस रेलवे लाइन के न होने के कारण हरियाणा की जनता को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) क्या उपर्युक्त क्षेत्र की यातायात समस्या का समाधान करने के लिये सरकार का विचार इस परियोजना को प्राथमिकता देने का है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क), (ख) और (घ). मार्च, 1969 में संसद में बजट पर बहस के दौरान दिये गये आश्वासन पर आधारित और 1969 की अलाभप्रद शाखा लाइन समिति की सिफारिशों का अनुसरण करते हुए गोहाना-पानीपत खण्ड में फिर से लाइन बिछाने के

लिए हाल ही में एक ब्यौरेवार यातायात सर्वेक्षण कराया गया है और सर्वेक्षण रिपोर्ट की रेलवे बोर्ड में जांच पड़ताल की जा रही है। सर्वेक्षण रिपोर्ट पर सभी दृष्टिकोणों से जाँच पड़ताल के बाद ही लाइन को फिर से बिछाने के सम्बन्ध में कोई विनिश्चय किया जायेगा।

(ग) ऐसी कोई कठिनाई रेलवे प्राधिकारियों के ध्यान में नहीं लायी गयी है।

समरतीपुर डिवीजन (पूर्वोत्तर रेलवे) में अपराधों में वृद्धि

*40 **श्री एस० पी० भट्टाचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समरतीपुर डिवीजन (पूर्वोत्तर रेलवे) में अपराधों की संख्या में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) अपराधों की इस बढ़ रही प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हां।

(ख) आम तौर पर उस क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ जाने के कारण।

(ग) राज्य-सरकार से इस मामले पर लिखा-पढ़ी की जायेगी।

सीमेंट के नये कारखाने स्थापित करने के सम्बन्ध में विचाराधीन पड़े प्रार्थनापत्र

41. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमेंट के नये कारखाने स्थपित करने के लिये उन विचाराधीन प्रार्थनापत्रों की संख्या क्या है जिन्हें आशय पत्र जारी किये जाने हैं;

(ख) इसमें विलम्ब किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) आशयपत्र किस समय तक जारी कर दिये जायेंगे ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) पांच।

(ख) कुछ और भी सूचना सम्बन्धित राज्य सरकारों/पार्टियों से लिख कर मांगी गई है, सूचना प्राप्त होने पर लाइसेंस समिति के सामने विचारार्थ रखी जायगी।

(ग) लाइसेंस समिति द्वारा मामलों के निबटा दिये जाने के पश्चात् आशय पत्र जारी किये जायेंगे।

मीटरगेज लाइनों का बड़ी लाइनों में बदला जाना

*42. **श्री डी० के० पंडा :**
श्री विश्वनाथ राय :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मीटरगेज लाइनों को बड़ी लाइनों में परिवर्तन करने के बारे में रेलवे मंत्रालय ने कोई निश्चित योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) योजना की अनुमानित लागत क्या है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) से (ग). देश में अगले 10 से 15 वर्षों में लगभग 230 करोड़ रुपये की लागत से लगभग 3200 कि० मी० लम्बी कुछ महत्वपूर्ण उच्च घनत्व वाले मीटर मार्गों को बड़ी लाइन में बदलने के लिए एक संदर्शी योजना तैयार की गयी है। इन खण्डों का एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। सर्वेक्षण और आर्थिक अध्ययन पूरे हो जाने और उन पर दी गयी रिपोर्टों को सभी दृष्टिकोणों से जाँच लेने और परिवर्तन का औचित्य पाये जाने के बाद ही, वास्तव में बदली जाने वाली लाइनों और उनकी प्राथमिकता के बारे में अन्तिम फैसला किया जायेगा।

विवरण

क्रम सं०	खण्डों के नाम
1	वाराणसी–भटनी–गोरखपुर
2	बाराबंकी–गोंडा–गोरखपुर (इसमें बाराबंकी और गोंडा के बीच समानान्तर बड़ी लाइन शामिल है)
3	बीरमगाम–ओखा–पोरबन्दर
4	गुन्तकल्लु–बंगलूर (इसमें गुन्तकल्लु और धर्मवरम के बीच समानान्तर बड़ी लाइन शामिल है)
5	बोंगाईगांव–गुवाहाटी
6	करुर–डिंडिगुल–तुतीकोरिन (इसमें करुर और डिंडिगुल के बीच नयी बड़ी लाइन और डिंडिगुल और मदुरै के बीच समानान्तर बड़ी लाइन और मदूरै–तुतीकोरिन–मधिपाछी –तिरुनेलिवेल्लि का बदलाव शामिल है)
7	भटनी–बरौनी–कटिहार
8	मुजफ्फरपुर या दरभंगा के रास्ते समस्तीपुर–खन्सौल
9	एर्णाकुलम–क्विलन–तिरूवनन्तपुरम
10	मिरज–लोंडा–हासपेट–भार्मोगांव और अलनावर–डंडेली।

Laying of Railway Line from Tanakpur to Bageshwar in Uttar Pradesh

*43. **Shri N. S. Bisht:** Will the Minister of **Railways (Rail Mantri)** be pleased to state:

(a) whether a few years ago, there was a proposal to lay a Railway line from Tanakpur to Bageshwar in Uttar Pradesh;

(b) if so, the reasons for not implementing that proposal so far and in case the said proposal has been dropped, the reasons therefor; and

(c) the time by which Government propose to construct the said Railway line keeping in view the industrial importance of Bageshwar (chalk-mines, forest products) and also from the point of view of tourism?

The Minister of Railways (Rail Mantri) (Shri Hanumanthaiya): (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

ग्रामीण उद्योगों के लिये योजनायें

*44. **श्री आर० कडनापल्ली :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में ३० अप्रैल, 1971 तक ग्रामीण उद्योगों के लिए नियत योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) ग्रामीण उद्योगों के लिए कौन-कौन सी अन्य योजनायें विचारधीन है ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुलहक चौधरी) : (क) ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम 1962-63 की अवधि में 49 चुने हुये ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू किया गया था । यह कार्यक्रम पांच और क्षेत्रों में जैसे एक हरियाणा में तथा चार ग्रामीण वैद्युत सहकारी परियोजना क्षेत्रों में चालू वित्तीय वर्ष से शुरू किया जा रहा है । इन क्षेत्रों में निम्नलिखित प्रमुख योजनाएं चलाई जा रही हैं:–

(i) तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था;

(ii) वर्कशाप, टूल तथा उपकरण, नमूने आदि की सामान्य सुविधाओं की व्यवस्था,

(iii) आसान शर्तों पर वित्तीय सहायता की व्यवस्था और,

(iv) तकनीकी तथा विस्तार सेवाएं ।

31 मार्च, 1971 तक इस कार्यक्रम पर लगभग 14 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं ।

(ख) सिद्धान्त रूप में यह मान लिया गया है कि परियोजना क्षेत्र का इतना विस्तार किया जायगा जिससे कि सम्पूर्ण जिला उसके अन्तर्गत आ जायेगा । 50 नये जिलों को भी जिन्हें पिछड़ा हुआ क्षेत्र घोषित किया गया है पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया गया है ।

दक्षिण रेलवे में गाड़ियों के भोजन-यानों में खराब किस्म का भोजन सप्लाई करने के बारे में शिकायत

*45. **श्रीमती विभा घोष** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण रेलवे में भोजनयानों में खराब किस्म का भोजन सप्लाई किये जाने के सम्बन्ध में सरकार को कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) भोजनयानों में अच्छा भोजन सप्लाई किये जाने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा कौन से कदम उठाये गये हैं ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). केवल दक्षिण रेलवे के भोजनयानों में ही नहीं बल्कि भारतीय रेलो की सभी खान-पान स्थापनाओं में खान-पान सेवा को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है।

कावेरी जलविवाद के संबंध में निर्णय

*47. **श्री जी० वाई कृष्णन** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मैसूर तथा तामिलनाडु के बीच चल रहे कावेरी जल विवाद पर कब तक निर्णय हो जाने की आशा है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री डा० के० एल० राव : कावेरी जल विवाद के सारे पक्षों पर केन्द्रीय सरकार सावधानीपूर्वक विचार कर रही है और जितनी जल्दी संभव होगा, निर्णय लिया जाएगा।

Issue of Letters of Intent for Industries

*48. **Shri Hukam chand Kachwai:** Will the Minister of **Industrial Development (Audyogik Vikas Mantri)** be pleased to state:

(a) total number of Letters of Intent issued since the 1st April, 1970;

(b) the total amount of capital involved therein; and

(c) the details of the Letters of Intent issued to the heavy industries and to those industries which have a capital investment of more than 5 crores of rupees?

The Minister of Industrial Development (Audyogik Vikas Mantri) (Shri Moinul Haque Choudhury): (a) and (b). During the period from 1-4-1970 to 31-3-1971, 578 letters of intent were issued. Such letters are issued for specific capacities and not for specific values. However, the approximate investment involved is roughly of the order of Rs. 485 crores.

(c) A statement showing brief details of the letters of intent issued during the above period which envisage capital investment of more than Rs. 5 crores in each case, is attached. **[Placed in Library. See No. LT 169/71.]**

कोचीन-मंगलौर तथा कोचीन-मद्रास के बीच एक्सप्रेस गाड़ियाँ

*50. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन और मंगलौर तथा कोचीन और मद्रास के बीच नई एक्सप्रेस गाड़ियां चलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

फतवाह इस्लामपुर लाइट रेलवे और आरा-सासाराम लाइट रेलवे के बन्द किये जाने के सम्बन्ध में ज्ञापन

*51. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में फतवाह-इस्लामपुर लाइट रेलवे और आरा-सासाराम लाइट रेलवे को बन्द होने से रोकने के लिए सरकार समुचित कार्यवाही कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस सम्बंध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमंतैया) : (क) और (ख). सरकार को यह मालूम नहीं है कि जिन कम्पनियों के हाथ में फतवा इस्लामपुर लाइट रेलवे और आरा–सासाराम लाइट रेलवे का स्वामित्व और परिचालन है, उन्होंने इन रेलों को बन्द कर देने का विनिश्चय किया है । अतः इन रेलों के बन्द होने को टालने के लिए कोई विशिष्ट कदम उठाने का कोई मौका नहीं आया । फिर भी, सरकारी रेलों पर किराये भाड़े की दरों में हुई वृद्धि के आधार पर लाइट रेलों की अपनी भाड़ा दरों और यात्री किरायों में वृद्धि करने के प्रस्तावों पर समय-समय पर अनुकूलतापूर्वक विचार किया गया है ।

(ग) अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें बिहार विधानसभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एक ज्ञापन भी शामिल है ।

(घ) ज्ञापन और अभ्यावेदनों पर विचार किया गया है । उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर में बतायी गयी स्थिति को देखते हुए इन पर कोई विशिष्ट कार्रवाई अपेक्षित नहीं है । बिहार के तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री दरोगा प्रसाद राय से एक पत्र मिलने पर, मेरे पूर्ववर्ती रेल मंत्री ने उनके उत्तरवर्ती मुख्य मंत्री श्री कर्पुरी ठाकुर को उसका उत्तर भेजा था जिसमें यह आशा प्रकट की गयी थी कि राज्य सरकार, इन रेलों के समानान्तर जाने वाली सड़कों पर माल या यात्रियों के

वहन के लिए सड़क वाहनों को अनुमति पत्र जारी न करके, इन लाइट रेलों को आवश्यक संरक्षण प्रदान करती रहेगी ताकि उन्हें किसी वित्तीय कठिनाई का सामना न करना पड़े और इस कारण उन्हें रेलों को बन्द करना पड़े। बिहार के मुख्य मंत्री को बाद में लिखे गये एक पत्र में मैंने उनका ध्यान फिर दिलाया है। फिर भी, यदि कम्पनियां, जिनके हाथ में इन रेलों का स्वामित्व है, इन्हें बन्द कर देने का विनिश्चय करती है, तो सभी संगत पहलुओं को ध्यान में रखकर इस सवाल पर विचार किया जायगा कि क्या इन रेलों का राष्ट्रीयकरण कर देने अथवा प्रबंध को अपने हाथ में ले लेने से समस्या हल हो जायेगी।

संविधान के अनुच्छेद 31 में संशोधन

*52. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान के अनुच्छेद 31 में ऐसा कोई संशोधन करने का प्रस्ताव उनके मंत्रालय के विचाराधीन है, जिसमें यह उपबन्ध हो कि लोक हित के लिए जब किसी को सम्पत्ति के अधिकार से वंचित किया जाये अथा कोई सम्पत्ति ली जाये तो उसके लिए मुआवजा बाजार भाव पर देना आवश्यक नहीं है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक किया जानेवाला है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) और (ख). इस मामले पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

कलकत्ता के लिए भूमिगत रेलवे सम्बन्धी परियोजना-प्रतिवेदन

*53. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास कलकत्ता के लिये भूमिगत रेलवे सम्बन्धी परियोजना प्रतिवेदन बहुत समय से पड़ा हुआ है; यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यातायात की गम्भीर समस्याओं को दृष्टि में रखते हुए कलकत्ता के लिए तुरन्त एक भूमिगत रेलवे लाइन की मंजूरी देने की आवश्यकता का सरकार को पता है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) से (ग). योजना आयोग के महानगर परिवहन दल द्वारा शुरू किये गये अध्ययन से मालूम हुआ है कि कलकत्ता में व्यापक द्रुत पारवहन प्रणाली के साथ दो गलियारों की आवश्यकता है—एक उत्तर-दक्षिण में और दूसरा—पूर्व-पश्चिम में। व्यापक द्रुत पारवहन प्रणाली में महानगरीय रेलवे लाइनें भूगत या ऊँचाई पर बनी संरचनाओं पर होंगी।

फिलहाल व्यापक द्रुत पारवहन प्रणाली के लिए तकनीकी-आर्थिक व्यावहारिकता अध्ययन का काम जारी है।

अभी तक कलकत्ता के लिए भूगत रेलवे के बारे में कोई परियोजना रिपोर्ट तैयार नहीं की

गई है। फिलहाल चालू तकनीकी-आर्थिक अध्ययन के आधार पर दमदम से टालीगंज तक बनने वाली एक भूगत रेलवे के लिए परियोजना रिपोर्ट अक्तूबर, 1971 तक उपलब्ध हो जाने की आशा है।

बाटा शू कम्पनी, कलकत्ता का बन्द होना

*54. **श्री समर गुह :** **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**
श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाटा शू कम्पनी, कलकत्ता ने ताला-बन्दी की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) कम्पनी द्वारा कितने कर्मचारियों को सेवा से निकाल दिया गया है;

(घ) इस ताला-बन्दी के परिणाम स्वरूप जूतों तथा अन्य सम्बन्धित उत्पादनों के उत्पादों में कितनी कमी हुई है; और

(ङ) सरकार ने कम्पनी को पुनः खोलने के लिए क्या उपाय किए हैं?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) बाटा शू कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड कलकत्ता नें 25-4-1971 को बाटा नगर स्थित अपना कारखाना बंद कर दिया। पर तालाबंदी का मामला नहीं था।

(ख) श्रमिक उत्पात के कारण कारखाना बंद किया गया था।

(ग) बंद करने के फलस्वरुप कम्पनी ने कारखाने के कामगरों की सेवायें समाप्त कर दी थी। इससे प्रभावित स्थायी कामगरों की संख्या लगभग 11,500 थी।

(घ) कारखाने के बंद होने की अवधि में कम्पनी का अनुमानितः उत्पादन घाटा प्रति सप्ताह 7 लाख जोड़े जूतों का था।

(ङ) बंद होने के तुरन्त पश्चात राज्य श्रमिक प्राधिकारियों द्वारा समझौता वार्ता प्रारम्भ की गई थी जिन्होंने कारखाने को फिर से खुलवाने की दृष्टि से प्रबंधकों से कई बार विचार विनिमय किया। इन प्रयत्नों के फलस्वरुप कारखाना 17 मई, 1971 को फिर खुल गया था।

प्रभावशाली सिंचाई के लिए उत्तर में गंगा और दक्षिण में कावेरी को मिलाना

*55. **श्री कल्याण सुन्दरम् :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंचाई की राष्ट्रीय प्रणाली के प्रभावशाली एकीकरण के लिए उत्तर में गंगा को दक्षिण में कावेरी से मिलाने की संभावनाओं की जाँच करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) और (ख). गंगा बेसिन में अनुप्रवाह क्षेत्र की आवश्यकताओं और प्रतिप्रवाह-क्षेत्र के विकास के लिए जल के लिए गुंजाइश रखने के बाद गंगा में मानसून महीनों के दौरान पटना के निकट व्यपवर्तन के लिए काफी मात्रा में जल उपलब्ध होगा। इसके विपरीत, भारत की बहुत सी अन्य नदियों में, विशेषतया प्रायद्वीप में जल की मात्रा अपर्याप्त और अनियमित रहती है। ये अधिकतर दक्षिण-पश्चिम मानसून पर निर्भर करती है जो ज्यादातर देरी से आता है अथवा शीघ्र समाप्त हो जाता है या बीच में ही बहुत समय तक बंद रहता है, जिसके कारण ये बेसिन अभावग्रस्त इलाके बन जाते हैं।

गंगा के फालतू पानी के एक छोटे से भाग का इसको कावेरी और आगे दक्षिण के साथ जौड़कर, व्यपवर्तन करने की संभाव्यता की प्रारम्भिक ढंग से जांच की गई है। पटना के निकट से मेट्टूर बांध तक गंगा की लींक नहरों को बहुत दूर तक जाना है अथवा देश के विभिन्न वृहत नदी बेसिनों, नामशः सोन, नर्मदा, गोदावरी और कृष्णा और छोटे बेसिनों जैसे पलार, पेन्नार आदि के या तो साथ-साथ जाना होगा या उसको पार करना होगा। जल को जमा करने/उठाने के वास्ते विभिन्न उप-बेसिनों में इन लिंकों के लिए काफी मात्रा में द्रविक (हाइड्रालिक) संरचनाओं का निर्माण करना आवश्यक होगा। शायद क्रास-निकास कार्यों सहित, लगभग 2100 मील नहरों और आवश्यक पम्पिंग स्टेशनों की आवश्यकता होगी।

इस [illegible] प्रस्ताव पर आगे और कार्यालय अध्ययन किये जा रहे हैं।

बिड़ला बन्धुओं की कम्पनियों के बारे में जांच

*56. **श्री सतपाल कपूर** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दत्त समिति के प्रतिवेदन में संबंधित बाद की कार्यवाही के रूप में बिड़ला बन्धुओं की कम्पनियों के बारे में जांच कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, उसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक् चौधरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

मार्च 1971 में मुख्य चुनाव अधिकारियों का दिल्ली में हुआ सम्मेलन

*57. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 27 मार्च, 1971 को समस्त राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्य चुनाव अधिकारियों का दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में क्या निर्णय किए गये थे ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) सम्मेलन में किए गए विनिश्चय दर्शाने वाला एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

27 मार्च, 1971 को हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के सम्मेलन में किए गए निश्चय दर्शाने वाला विवरण ।

(1) 1 जनवरी, 1971 को अर्हता की तारीख मानते हुए वर्ष 1971 में निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण के लिए अन्तिम कार्यक्रम बनाया गया था । इस कार्यक्रम के अनुसार सभी राज्यों में निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण और उनका अन्तिम रूप से प्रकाशन 31 अक्तूबर, 1971 के पहले हो जाना चाहिए ।

(2) लोक सभा के लिए साधारण निर्धाचनों के पहले निर्वाचक नामावलियों से नामों के लोप सम्बन्धी शिकायतों को ध्यान में रखते हुए, यह निश्चय किया गया कि निर्वाचक नामावलियों का घर-घर जाकर सत्यापन करने के लिए लगाए गए प्रगणकों को प्रगणना पुस्तकें दी जानी चाहिए।

(3) यह निश्चय किया गया कि नामनिर्देशन प्ररूप का संशोधन किया जाए ताकि कोई भी अभ्यर्थी अपने उस नाम के बारे में, जिस नाम से उसका उल्लेख निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में किया जाना चाहिए, ठीक-ठीक वर्तनी सहीत घोषणा प्ररूप में ही कर सके, जिससे वही नाम मतदान पत्र पर अपनाया जा सके ।

(4) यह निश्चय किया गया कि सितम्बर या अक्तूबर, 1971 में नई दिल्ली में निर्वाचन अधिकारियों, अर्थात् मुख्य निर्वाचन अधिकारियों, जिला निर्वाचन अधिकारियों, रिटर्निंग आफिसरों सहायक रिटर्निंग आफिसरों, आदि, का एक अखिल भारतीय सम्मेलन किया जाए ।

टेलिफोन केबलों की कमी

*58. **श्री एस० एम० कृष्ण :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में टेलिफोन केबिलों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में टेलिफोन केबलों का निर्माण करने के लिए कुछ और अधिक उद्योगों की स्थापना करने का है; और

(घ) टेलिफोन केबलों के मामले में देश कब तक आत्म-निर्भर हो जायेगा ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) और (ख). चूंकि डाक और तार की वर्तमान मांग देश में केबलों के वर्तमान उत्पादन स्तर से काफी अधिक है इसलिए कमी रही है फिर भी इसे आयात द्वारा पूरा किया जा रहा है ।

(ग) सरकार ने हैदराबाद में पाँच हजार किलोमीटर वार्षिक क्षमता वाला केबलों का एक दूसरा कारखाना स्थापित करने की स्वीकृति दे दी है तथा मे० टैंकों केबल्स लिमिटेड को एक हजार

किलोमीटर वार्षिक तार संचार केबलों की क्षमता स्थापित करने की भी स्वीकृति दे दी है ।

(घ) पाँचवी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ होने तक ।

पश्चिमी कोसी नहर का नेपाल के क्षेत्र में मार्ग निर्धारण करना

*60. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1971 में पश्चिमी कोसी नहर का नेपाल के क्षेत्र में मार्ग निर्धारण करने हेतु नेपाल सरकार की अनुमति प्राप्त करने के लिए कोई प्रयत्न अथवा पेशकश की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) और (ख). भारत सरकार इस बात की लगातार कोशिश कर रही है कि नेपाल में पश्चिमी कोशी नहर के संरेखण (अलाइनमेंट) के लिए वहां की सरकार की अनुमति प्राप्त की जाए । इस सवाल को 1970 में नेपाल सरकार के साथ उठाया गया था, तब से ये कोशिशें की जाती रही हैं कि उनसे जल्दी जवाब मिले लेकिन यह मामला अभी नेपाल सरकार के विचाराधीन है ।

असम में सरकारी क्षेत्र में पेपर/पल्प मिलों की स्थापना

136. **श्री लीलाधर कटकी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम के आर्थिक विकास के बारे में 5 दिसम्बर, 1969 को लोक-सभा में प्रधान मंत्री के वक्तव्य में उल्लिखित पेपर कारपोरेशन की स्थापना इस बीच की जा चुकी है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, और

(ग) असम के सरकारी क्षेम में पेपर/पल्प मिलों की स्थापना के मामले में अब तक सरकार द्वारा कौन से ठोस कदम उठाये गये हैं ?

औद्योगिक विकास राज्य-मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : जी हां ।

(ख) 29 मई, 1970 को निगम का पंजीयन 30 करोड़ रुपये की अधिकृत अंश पूँजी से हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन के नाम में किया गया ।

इसे निम्नलिखित परियोजनाओं के कार्यान्वयन का कार्य सौंपा गया है:–

(i) 16 से 18 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 30,000 मी० टन लुगदी/कागज की क्षमता उत्पन्न करने के लिए नागालैंड लुगदी/कागज परियोजना ।

(ii) लगभग 21 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 75,000 मी० टन अखबारी कागज बनाने की क्षमता वाली केरल अखबारी कागज परियोजना ।

(iii) लगभग 21 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 80,000 मी० टन लुगदी और 50,000 मी० टन कागज बनाने की क्षमता वाली आसाम लुगदी/कागज परियोजना ।

(ग) आसाम लुगदी/कागज परियोजना सम्बन्धी प्रगति निम्न प्रकार बताई जाती है:–

(1) स्थान का चयन करने के लिये अंतिम निर्णय करने हेतु मौके की जांच-पड़ताल की गई है।

(2) 'इन्फास्ट्रक्चर' सम्बन्धी आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करने और कच्चे माल आदि का संभरण करने का सुनिश्चय करने के लिए राज्य सरकारों से बातचीत चल रही है।

(3) परियोजना की विस्तृत आयोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम को सौंप दिया गया है।

(4) प्रस्तावित कारखाने में काम दिलाने के लिये असम से चुने गये व्यक्तियों को आवश्यक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था कर दी गई है और प्रशिक्षण चल रहा है।

(5) असम में एक दूसरा लुगदी/कागज का कारखाना लगाने के बारे में राज्य-सरकार के एक प्रस्ताव पर भी सरकार द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

न्यू बोनगायगांव/जोगीघोप्पा से गोहाटी तक बड़ी लाइन का विस्तार

137. **श्री लीलाधर कटकी :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि न्यू बोनगायगांव/जोगीघोप्पा से गोहाटी और आगे असम में तिनसुकिया तक बड़ी लाइन को बढ़ाने के मामले में अब तब कितनी प्रगति हुई हैं ?

रेल मंत्री (श्री के हनुमन्तैया) : बोंगाईगांव-गुवाहाटी मीटर लाइन खण्ड को बड़ी लाइन में बदलने के लिए इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण किये जा चुके हैं और इस समय, रेलवे बोर्ड सर्वेक्षण रिपोर्टों की जांच कर रहा है। सभी दृष्टिकोणों से सर्वेक्षण रिपोर्टों की जांच कर लेने के बाद ही बदलाव के बारे में कोई विनिश्चय किया जायेगा। यह खण्ड उन खण्डों में से एक है जिसे आमान-परिवर्तन की उस रेलवे संदर्शी योजना में शामिल कर लिया गया है जिसे अगले 10 वर्षों की अवधि में या उसके आस-पास क्रियान्वित करने के बारे में विचार करना है। इस समय बड़ी लाइन को गुवाहाटी से आगे तिनसुखिया तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसके बारे में केवल उसी समय विचार किया जायेगा जब पहले गुवाहाटी तक बड़ी लाइन का निर्माण कर लिया जाये। ब्रह्मपुत्र के दक्षिणी किनारे के साथ-साथ जोगीघोपा से गुवाहाटी तक बड़ी लाइन को बढ़ाने का भी कोई प्रस्ताव नहीं है। इस सम्बन्ध में, यह उल्लेखनीय है कि गुवाहाटी विश्वविद्यालय ने अभी हाल में जो अध्ययन किया है, उसमें उस लाइन को बढ़ाने के लिए पर्याप्त औचित्य नहीं बताया गया है।

ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण आयोग द्वारा बनाई गई योजना

138. **श्री लीलाधर कटकी :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम के आर्थिक विकास के लिए 5 दिसम्बर, 1969 को लोक-सभा में प्रधान मंत्री के वक्तव्य के अनुसरण में स्थापित किए गए ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण आयोग ने ब्रह्मपुत्र के बाढ़ और कटाव के नियंत्रण के लिए इस बीच कोई योजना बनायी है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इसके कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग). ब्रह्मपुत्र बाढ़-नियंत्रण आयोग ने ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़-नियंत्रण और भू-कटाव नियंत्रण की व्यापक योजना तैयार करने का कार्य हाथ में लिया है। इस सम्बन्ध में अपेक्षित नदी सर्वेक्षण पूरे कर लिए गए हैं और जल वैज्ञानिक प्रेक्षण किए जा रहे हैं।

वर्ष 1971-72 में ग्रामों का विद्युतीकरण

139. **श्री सोमचन्द सोलंकी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किसानों तथा छोटे पैमाने के उद्योगों की सुविधा के लिए वर्ष 1971-72 में अधिक से अधिक गांवों के विद्युतीकरण के बारे में निर्णय कर लिया है;

(ख) क्या सरकार ने गुजरात के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के बारे में भी निर्णय किया है जहाँ कि प्रतिवर्ष वर्षा का अभाव रहता है; और

(ग) गुजरात में वर्ष 1971-72 में विद्युतीकरण के लिए प्राथमिकता के आधार पर चुने गए जिलों के नाम क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). इरादा यह है कि अधिक से अधिक ग्रामों और पम्प-सेटों को जल्दी ही बिजली दी जाए। गुजरात उन पांच राज्यों में से एक है जहां ग्राम विद्युत सहकारी संस्थाओं को पाइलट आधार पर स्थापित किया गया है।

गुजरात सरकार ने यह योजना बनाई है कि 1971-72 के दौरान 500 नए गांवों का विद्युतीकरण और 2000 नलकूपों का ऊर्जन किया जाए। इन क्षेत्रों में इस राज्य के कुछ चिरसूखा-ग्रस्त इलाके शामिल हैं।

(ग) 1971-72 के लिए राज्य सरकार के ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम को गुजरात के सभी जिलों में फैला देने की उम्मीद है।

उत्तर गुजरात में सरकारी-क्षेत्र परियोजना

140. **श्री सोमचन्द सोलंकी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का विचार चौथी पंचवर्षीय योजना में विरमगान तालुका और उत्तर गुजरात में किसी सरकारी क्षेत्र परियोजना की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

औद्योगिक विकास राज्य-मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) और (ख). चतुर्थ योजना

अवधि में गुजरात समेत विभिन्न राज्यों में स्थापित होने वाली सरकारी क्षेत्र की प्रस्तावित औद्योगिक और खनिज योजनाएं और उनके स्थान चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की रिपोर्ट (पृष्ठ 326 -330) के अनुबंध II पर दिये गये हैं। विरमगान तालुका तथा उत्तर गुजरात में सरकारी क्षेत्र की परियोजना स्थापित करने का अभी कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है। हां कांडला में एक सहकारी खाद परियोजना स्थापित की जा रही है। सरकारी क्षेत्र की परियोजनाएं तथा गैर सरकारी क्षेत्र के एककों की स्थापना करते समय आर्थिक जीव्यता तथा तकनीकी औचित्य एवं अन्य अपेक्षित स्थापना सम्बन्धी निर्णय और साथ-साथ इस परियोजना विशेष की आवश्यकता पर विचार करना आवश्यक होता है।

त्रिवेन्द्रम-कन्याकुमारी रेलवे लाइन का सर्वेक्षण

141, **श्री एम० के० कृष्णन्** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिवेन्द्रम-कन्याकुमारी रेलवे लाइन के सर्वेक्षण प्रतिवेदन की जांच कर ली गयी है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसे कब तक पूर्ण किये जाने की सम्भावना है; और

(घ) प्रतिवेदन की जांच में विलम्ब के क्या मुख्य कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) से (घ). तिरुअनन्तपुरम्-कुमारी अन्तरीप-तिरुनेलवेलि लाइन की सर्वेक्षण रिपोर्टों पर फिलहाल रेलवे बोर्ड द्वारा विचार किया जा रहा है। बोर्ड कार्यालय के विभिन्न निदेशालयों द्वारा सभी दृष्टिकोणों से रिपोर्टों की बड़े विस्तारपूर्वक जांच की जाती है। जिसमें 4 महीने और लगने की सम्भावना है। जांच में कोई परिहार्य विलम्ब नहीं हुआ है।

औद्योगिक उपक्रमों का लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक विस्तार

142. **श्री मुख्तियारसिंह मलिक** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ औद्योगिक उपक्रमों में अपनी लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक उत्पादन हुआ है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे औद्योगिक उपक्रमों की संख्या तथा उनके नाम क्या हैं जिन्होंने गत तीन वर्षों में अपनी लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक माल तैयार किया है;

(ग) क्या सरकार द्वारा उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास राज्य-मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) और (ख). जी, हाँ। विगत कुछ वर्षों से सरकार को ऐसी कुछ सूचनायें मिली हैं कि औद्योगिक उपक्रमों ने लाइसेंसीकृत क्षमता से अधिक अपने उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि कर ली है। औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति ने

अपनी रिपोर्ट में ऐसे 45 मामलों का उल्लेख किया है, जिसका ब्यौरा इस रिपोर्ट के परिशिष्ट 4 एफ में दिया गया है, जिसकी प्रतियां सभा-पटल पर रखी जा चुकी हैं।

(ग) और (घ). प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

शाहदरा-सहारनपुर लाइट रेलवे का सरकार द्वारा अपने हाथ में लेना और चालू करना

143. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1970 में बन्द की गयी शाहादरा-सहारनपुर लाइट रेलवे को अपने हाथ में लेने और उसे चलाने के बारे में इस बीच निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं।

(ख) एस० एस० लाइट रेलवे के परिचालन में कई वर्षों से आवर्ती हानि होते रहने के कारण कम्पनी ने उसे बन्द कर दिया है। राष्ट्रीयकरण द्वारा हानि का रुख उलटने की सम्भावना नहीं है, बकि इसके विपरीत सरकार द्वारा प्रबन्ध हाथ में लिये जाने से अतिरिक्त दायिताओं के कारण खर्च बढ़ जायेगा। इस रेलवे लाइन के साथ-साथ एक अच्छी पक्की सड़क जाती है। जो यातायात पहले एस० एस० लाइट रेलवे द्वारा होता था उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने इस सड़क पर चलने वाली बस सेवाओं में उपयुक्त वृद्धि कर दी है। अतः सरकार द्वारा इस रेलवे को अपने अधिकार में ले लेने से, इसके परिचालन पर जो आवर्ती हानि होगी उसका बोझ राष्ट्रीय राजकोष पर पड़ेगा जो राष्ट्रीय हित में नहीं होगा।

कार बनाने वाले कारखानों के कार्यकरण की जाँच

144. **श्री मुख्तियारसिंह मलिक :** **श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा :**
श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में कार बनाने वाले कारखाने के कार्यकरण की जांच कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो जाँच कब तक आरम्भ की जायेगी ?

औद्योगिक विकास राज्य-मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) देश के विभिन्न कार निर्माता एककों के कार्य की सामान्य जाँच कराने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) उद्योग को प्रशुल्क संरक्षण देते रहने के प्रश्न के सम्बन्ध में देश के मोटर गाड़ी निर्माण करने वाले एककों की जांच 1967–68 में प्रशुल्क आयोग द्वारा की गई थी। भारत में निर्मित

कारों की किस्म में हुई गिरावट के कारणों की जांच, इस उद्देश्य के लिए गठित एक समिति द्वारा 1967 में कराई गई थी। हाल ही में दूसरी व्यापक जांच कारों के उत्पादन लागत और विक्रय मूल्य के बारे में कार मूल्य जांच आयोग द्वारा ली गई थी। मई, 1970 में एक कार निर्माणकारी एकक के बंद हो जाने के फलस्वरूप कारखाने के बंद होने की परिस्थितियों की पूर्ण और विस्तृत जांच कराने के लिए उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अंतर्गत एक जाँच निकाय गठित किया गया था। इस स्थिति में देश में कार निर्माणकारी एककों के कार्यों की जांच कराना आवश्यक नहीं समझा गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

गुड़गाँव के निकट छोटी कार परियोजना के लिये भूमि का अर्जित किया जाना

145. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटी कार परियोजना की स्थापना के लिये सरकार ने हाल ही में गुड़गाँव के निकट भूमि अर्जित की है;

(ख) क्या अर्जित भूमि उपजाऊ भूमि है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या भूस्वामियों ने भारत सरकार से अपनी भूमि के छोड़े जाने के सम्बन्ध में निवेदन किया है; और

(घ) सरकार की उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिध्देश्वर प्रसाद) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

Industries in Pauri Garhwal (U.P.)

146. **Shri Pratap Singh Negi:** Will the Minister of **Industrial Development (Audyogik Vikas Mantri)** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1222 on the 25th November, 1969 regarding industry in Pauri Garhwal (U.P.) and state:

(a) whether the required information has since been collected from the State Government; and

(b) if so, the details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Industrial Development (Audyogik Vikas Rajya Mantri) (Shri Ghanshyam Oza): (a) Yes, Sir.

(b) It is a fact that most of the timber from the forests of Garhwal is floated down the rivers in the region and thus taken to places where it has a market. In so far as the question of setting up timber based industries in Garhwal itself is concerned, U. P. Government had sometime ago got a survey of the entire hill region made through the NIDC. The Report which inter-alia recommended setting up of some timber based industries in Garhwal has been under the consideration of he Government of U.P. The State Government are keen to develop hill areas and have set up a Hill Development Board for the hill districts of Uttar Pradesh. The Board will recommend the type of industries to be set up in the private sector in the hill district in cluding Garhwal.

Loss of Property Owing to Floods in Alaknanda and Financial Assistance Given by Government

147. **Shri Pratap Singh Negi:** Will the Minister of **Irrigation and Power (Sinchai Aur Vidyut Mantri)** be pleased to state:

(a) the number of persons, who lost property and land, as a result of the devastating floods, which came in Alaknanda in July, 1970;

(b) the amount of financial assistance proposed to be given to those persons, who lost their land and property in the aforesaid areas;

(c) the time by which Government would give such financial assistance to those persons; and

(d) the details of the report of the Enquiry Committee which was constituted in connection with the above floods?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Sinchai Aur Vidyut Mantralaya men Up Mantri) (SHRI B. N. Kureel): (a) The number of persons who lost their property and land as a result of floods in Alaknanda in July, 1970 is 11,610 as reported by the State Government of Uttar Pradesh.

(b) and (c). An amount of Rs. 1,49,100/- has already been given as financial assistance by the State Government to the affected people.

(d) No Committee has been appointed either by the Central Government or the State Government to enquire into the floods in the Alaknanda as such. However, a Committee to go into the causes of siltation of the Ganga Canal during floods of July, 1970 has been constituted by the Ministry of Irrigation and Power. The Report of this Committee is awaited.

औद्योगिक लाइसेंसों के लिये तामिलनाडु से प्राप्त आवेदन-पत्र

148. **श्री मुरुगनन्दम :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तामिलनाडु सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में नये उद्योग एककों की स्थापना हेतु लाइसेंसों के लिये केन्द्र को कितने आवेदन पत्र भेजे गये हैं;

(ख) उनमें से कितने आवेदन स्वीकार किये गये हैं; और

(ग) उनमें से कितने आवेदन अस्वीकृत किए गये हैं तथा उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास राज्य-मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) औद्योगिक लाइसेंसों के लिए आवेदन पत्र सामान्यतया पार्टियों द्वारा दिये जाते हैं। तामिलनाडु में नये औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना हेतु लाइसेंसों की स्वीकृति के लिये एक जनवरी, 1968 से 31 जनवरी, 1971 तक 132 आवेदन पत्र प्राप्त हुये ।

(ख) अब तक दो औद्योगिक लाइसेंस और 34 आशय पत्र जारी किये गये हैं ।

(ग) अब तक 46 आवेदन पत्र अस्वीकृत किए गये हैं । अस्वीकृत करने के यह कारण थे कि उद्योग में अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने का क्षेत्र नहीं था, उद्योग, लघु उद्योग क्षेत्र के लिये आरक्षित था, आदि ।

बिजली मितव्ययिता समिति की सिफारिशें

149. **श्री निहार लास्कर :** **श्री एम० एस० कृष्ण**
श्री एम० कत्तामुत्तु

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिजली मितव्ययिता समिति, जिसे सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था, का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें कौनसी सिफारिशें की गई हैं, और

(ग) सरकार ने ये सिफारिशें किस सीमा तक मानी हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी, हां।

(ख) विद्युत मितव्ययिता समिति ने कुल मिलाकर 188 सिफारिशें की हैं और निष्कर्ष निकाले हैं जिनमें ये शामिल हैं:—

1. उपलब्ध संयंत्र क्षमता के समुपयोजन का नमूना, विद्युत उत्पादन में उनकी प्रचालन दक्षता और मितव्ययिता सुधार का कार्यक्षेत्र;
2. वर्तमान स्थितियों के अन्तर्गत विविध श्रोतों से, मानशः जल, ताप तथा अणु से, विद्युत-उत्पादन आर्थिक पक्ष;
3. विद्युत सप्लाई की स्थिति जिसमें विश्वसनीयता, वोल्टेज की घट-बढ़ और पारेषण हानियां शामिल हैं;
4. विद्युत परियोजनाओं की कार्यान्विति में देरी के कारण और विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के तरीके में सुधार करने और निर्माण अवधि को कम करने के उपाय; और
5. ग्राम विद्युतीकरण के तकनीकी और आर्थिक पहलु।

(ग) समिति की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

कार मूल्य संबंधी आयोग का प्रतिवेदन

150. **श्री निहार लास्कर :** **श्री पी० गंगादेव:**
श्री एम० एम० जोजफ :

क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कार मूल्य संबंधी आयोग का कार के मूल्य बढ़ाने की सिफारिश करने वाला प्रतिवेदन मिल गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा सरकार ने सिफारिशों को किस हद तक स्वीकार कर लिया है;

(ग) क्या सरकार ने मूल्य बढ़ाने के लिए निर्माताओं को अनुमति देने के उच्चतम न्यायालय अन्तरिम आदेश की जांच कर ली है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) जी, हां।

(ख) आयोग के मुख्य निष्कर्ष तथा सिफारिशें विवरण में दी गई हैं। ये अभी विचाराधीन है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 170/71**]

(ग) जी, हां।

(घ) सरकार को उच्चतम न्यायालय का अन्तरिक आदेश मान्य है।

भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडलों के संघ की नई दिल्ली में बैठक

151. **श्री निहार लास्कर :**
श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडलों के संघ की नई दिल्ली में 10 अप्रेल, 1971 को हुई बैठक में प्रधान मंत्री ने भाषण दिया था; और

(ख) क्या उक्त बैठक में की गई सिफारिशें उनके मंत्रालय को प्राप्त हो गई है, और उनकी जांच कर ली है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) से (ख). प्रधान मंत्री ने भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल के संघ के 44वें (न कि चौथे जैसे कि प्रश्न में दिया गया है) सम्मेलन में नई दिल्ली में 10 अप्रेल, 1971 को भाषण दिया था। औद्योगिक विकास मंत्रालय से सम्बन्धित सम्मेलन में पारित प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

निर्वाचन विधि में संशोधन

152. **श्री निहार लास्कर :**
श्री पी० गंगादेब:

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन नियमों में संशोधन करने के सम्बन्ध में विधि आयोग ने कुछ सिफारिशें की हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन नियमों में संशोधन कब तक किये जाने की संभावना है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

पश्चिम बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में तापीय बिजली केन्द्रों का स्थापित किया जाना

153. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सस्ता कोयला बहुतायत से उपलब्ध हो जाने के कारण क्या सरकार के पास पश्चिमी बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में बहुत से तापीय बिजली केन्द्र बनाने की कोई योजना है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) (क) : पश्चिम बंगाल में सन्थालडीह में 240 मैगावाट के ताप विद्युत केन्द्र पर कार्य हो रहा है। पश्चिम बंगाल और बिहार द्वारा साझे इस्तेमाल के लिए उत्तरी बिहार/उत्तरी बंगाल में 100 मैगावट के एक ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव की भी संबंधित राज्य बिजली बोर्डों द्वारा जांच की जा रही है।

बिहार में बरौनी ताप विद्युत केन्द्र में 110 मैगावट का एक उत्पादन सेट लगाकर विस्तार करने का प्रस्ताव है। बिहार के उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में एक अतिरिक्त ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना पर भी बिहार सरकार विचार कर रही है। इस समय उड़ीसा में किसी नए ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, दामोदर घाटी निगम ने 12-12 मैगावाट की दो यूनिटों से चन्द्रपुर तापविद्युत केन्द्र के विस्तार का कार्य हाथ में लिया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

लाभ-बटवारा बोनस के भुगतान के सम्बन्ध में हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, रूपनारायणपुर, (पश्चिम बंगाल) में विवाद

154. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, रूपनारायणपुर, पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों में वर्ष 1969-70 के लाभ-बटवारा बोनस के भुगतान में विवाद के कारण फैले अत्यधिक असंतोष से अवगत हैं;

(ख) सरकार द्वारा विवाद को हल करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं तथा उसका व्यौरा क्या है; और

(ग) विवाद को कब तक समाप्त किया जायेगा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा): (क) से (ग). कम्पनी ने कर्मचारियों को एक महीने का वेतन तथा मंहगाई भत्ता बोनस के रूप में पहले ही दे दिया है। विवादास्पद अन्य प्रश्न हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड के प्रबन्धकों के विचाराधीन हैं।

कोयला खानों को माल डिब्बों का वितरण करने में भ्रष्टाचार

155. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ऐसी गम्भीर शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि कोयला खानों को माल डिब्बों का वितरण करने के मामले में कलकत्ता, धनबाद और आसनसोल स्थित रेलवे कार्यालयों में भारी भ्रष्टाचार व्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो क्या आरोप लगाये गये हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए आदेश देने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री के हनुमन्तैया) : (क) और (ख). शिकायतें मिली हैं जिनमें यह आरोप लगाया गया है कि कोयला-खानों से कोयले के लदान के लिए कम मालडिब्बे सप्लाई किये जाते हैं। इनमें से कुछ शिकायतों में यह भी आरोप लगाया गया है कि मालडिब्बों के आवंटन के मामले में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इनमें से अधिकांश में भ्रष्टाचार का जो आरोप लगाया गया है, वह बहुत ही सामान्य ढंग का है और उसमें वे अपेक्षित ब्यौरे नहीं दिये गये गये हैं जिनसे समुचित जांच करने में सहूलियत हो।

(ग) और (घ). भ्रष्टाचार की विशिष्ट शिकायतों और कदाचार के मामलों की हमेशा जांच की जायेगी तथा उपयुक्त कार्रवाई की जायेगी और जरूरत पड़ने पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो का भी सहयोग लिया जायेगा।

आसनसोल और झरिया कोयला खानों के कोयले को हटाने के लिए कोयला खानों को माल डिब्बों की सप्लाई

156. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि माल डिब्बों की भारी कमी के कारण दिसम्बर, 1970 से लेकर मार्च 1971 के बीच आसनसोल तथा झरिया में कोयला खानों के मुहानों में कोयला भारी मात्रा में जमा हो गया था; और

(ख) इस स्थिति में सुधार करने और इन दो भट्टियों में कोयला खानों को माल डिब्बों की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये क्या विशिष्ट कदम उठाये गये हैं और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हां। 1970-71 में पश्चिम बंगाल और बिहार के कोयला क्षेत्रों से कोयले का कम लदान होने के कारण कोयला खदानों में कोयले का स्टाक बढ़ गया है। जहां तक कोकिंग कोयले का सम्बन्ध है, इस्पात कारखानों की मांगें कोयले के उत्पादन से पिछड़ गयी हैं और इससे भी खदानों में अधिक स्टाक जमा हो गया है।

(ख) 1970-71 में पश्चिम बंगाल और बिहार की खानों से कोयले के लदान में कमी का एक कारण यह था कि अगस्त 70 तक पिछले वर्ष की तुलना में कम मांगें प्राप्त हुई और उसके पूर्वी क्षेत्र में रेलों को गम्भीर कठिनाइयों का सामना पड़ा जो कि उनके नियन्त्रण से बाहर थीं। इन कठिनाइयों में माल डिब्बों के पुर्जों, ऊपरी कर्षण तारों, दूर-संचार केबलों, रेलपथ सम्बन्धी सामान की बड़े पैमाने पर चोरी, सवारी गाड़ी और माल गाड़ियों में तोड़-फोड़, रेल कर्मचारियों पर हमले और उनकी हत्या, रेल कर्मचारियों द्वारा की गयी छोटी-बड़ी हड़तालें, स्टेशनों पर और कार्यालयों में रेल सम्पत्ति को लूटना और उसमें आग लगाना, स्टेशनों, यार्डों और कालोनियों में बम फेंकना, बन्द, हड़तालें और अन्य प्रकार से काम बन्द कर देना जिनसे रेल परिचालन ठप्प हो जाय और इसी तरह की अन्य कई समाज-विरोधी कार्रवाइयां शामिल हैं।

रेल गाड़ियों के सुचारू रूप से संचलन तथा पश्चिम बंगाल और बिहार क्षेत्रों की कोयला खानों के लिए माल डिब्बों की सप्लाई पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला सबसे बड़ा एक मात्र कारण पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की प्रतिकूल स्थिति है। यह रेलों के क्षेत्र और नियंत्रण से बाहर की बात है, क्योंकि कानून और व्यवस्था बनाये रखना मुख्यतः राज्य सरकारों का काम है। फिर भी, अपनी ओर से रेलों ने उस क्षेत्र में अपने सुरक्षा दल के कर्मचारियों की संख्या यथासंभव अधिक से अधिक बढ़ा दी है। रेल प्राधिकारियों द्वारा पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार से सभी स्तरों पर यथासम्भव निकटतम समन्वय रखा जा रहा है ताकि इस प्रकार की गतिविधियों से कारगर ढंग से निबटा जा सके। उच्च अधिकारियों से उस क्षेत्र में रेल परिचालन की फिर से सामान्य स्थिति में लाने के लिए ठोस और प्रभावकारी उपाय बरतने के लिए अनुरोध किया गया है लेकिन अभी तक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है।

रेलवे बोर्ड के प्रमुख खनन सलाहकार के अधीन लोको निरीक्षण संगठन के कर्मचारियों को स्थायी करना

157. **श्री रोबिन सेन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धनबाद में रेलवे बोर्ड के प्रमुख खनन सलाहकार के अधीन लोको निरीक्षक संगठन में काफी लम्बे समय से कार्य कर रहे कर्मचारियों को अभी तक स्थायी नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है तथा उन्हें स्थायी न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार उन कर्मचारियों को स्थायी करने के लिए कार्यवाही कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हां।

(ख) से (घ). मुख्य खनन सलाहकार, धनबाद के अधीन अस्थायी आधार पर इंजन कोयला निरीक्षण संगठन स्थापित किया गया है और इसे स्थायी रूप देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। कर्मचारियों का स्थायीकरण संगठन को स्थायी रूप देने के बारे में निर्णय लिए जाने और एक स्थायी संवर्ग की मंजूरी मिल जाने के बाद ही संभव होगा।

Higher Cost of Motor Cars Manufactured in India

158. **Shri Atal Bihari Vajpayee:**
Shri Bhogendra Jha: **Shri T. S. Lakshmanan:**

Will the Minister of **Industrial Development (Audyogik Vikas Mantri)** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a Study Report of the World Bank which has indicated that the prices of motor cars manufactured in India with 85 per cent indigenous parts, are 120 per cent more than those manufactured in Europe; and

(b) the reasons therefor and the reaction of Government thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Audyogik Vikas Mantralaya men Up Mantri) (Shri Siddheshwar Prasad): (a) Government have seen the World Bank Staff Occasional Papers Nunber Eight titled "Automotive Industries in Developing Countries" by Jack Baranson in which a comparison of the prices of cars manufactured in India before and after devaluation has been made with the prices of cars in Europe.

(b) A comparison of the ex-factory prices of cars manufactured in the country with those produced in Europe is not possible as the models of the cars currently under production in the country are no longer produced abroad. It is, however, a fact that the prices of cars produced in India are higher than the prices of comparable models of cars produced in foreign countries. The main reasons for the high cost of production to cars in the country include the low volume of production, the higher prices of plant and machinery, the higher costs of production of components, the higher prices of raw materials and the higher incidence of taxation.

Power Required by Uttar Pradesh from Other States

159. **Shri Atal Bihari Vajpayee:**
Shri S. M. Banerjee:

Will the Minister of **Irrigation and Power (Sinchai Aur Vidyut Mantri)** be pleased to state:

(a) whether the Minister for Power in Uttar Pradesh has recently stated that the State is in dire need of five hundred megavatts of power which should be supplied from neighbouring States; and

(b) if so, the reaction of Government thereto and the action taken in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Sinchai Aur Vidyut Mantralaya Men Up Mantri) (Shri B. N. Kureel): (a) The Minister for Power, Uttar Pradesh had brought out that there is heavy shortage of 5 million units/day.

(b) The Government of India is trying to assist Uttar Pradesh in obtaining additional power from the neighbouring power system of Madhya Pradesh, Damodar Valley Corporation and Delhi to the extent possible. The inter-State lines required for the transfer of additional power are being accelerated.

छोटी कार परियोजना

160. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
श्री रामसहाय पांडे :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटी कार परियोजना की स्थापना के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) क्या किसी पार्टी को लाइसेंस दे दिया गया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) सरकारी क्षेत्र में विदेशी परीक्षित डिजायन पर आधारित प्रति वर्ष 50,000 कारों की अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने के लिए सरकार के निर्णय के अनुसरण से विदेशों के इच्छुक कार निर्माताओं से सहयोग करने के प्रस्ताव आमंत्रित किये गये थे। इसके उत्तर में निम्न लिखित आठ फर्मों से सहयोग करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे :—

1. रेगी नेशनेल देस यूसाइनेस रिनांल्ट, फ्रांस।
2. मे० फीयेट एस० पी० ए० इटली।
3. मे० निरसान मोटर कम्पनी लि०, जापान।
4. मे० फोर्ड प्रोडक्टस् कम्पनी, आस्ट्रेलिया।
5. मे० वोल्क्स् वेगन, पश्चिमी जर्मनी।
6. मे० टोपों कोग्यों, जापान।
7. मे० अलफा रोमियों, इटली।
8. मे० जेस्तेवा, यूगोस्लाविया।

इन प्रस्तावों पर विभिन्न दृष्टि कोणों से विचार करने के पश्चात् यह पाया गया था कि क्रम सं० 5 से 8 पर दी गई पार्टियों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव प्रत्यक्षत: अग्रेतर विचार के लिए कोई उपयुक्त आधार उपस्थित नहीं करते। इन पार्टियों को तद्नुसार सूचित कर दिया गया है। क्रम सं० 1 से 4 पर उल्लिखित पार्टियों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर आगे विचार किया जा रहा है।

(ख) यात्री कारों के निर्माण के लिए गैर सरकारी क्षेत्र की पार्टियों की योजना के सम्बन्ध में सरकार ने गैर सरकारी क्षेत्र की ऐसी पार्टियों को आशय पत्र जारी करने का निर्णय किया था जो पूर्णतया देशी डिजायन पर आधारित तथा बिना आयात किए अथवा बिना विदेशी मुद्रा के आवंटन की आवश्यकता के कार बनाने के लिए तैयार हैं। इस निर्णय के अनुसरण में गैर सरकारी क्षेत्र की 2 पार्टियों को कुछ शर्तों के अधीन यात्री गाड़ियों के बनाने के लिए आशय पत्र स्वीकृत किये गये हैं। आशय पत्रों की शर्तों को पूरा कर देने के पश्चात् इन पार्टियों के आशय पत्रों को औद्योगिक लाइसेंसों में परिवर्तित कर दिया जायेगा।

उद्योगों में किस्म नियन्त्रण

161. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय सांख्यकीय संस्थान के डा० सी० आर० राव द्वारा व्यक्त विचारों की ओर दिलाया गया है कि भारत में किस्म नियंत्रण के बारे में सभी को चिन्ता है परन्तु यह जिम्मेदारी किसी की भी नहीं है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार एक उपयुक्त व्यवस्था बनाने का है जिससे सभी उद्योगों में किस्म नियन्त्रण लागू किया जाये ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) भारतीय उद्योगों में किस्म नियन्त्रण द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा करते समय, भारतीय साँख्यिकी संस्था द्वारा मार्च 1971 में आयोजित किस्म नियन्त्रण पर पाँचवे अखिल भारतीय सम्मेलन के अवसर पर, डा० सी० आर० राव, निदेशक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण, भारतीय साँख्यिकी संस्था ने कहा बताते हैं कि किस्म नियन्त्रण को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने के लिए सम्बन्धितों द्वारा कोई विशेष प्रयत्न नहीं किये गये हैं, यद्यपि इस प्रणाली से काफी लाभ हुआ है ।

(ख) निम्नलिखित कानूनों द्वारा सरकार अनिवार्य किस्म नियन्त्रण को प्रयोग में लाती है :—

1. खाद्य मिलावट निरोधक अधिनियम, 1954
2. औषधि और अंगराग अधिनियम, 1940
3. अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और
4. निर्यात (किस्म नियन्त्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963

निम्नलिखित कानूनों द्वारा ऐच्छिक किस्म नियन्त्रण प्रयोग में लाया जाता है :—

1. कृषि उत्पाद ग्रेडिंग और पिणन अधिनियम, और
2. भारतीय मानक संस्था प्रमाणीकरण चिन्ह अधिनियम ।

सरकार ने एक समय आंतरिक खपत की वस्तुओं के किस्म नियन्त्रण के लिए एक अलग व्यापक विधान आरम्भ करने के प्रश्न पर विचार किया था । परन्तु अन्तर्ग्रस्त जटिलताओं, उत्पादों की बड़ी संख्या और अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस मामले में कोई केन्द्रीय आदेश लागू करना उचित नहीं समझा गया ।

सम्पत्ति का अधिकार समाप्त करने के लिए संविधान में संशोधन

162. **श्री बी० के० दासचौधरी :**
श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मूल अधिकारों में से सम्पत्ति के अधिकार को समाप्त करने के उद्देश्य से संविधान में संशोधन के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में निर्णय कब तक किए जाने की संभावना है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कलकत्ता, हावड़ा तथा आसनसौल के निकटवर्ती क्षेत्रों में माल डिब्बों को तोड़ने तथा लूटने की घटनाओं में वृद्धि

163. **श्री चन्द्रप्पन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता, हावड़ा तथा आसनसौल में तथा इनके निकटवर्ती क्षेत्रों में माल

डिब्बों को तोड़ने तथा लुटने की घटनायें बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) 1968, 1969, 1970 तथा 1971 में ऐसी कितनी घटनायें हुई तथा रेलवे द्वारा इनके लिये कुल कितनी क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया;

(घ) सरकार ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है; और

(ङ) इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क), (ख), (ग) और (ङ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(घ) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

माल डिब्बों की तोड़-फोड़ और लूटपाट को रोकने के लिए किये गये उपायः–

1. माल डिब्बों में लदे परेषणों से छेड़-छाड़ रोकने के लिए उन पर मुहर लगायी जाती है, रिबेट, ताले या ई० पी० ताले लगाये जाते हैं और निभार की व्यवस्था (टपकने योग्य परेषणों में) की जाती है ।
2. चौरियों के स्थान का पता लगाने के जिए जांच के प्रत्येक स्थान पर सील की जांच की जाती है ।
3. रेलवे सुरक्षा दल द्वारा दिन-रात यार्डों और मालगोदामों की निगरानी की जाती है ।
4. बहुमूल्य वस्तुएं ढोने वाली गाड़ियों में रेलवे सुरक्षा दल द्वारा अनुरक्षी व्यवस्था की जाती है ।
5. जिन क्षेत्रों, यार्डों/स्थानों में चौरी की आशंका रहती है उनमें सशस्त्र या निःशस्त्र रेलवे सुरक्षा दल द्वारा अथवा रेलवे सुरक्षा दल के कुत्ता दल द्वारा गश्त लगायी जाती है ।
6. बदनाम स्थानों का पता लगाने के लिए विभिन्न रेलों पर स्टेशनों के चुने हुए जोड़ों पर एक पायलट योजना शुरू की गयी है जिसमें यानान्तरण स्थल भी शामिल है जहां ऐसे माल पर कड़ा पर्यवेक्षण किया जाता है जिसके चढ़ाने और उतारने में उठाईगीरी की आशंका रहती है ।
7. अपराधियों का पता लगाने की दृष्टि से आसूचना इक्ट्ठी करने के लिए सादे लिबास में रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारी तैनात किये जाते हैं ।
8. चौरी का माल रखने वालों के सम्बन्ध में आसूचना इकट्ठी करने के लिए विशेष खुफिया कर्मचारी रखे जाते हैं और उनकी दूकानों/गोदामों पर पुलिस की सहायता से छापे मारे जाते हैं ।

9. अपराधियों को रंगे हाथों पकड़ने के लिए अचानक छापे मारने के उद्देश्य से रेलों के अपराध आसूचना कर्मचारी और रेलवे बोर्ड के केन्द्रीय अपराध ब्यूरो के कर्मचारी तैनात किये जाते हैं।

10. रेलवे सुरक्षा दल और सरकारी रेलवे पुलिस और स्थानीय पुलिस के बीच विभिन्न स्तरों पर निकट सम्पर्क बनाये रखा जाता है ताकि अपराधियों और चोरी का माल रखने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कारगर कार्रवाई की जा सके।

11. चोरी का माल रखने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाये जाते हैं और रेलवे सम्पत्ति (गैर-कानूनी कब्जा) अधिनियम, 1966 के अन्तर्गत मामले दर्ज किये जाते हैं।

Full utilisation of installed capacity of Engineering Industries

164. **Shri Ishwar Chaudhury:**
Shri Muhammad Sheriff: **Shri R. V. Bade:**

Will the Minister of **Industrial Development (Audyogik Vikas Mantri)** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the President of the Engineering Association of India has stated that an increased additional production worth Rs. 500 crores can be achieved by allowing the engineering industry to utilize its production capacity to full extent and thereby the financial condition of the Government can be improved; and

(b) if so, the reaction thereto and the proposed programme of Government in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Industrial Development (Audyogik Vikas Mantralaya men Rajya Mantri) (Shri Ghanshyam Oza): (a) The President of the Engineering Association of India has stated that there is scope to increase production of engineering industries.

(b) With a view to encourage production, Government have liberalised the licensing policy according to which units having an investment of less than Rs. one crore are exempted from licensing, subject to certain conditions. Government have also abolished the 'Banned' list of Industries for purpose of industrial licensing. They are also taking/contemplating further liberalisation of import policy, particularly in respect of capital goods.

Defective Ballot Papers

165. **Shri Ishwar Chaudhury:** Will the Minister of **Law and Justice (Vidhi Aur Nyaya Mantri)** be pleased to state:

(a) the number of ballot papers which were required to be printed in place of defective ballot-papers in connection with the mid-term elections to Lok Sabha and some State Assemblies held recently;

(b) the details of the rules and regulations for maintaining an account thereof;

(c) whether Government propose to show defective ballot-papers and the serially numbered ballot papers to the candidates and their parties; and

(d) if so, when and if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Law and Justice (Vidhi Aur Nyaya Mantralaya Men Rajya Mantri) (Shri Nitiraj Singh Chudhury): (a) to (d). The information is being collected from all the State Governments and Union Territories.

प्रमुख उद्योगों की समस्याओं की जांच करने के लिए विशेषज्ञ समिति

166. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रमुख उद्योगों की समस्याओं की जांच करने तथा उनके कार्य में सुधार करने हेतु एक विशेषज्ञ समिति स्थापित करने के बारे में कोई निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि नहीं तो इस विलम्ब के क्या कारण है; और

(ग) इस बारे में कब तक निर्णय कर लिया जायेगा ?

औद्योगिक विकास राज्य:मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) से (ग). यद्यपि मूलभूत उद्योगों के लिये कोई विशिष्ट विशेषज्ञ समिति नहीं बनाई गई है, तो भी सरकार इस बात का सुनिश्चय करने का प्रयास कर रही है कि जहां तक सम्भव हो सके अनेक मूलभूत और आवश्यक क्षेत्रों, जिन्हें आन्तरिक (कोर) उद्योगों का नाम दिया गया है, के लिए निर्धारित उत्पादन लक्ष्य पूरा किया जाये । इस प्रयोजन के लिए, आवश्यक समन्वय और अनुवर्ती कार्य योजना आयोग के माध्यम से और प्रशासकीय मंत्रालयों द्वारा किया जाता है ।

थुम्बा केन्द्र के समीप लघु उद्योगों की स्थापना

167. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री थुम्बा के समीप लघु उद्योगों की स्थापना से संबंधित 24 नवम्बर, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 308 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बारे में इस बीच कोई निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त निर्णय कब तक कर लिया जायेगा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है सभा पटल रख दी जायेगी ।

खादी तथा ग्राम उद्योगों में पूंजी निवेश

168. **श्री डी० के० पंडा** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी तथा ग्रामोद्योग दोषपूर्ण विपणन से ग्रस्त हैं;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने खादी कपड़ा उद्योग में पर्याप्त पूँजी नहीं लगायी है;

(ग) क्या खादी उद्योग में अतिरिक्त पूंजी निवेश से बेरोजगार तथा अर्ध-रोजगार प्राप्त

कृषकों के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नये अवसर पैदा हो जायेंगे; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बात की कोई जांच की है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) बिक्री में बढ़ोतरी हो रही है।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी हां।

(घ) जी हां।

Closure of Light Railways

169. **Shri N. S. Bisht:** Will the Minister of **Railways (Rail Mantri)** be pleased to state:

(a) the places where Light Railway lines have been closed down during the last one year;

(b) the number of persons rendered jobless as a result of such closures; and

(c) the number of persons who have been provided with alternate employment and the time by which the remaining persons would be provided employment?

The Minister of Railways (Rail Mantri) (Shri Hanumanthaiya): (a) The Shahdara-Saharanpur Light Railway in the State of U. P. has been closed down since 1-9-1970 by the Company owning and operating it. Howrah-Zmta and Howrah-Sheakhala Light Railways in the State of West Bengal have similarly been closed down since 1-1-1971 by the Companies owning and operating them.

(b) The number of staff rendered jobless as a result of the closure of these Railways was 1173 on Shahdara-Saharanpur Light Railway, 1357 on both Howrah-Amta and Howrah-Sheakhala Light Railways taken together and 219 in the headquarters of these Railways at Calcutta.

(c) 1013 ex. employees of Shahdara-Saharanpur Light Railway were called by the Northern Railway for screening to determine the jobs on which they could be employed in Government Railways. Only 816 actually attended the screening. From among the staff so screened, 124 persons have already been appointed. The appointment of the remaining staff is being processed. The staff belonging to Howrah-Amta and Howrah Sheakhala Light Railways were to be offered employment on the Eastern and South Eastein Railways. There is vehement opposition to this from the staff unions of the Eastern and South Eastern Railway due to which it has not been possible to progress their appointment. The resolution of this situation is under examination to see how these staff can be offered employment on Government Railways at an early date.

Percentage of Electrification Low in U. P. in Comparison to other States

170. **Shri N. S. Bisht:** Will the Minister of **Irrigation and Power (Sinchai Aur Vidyut Mantri)** be pleased to state:

(a) whether in spite of the vast population and area of Uttar Pradesh, the percentage of population and area covered by electrification is very low in the State as compared to other States in the country;

(b) if so, the district-wise details thereof;

(c) whether Central Government propose to take up such hydel Projects by utilising the water of the rivers flowing in the hilly areas of Uttar Pradesh as can be helpful in providing irrigation facilities and electricity in Uttar Pradesh as also to neighbouring States; and

(d) if so the details of such projects and the progress likely to be made in the industrialization of Uttar Pradesh and its neighbouring States and the number of persons likely to get employment as a result thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Sinchai Aur Vidyut Mantralaya men Up Mantri) (Shri B. N. Kureel): (a) Yes, Sir.

(b) The required information is given in Annexure I. **[Placed in Library. See LT 171/71].**

(c) and (d). Hydel projects will normally be taken up by the State authorities.

New Railway Lines in Uttar Pradesh

171. **Shri N. S. Bisht:** Will the Minister of **Railways (Rail Mantri)** be pleased to state:

(a) the names of those places in Uttar Pradesh where Government propose to lay broad gauge and metre gauge railway lines during the year 1971-72;

(b) whether Government also propose to lay some new railway lines in the border areas of Uttar Pradesh;

(c) if so, the names of these border areas; and

(d) if not, the reasons therefor?

The Minister of Railways (Rail Mantri) (Shri Hanumanthaiya): (a) to (d). Railway development is not envisaged on any Statewise or regionwise concepts but on overall development consideration in the National interest. The funds for new lines in the Fourth Plan are very limited and only very few lines justified on top priority development/defence considerations will be taken up for construction in the Fourth Plan. The Fourth Plan new line proposals have not yet been finalised. It is too early to say whether any line falling wholly or partly in Uttar Pradesh (border areas or otherwise) will be taken up for construction in 1971-72 or in the Fourth Plan.

Broad Guage Railway Line from Moradabad to Kathgodam

172. **Shri N. S. Bisht:** Will the Minister of **Railways (Rail Mantri)** be pleased to state:

(a) whether Government propose to construct a new broad gauge Railway line from Moradabad to Kathgodam in Uttar Pradesh;

(b) if so, the date by which the work would be taken in hand; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Minister of Railways (Rail Mantri) (Shri Hanumanthaiya): (a) No.

(b) Does not arise.

(c) A fresh traffic survey for a broad gauge railway line from Rampur, a station on the Moredabad-Bareilly B. G. section, to Haldwani (near Kathgodam) was carried out in 1969-70. The survey reports confirmed the conclusion of the earlier surveys carried out in 1956-57 that this 92.0 Kms. long line, which would cost Rs. 7.84 crores to construct, would be financially unremunerative. Construction of this line, has therefore been deferred.

मत पत्र निरीक्षण सम्बन्धी नियमों में परिवर्तन

173. **श्री आर० कडनापल्ली** क्या **विधी और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मत-पत्र निरीक्षण संबंधी नियमों में कुछ परिवर्तन करने के बारे में विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बुलन्दशहर से दिल्ली के लिये सीधी रेल गाड़ी

174. **(श्री हरी सिंह)** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रदेश में बुलन्दशहर से दिल्ली के लिये एक नई सीधी रेल गाड़ी चलाने का है; और

(ख) यदि हां, तो यह कब तक चालू कर दी जायेगी ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

वर्ष 1970-71 के दौरान खुर्जा रेलवे स्टेशन पर हुई रेलवे दुर्घटनाएं

175. **श्री हरी सिंह :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970 तथा 1971 में खुर्जा रेलवे जंक्शन उत्तर रेलवे पर कितनी रेलवे दुर्घटनायें हुई;

(ख) इन दुर्घटनाओं के क्या कारण हैं; और

(ग) रेलवे-सम्पत्ति की क्षति का क्या अनुमान था ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) 1970 और 1971 (30-4-1971 तक) के वर्षों में खुर्जा जंक्शन पर केवल एक गाड़ी दुर्घटना हुई जो 26-10-1970 को घटी थी ।

(ख) यह दुर्घटना रेल कर्मचारियों की गलती से हुई थी ।

(ग) इस दुर्घटना में रेल सम्पत्ति को लगभग 16,99,000 रुपये की क्षति पहुंचने का अनुमान है ।

पूर्वी रेलवे चिकित्सा विभाग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के लिए आरक्षण

176. **श्री जी० वाई० कृष्णन् :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी रेलवे चिकित्सा विभाग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों

के लोगों के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित हैं, और

(ख) उपरोक्त विभाग में काम करने वाले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों से सम्बन्धित स्वास्थ्य निरीक्षकों की संख्या कितनी है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जिन कोटियों में वेतनमान 375 रु० प्रतिमास से अधिक होता है उनके लिए भर्ती में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए क्रमशः 15 प्रतिशत और 7½ प्रतिशत का कोटा अनुमेय है जबकि अन्य कोटियों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए यह कोटा 17 प्रतिशत और 7 प्रतिशत है ।

जहां सीधी भर्ती 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होती वहा श्रेणी III में चयन पदों पर पदोन्नति के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए क्रमशः 15 प्रतिशत और 7½ प्रतिशत का कोटा मंजूर किया जाता है ।

(ख) पूर्व रेलवे पर अनुसूचित जातियों के दो स्वास्थ्य निरीक्षक और अनुसूचित जन जाति का एक स्वास्थ्य निरीक्षक 130-240 रु० के पदक्रम में काम कर रहा है ।

Manufacture of Scooters with Italian Collaboration in Public Sector

177. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Industrial Development (Audyogik Vikas Mantri)** be pleased to state:

(a) whether a Vespa Scooter manufacturing company of Italy has offered its collaboration to the Government for manufacturing Scooters in the public sector; and

(b) if so, Government's reaction thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Audyogik Vikas Mantralaya men Up Mantri) (Shri Siddheshwar Prasad): (a) Yes, Sir.

(b) Preliminary discussions have been held with a delegation of the company in regard to the technical and financial aspects of their proposal. In pursuance of these discussions, the company will submit their firm offer, which is now awaited.

Loss to Railways due to Gheraos on Indian Railways

178. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Railways (Rail Mantri)** be pleased to state:

(a) the total number of cases of 'Gheraos' on the Indian Railways during the last two years;

(b) the estimated amount of loss sustained by the Indian Railways on this account; and

(c) the steps proposed to be taken by Government to put an end to the 'Gherao' tactics?

The Minister of Railways (Rail Mantri) (Shri Hanumanthaiya): (a) to (c). Information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

Setting up of Cement Plant in Hoshangabad (M.P.)

180. **Shri Hukam Chand Kachawai;** Will the Minister of **Industrial Development (Audyogik Vikas Mantri)** be pleased to state:

(a) whether Madhya Pradesh contains deposits of lime stone of 'A' grade and in sufficient quantities which would be suitable for setting up cement plants;

(b) whether the State Government recommended two applications for grant of licences for setting up a cement plant in the industrially backward Hoshangabad district;

(c) if so, whether Government propose to sanction the licences in order to develop this industrially backward District and to utilize surplus lime stone; and

(d) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Industrial Development (Audhyogik Vikas Mantralaya men Rajya Mantri) (Shri Ghanshyam Oza): (a) and (b). Yes, Sir.

(c) The matter is under consideration.

(d) Does not arise.

लाइसेंस प्राप्त कुलियों की शिकायतों तथा उनकी कार्य स्थिति की जांच करने सम्बन्धी आयोग

181. **श्री कृष्ण हाल्दर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे लाइसेन्स प्राप्त कुलियों की शिकायतों तथा उनकी कार्यस्थिति की जांच करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया था; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आयोग ने अपना प्रतिवेदन सरकार को भेज दिया है;

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक प्रकाशित कर दिया जायेगा; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक है, तो प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में विलम्ब किये जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) रेलवे लाइसेंसधारी भारिकों और रेलवे विभागीय खानपान प्रतिष्ठानों में कमीशन के आधार पर नियुक्त खोमचे वालों के कार्य और जीवन-यापन की स्थियों का तथ्यपूर्ण अध्ययन करने के लिए श्रम, नियोजन और पुनर्वास मंत्रालय द्वारा एक अध्ययन दल (न कि आयोग) गठित किया गया था । इसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

गठन

श्री टी० वी० आनन्दन, संसद् सदस्य, राज्य सभा	—	सदस्य
श्री जे० वी० शर्मा, सहायक निदेशक, यातायात (वाणिज्य), रेलवे बोर्ड	—	सदस्य
श्री जे० एन० शर्मा, उप निदेशक, श्रम और नियोजन विभाग	—	सदस्य

विचारार्थ विषय

(1) लाइसेंसधारी रेलवे भारिकों और रेलवे विभागीय खानपान प्रतिष्ठानों में कमीशन के आधार पर नियुवत खोमचे वालों के कार्य और जीवन-यापन की स्थियों का अध्ययन करना और उनकी किसी उचित शिकायत पर रिपोर्ट देना ।

(2) मजदूरों की समकक्ष कोटियों को उपलब्ध सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रेलों या अन्य एजेन्सियों द्वारा पहले से दी गई बुनियादी सुविधाओं की पर्याप्तता की जांच करना,

(3) उनके कार्य और जीवन यापन की स्थियों में सुधार के लिए सिफारिश करना, और

(4) किसी अन्य सम्बद्ध मामले पर जिसे अध्ययन दल उचित समझे विचार करना और सुझाव देना।

(ख) जी हां।

(ग) उक्त रिपोर्ट को प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं समझी गयी है।

(घ) सवाल नहीं उठता।

अमरीकी ढंग से ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए कोआपरेटिव इलेक्ट्रिसिटी सोसायटी बनाने का प्रस्ताव

182. **श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा :**
श्री के० लकप्पा :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अमरीकी ढंग पर ग्रामों का विद्युतीकरण करने के लिए एक कोआपरेटिव इलैक्ट्रिसिटी सोसायटी बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यहि हां, तो समिति के निर्देश पद क्या हैं; और

(ग) समिति कब से कार्य करना आरम्भ कर देगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग). संयुक्त राष्ट्र अमरीका में ग्राम विद्युतीकरण अधिनियम, 1936 द्वारा स्थापित ग्राम विद्युतीकरण प्रशासन के जरिए ग्राम विद्युतीकरण का कार्य सम्पन्न करने के लिए संघीय सहायता दी जाती है। ग्राम विद्युतीकरण प्रशासन ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत शक्ति को सप्लाई करने के लिए उधार लेने वालों को ब्याज की निम्न दरों पर ऋण देता है। चूंकि विद्युत कंपनियां कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की लाइनों के निर्माण के लिए ग्राम विद्युतीकरण प्रशासन की ऋण-निधियों को काम में लाने में कोई रुचि नहीं लेती थीं, इसलिए बिना लाभ के आधार पर विद्युत सेवाएं प्रदान करने के लिए ग्राम विद्युत सहकारी संस्थाएं बनाई गई और ग्राम विद्युतीकरण प्रशासन की अधिकांश धनराशि ग्राम सहकारिताओं को प्रदान की जाती है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन पंजीकृत ग्राम विद्युतीकरण निगम की जुलाई, 1969 में स्थापना करके उपर्युक्त पद्यति को भारत में विद्यमान विशेष परिस्थितियों के अनुकूल बनाया गया है। राज्य बिजली बोर्डों की ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों की वित्तीय व्यवस्था करना और देश में ग्राम विद्युत सहकारी संस्थाओं को प्रोत्साहन देना और उनकी वित्तीय व्यवस्था करना निगम के मुख्य उद्देश्य हैं। निगम को निदेश दिए गए हैं कि वह आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य स्कीमों की वित्त-

व्यवस्था करने में परियोजनात्मक दृष्टिकोण अपनाए, (पिछड़े क्षेत्रों से सम्बन्धित स्कीमों के बारे में प्रारम्भ की छोटी अवधि के लिए, जो पांच वर्ष से अधिक न हो, व्यवहार्यता की शर्त को छोड़ दिया जाए) और भारत सरकार द्वारा अन्य वित्तीय संस्थाओं को जिन शर्तों पर ऋण दिए जाते हैं उनके मुकाबले की शर्तों पर ऋण दे। निगम ने अब तक 62 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर सभी राज्य बिजली बोर्डों की 110 स्कीमें स्वीकृत की हैं। ये स्कीमें जब पूर्ण हो जाएंगी तो 9451 ग्रामों को बिजली मिल जाएगी, 163438 सिंचाई पम्पसेटों/नलकूपों का ऊर्जन हो जाएगा और 28410 लघु उद्योगों/कृषि उद्योगों को बिजली सप्लाई होगी। इसके अतिरिक्त निगम ने पांच ग्राम विद्युत सहकारी संस्थाओं के लिए, जो पायलट आधार पर बनाई गई हैं, लगभग 13 करोड़ रुपये स्वीकार किए हैं। ये सहकारी संस्थाएं अपने कार्य क्षेत्रों में 729 ग्रामों में बिजली पहुंचाएंगी, 27605 सिंचाई पम्पसेटों का ऊर्जन करेंगी और 1553 लघु और कृषि उद्योगों को बिजली सप्लाई करेगी।

पंजाब में शल्य उपकरण उद्योग की उपेक्षा

183. **डा० सरदीश राम** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 अप्रेल, 1971 के "ट्रिबूनल" में प्रकाशित, पंजाब में शल्य उपकरण उद्योग की उपेक्षा के सम्बन्ध में श्री बी० एल० महाजन की कथित टिप्पणी की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है और उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) औ (ख). पंजाब सरकार से इसकी सूचना इकट्ठी की जा रही है सभा पटल पर रख दी जायेगी।

कुट्टिप्पुरम से गुरूवायूर तक नई रेलवे लाइन

184. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुट्टिप्पुरम से गुरूवायूर तक एक नई रेलवे लाइन बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का व्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

त्रिचूर में जूता-निर्माण प्रशिक्षण केन्द्र का विकास

185. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिचूर, केरल स्थित जूता-निर्माण प्रशिक्षण केन्द्र को बड़े उत्पादन केन्द्र के रूप में

विकसित करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केरल में बैंको द्वारा लघु उद्योगों को दी गई ऋण सुविधाओं के बारे में शिकायत

186. **श्री सी० जनार्दनन**: क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल सरकार की ओर से राज्य में लघु उद्योगों को राष्ट्रीय कृत बेंकों से ऋण सुविधाएं प्राप्त होने में हो रही कठिनाइयों के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हाँ, तो इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक बिकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केरल द्वारा बृहत सिंचाई कार्यों के लिए और अधिक केन्द्रीय सहायता की मांग

187. **श्री सी० जनार्दनन**: क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने अपने वृहत् सिंचाई कार्यों की पूर्ति के लिए केन्द्रीय सहायता में वृद्धि किए जाने की कोई माँग की है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके प्रति केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील): (क): जी, हाँ, केरल सरकार ने यह अभ्यावेदन किया था कि कुछ सिंचाई परियोजनाओं के लिए 1970–71 के लिए राज्य बजट में रखा गया परिव्यय अपर्याप्त था और 1970–71 के दौरान उनको योजना-सीमा के ढांचे से बाहर 3.22 करोड़ रुपये की एक विशेष सहायता दी जाए।

(ख): 1970–71 के लिए केरल का वार्षिक योजना परिव्यय 46 करोड़ रुपये था जिसमें केन्द्रीय सहायता 31.75 करोड़ रुपये थी। केन्द्र के संसाधनों की स्थिति बहुत तंग थी और यह संभव नहीं था कि केरल सरकार द्वारा माँगी गई विशेष सहायता की व्यवस्था कीं जाती।

मध्यावधि चुनाव के पश्चात पश्चिम बंगाल में औद्योगिक उत्पादन

188. **श्री समर गुह :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में गत मध्यावधि चुनाव के पश्चात् जनता की सरकार बनाने पर औद्योगिक उत्पादन में सुधार हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो किस प्रकार का विकास हुआ है;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल में बहुत सी संकटकालीन मिलें बन्द पड़ी हैं, और

(घ) ऐसी रेशम मिलों की संख्या कितनी है और सरकार ने उन्हें पुनः चालू करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) और (ख). दो माह की अल्प अवथि में जब से राज्य में लोकप्रिय सरकार सत्तारूढ़ हुई है स्थिति का संगत मूल्यांकन करना समय से बहुत पूर्व होगा।

(ग) और (घ). राज्य सरकार के अनुसार 27/3/1971 तक लघु उद्योग एककों सहित बन्द पड़े औद्योगिक एककों की कुल संख्या 216 थी। बन्द पड़े औद्योगिक एककों को खोलने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गये विभिन्न उपायों में से प्रमुख निम्न प्रकार हैं:—

(1) इन्डस्ट्रियल रीकान्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लि० का गठन करना/इसका प्रधान कार्यालय कलकत्ता में होगा और यह निगम बन्द पडे एककों की आर्थिक समस्याओं का समाधान ढूंढ़ने में मदद करेगा।

(2) वेस्ट बंगाल रिलीफ अन्डरटेकिंग्ज ऐक्ट के अधिनियमित हो जाने से अव्यवस्थित/बन्द पड़ी एककों द्वारा लिए गये ऋण की अदायगी के लिए उन्हें सरकार द्वारा और समय देने की सुविधा प्रदान करना।

(3) जहाँ बन्द होने का कारण प्रबन्ध अव्यवस्था के फलस्वरूप हुआ है वहां पर उद्योग विकास और विनिमय अधिनियम, 1951 के अधीन जाँच के आदेश दे दिये गये हैं। दो मामलों में अर्थात ब्रेथव्रट कम्पनी और ग्रेशन एन्ड क्रेशन आफ इन्डिया लि0 का प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार ने इस प्रकार की जांच के बाद अपने हाथ में ले लिया है।

(4) राज्य सरकार ने पश्चिम बंगाल में उत्पादित माल की खरीद के क्रय मूल्य को प्राथमिकता आदि देकर अनेक प्रकार के प्रोत्साहन दिये हैं, जैसे नये एककों की स्वीकृत स्थापना स्थलों पर वित्तीय छूट देना जिसमें बिक्री कर की वापसी एवं सीमा शुल्क या प्रवेश शुल्क को वापसी, वित्तीय संस्थाओं द्वारा पूंजी विनियोजन में सहायता देना, लम्बे पट्टे पर सरकारी भूमि का अधिग्रहण और सम्भावना रिपोर्ट तैयार करने में सहायता देना आदि सम्मिलित हैं।

(5) नई आयात नीति में भी बन्द पड़े लघु उद्योग एककों को कच्चे माल का आवंटन करने की व्यवस्था की गई है।

डुब्डा बेसिन जल-निकासी योजना के लिए टेन्डर

189. **श्री समर गुह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगाल राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान सिंचाई-कार्य के प्रभारी सलाहकार ने डुब्डा बेसिन जल-निकासी योजना के लिए टेन्डर आमन्त्रित करने के निदेश दिये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या टेन्डर आमन्त्रित किए गये थे;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) ऐसे टेन्डर कब आमन्त्रित किए जायेंगे तथा डुब्डा बेसिन जल-निकासी योजना का कार्य कब आरम्भ किया जाएगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग). पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान सलाहकार, सिंचाई, ने डुब्डा बेसिन जल-निकास स्कीम के भाग के रूप में स्लूस और साइफन के लिए टेन्डर आमन्त्रित करने हेतु ज़बानी निदेश जारी किए थे । बहरहाल, चूँकि स्कीम की प्रशासनिक स्वीकृति विचाराधीन थी और सरकार के औपचारिक आदेश जारी नहीं हुए थे, इसलिए टेन्डरों को आमन्त्रित नहीं किया जा सका ।

(घ) स्कीम को प्रशासनिक स्वीकृती शीघ्र मिलने की सम्भावना है और उसके पश्चात् टेन्डर आमन्त्रित किए जाएगे । कार्य के दिसम्बर, 1971 में शुरू होने की सम्भावना है ।

तमिलनाडु में नये उद्योग स्थापित करने हेतु लायसेन्स जारी करना

190. **श्री कल्याणसुन्दरम्** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में नये उद्योग स्थापित करने हेतु वर्ष 1969, 1970, 1971 (अप्रैल तक) के दौरान जारी किये लायसेंसों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है; और

(ख) उन परियोजनाओं के क्या नाम हैं जिनके बारे में लायसेंस प्राप्त व्यक्तियों ने कार्य आरम्भ नहीं किया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) 1 जनवरी 1969 से 31 मार्च, 1971 तक की अवधि में तमिलनाडु में नये उपक्रम स्थापित करने के लिए आशय पत्रों को छोड़कर 7 औद्योगिक लाइसेंस दिये गये हैं । इन लाइसेंसों के बारे में विस्तृत ब्यौरा बताने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ख) सामान्यरूप से नये औद्यौगिक उपक्रमों को उत्पादन प्रारम्भ करने में 2 से 3 वर्षों का समय लगता हैं । ये लाइसेंस कार्यान्वियन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

विवरण

क्र. नं.	उपक्रम का नाम	स्थापना स्थल	निर्माण की जाने वाली वस्तू	लायसेंस देने की तिथि
1.	मे० संकरा सुव्वैया एण्ड कं० राजापलायम	मद्रास	बिजली के करघे से बने सूती वस्त्र	22-1-1969
2.	मे० सुन्दरम् फास्टनर्स (पी) लि०, 37, माउन्ट रोड, मद्रास	मद्रास	1. हाई टेंसिल बोल्ट तथा नट आदि 2. सेट स्क्रू आदि 3. रिवेट्स	14-2-1969
3.	मे० इंडियन आयल कारपोरेशन लि०, (विपणन प्रभाग), 254/सी डा० ऐनी बसन्त रोड, प्रभादेवी, बम्बई—25	टोंडियारपेट तमिलनाडु	आटोमेटिव एण्ड इंडस्ट्रियल ग्रेड आफ लुब्रीकेटिंग आयल	25-3-1969
4.	मे० एस० एस० एम० फिनिशिंग सेन्टर, सलेम मेन रोड, कोमारापलायम (वाया) ऐरोड (द० रेलवे)	तमिलनाडु	1. वस्त्र विरंजूक 2. वस्त्र मसराईजिंग 3. कपड़ा तैयार करना 4. कपड़ा रंगना 5. कपड़ों पर छपाई करने	28-4-1970
5.	मे० इंडियन आर्गेनिक केमिकल्स लि०, 28, एपोलो स्ट्रीट, फोर्ट, बम्बई—1	तमिलनाडु	पोलिस्टर स्टेपल फाइवर	22-4-1970
6.	मे० यूनियन कार्बाइड इंडिया लि०, यूको कर्माशियल बैंक बिल्डिग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई ल्ली ।	तमिलनाडु	ज़िंक स्ट्रेपें, कलट्स एण्ड प्लेट	15-2-1971
7.	श्री एल० जी० वर्दाराजुलु, इंडिया हाउस, त्रिची रोड, कोयम्बटूर—18 ।	पोन्नेरी (तमिलनाडु)	परिष्कृत रबड	8-2-1971

बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन (पूर्व रेलवे) पर बेकार पड़ा वाटर कूलर

191. **श्री विजय मोडक :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक बिलकुल या वाटर कूलर बख्तियारपुर (बिहार) रेलवे स्टेशन पर गत छ: मास से बेकार पड़ा हुआ है; यदि हां तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या इस कूलर को चालू करने के लिए सरकार ने कोई कार्यवाही की है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) से (ग). बख्तियारपुर स्टेशन पर इस्तेमाल के लिए मेसर्स अमेरिकन रेफ्रिजरेटर कम्पनी लिमिटेड से जो जल-शीतक प्राप्त हुआ है, उसे चालू नहीं किया गया है क्योंकि संस्थापना के बाद उसमें कार्य-संबंधी कुछ दोष देखे गये। चूंकि यह उपस्कर समाश्वासन-प्राप्त है, इसलिए फर्म से कहा गया है कि वह इसके दोष को तुरन्त ठीक करे जिससे कि इसे शीघ्र चालू किया जा सके।

ब्रिटेनिया कम्पनी के विरुद्ध जांच

192. **श्री श्यामनन्दन मिश्र :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने ब्रिटेनिया कम्पनी के कार्यकलापों के बारे में जांच करने का आदेश दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). मे० ब्रिटेनिया इन्जीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की अनुसूचि में सम्मिलित अनेक वस्तुओं जैसे रेलवे रौलिंग स्टाक, रोड रोलर, चाय मशीनें, जूट मशीनें आदि के निर्माण में रत है। यह कम्पनी जिसमें लगभग 2000 मजदूर काम करते हैं, अक्तूबर, 1970 में बंद हुई पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार को सुझाव दिया कि उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबन्धों के अन्तर्गत इस कम्पनी के कार्यों की जाँच-पड़ताल करने का आदेश दिया जाना चाहिए जिससे कि कम्पनी को फिर से खोलने के लिए कार्रवाई की जा सके। उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 15 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार ने कम्पनी के मामलों की जाँच-पड़ताल करने के लिये श्री एस० एम० घोष संयुक्त सचिव, औद्योगिक विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी। समिति ने 18 मई, 1971 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जो विचाराधीन है।

बड़ी कम्पनियों को लाइसेंसों का जारी किया जाना

193. **श्री सतपाल कपूर :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी कम्पनियों के नाम क्या हैं, जिनकी अस्तियां 5 करोड़ अथवा उससे ज्यादा मूल्य

की है और जिन्हें एकाधिकार आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद नये लाइसेंस जारी किए गये हैं; और

(ख) उन कम्पनियों को नए लाइसेंस जारी किए जाने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) एकाधिकार जांच आयोग ने सरकार को अपना प्रतिवेदन दिनांक 31 अक्टूबर, 1965 को दिया। गैर सरकारी क्षेत्र में 5 करोड़ या उससे अधिक मूल्य की परिसम्पत्ति वाली वे कम्पनियां जिन्हें 1 नवम्बर, 1965 से 31 मार्च, 1971 की अवधि में नये औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने हेतु औद्योगिक लाइसेंस दिये गये उनके नाम संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) उचित विचार के पश्चात् योग्यता के आधार पर लाइसेंस दिये गये थे।

विवरण

1 इंडियन एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता।

2 बंगाल कोल कम्पनी लिमिटेड कलकत्ता।

3 मैमोन इंडिया लिमिटेड, बम्बई।

4 इंडियन एक्सटलोजिव्स लिमिटेड, कलकत्ता।

5 एस्कोर्टस् लिमिटेड, फरीदाबाद।

6 इंडियन डाइ-स्टक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बम्बई।

7 विनोद मिल्स कम्पनी लिमिटेड, उज्जैन।

8 भारत कामर्स एण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कलकत्ता।

9 बिरला जूट मैन्युफेक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता।

10 हिन्दुस्तान सुगर मिल्स् लिमिटेड, बम्बई।

11 देहली क्लाथ एण्ड जनरल मिल्स् कम्पनी लिमिटेड, दिल्ली।

12 इंडियन आक्सीजन लिमिटेड, कलकत्ता।

13 किर्लोस्कर आइल एंजिन्स् लिमिटेड, पूना।

14 रलिस इंडिया लिमिटेड, बम्बई।

15 साइमेंस इंजीनियरिंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी आफ इंडिया लिमिटेड, बम्बई।

16 मोहन मीकिन ब्रीवरीज लिमिटेड, सोलन।

17 अलकली एण्ड केमीकल कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता।

18 के० सी० पी० लिमिटेड, मद्रास।

19 इलेक्ट्रिक कंस्ट्रक्शन एण्ड इक्विपमेंट कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता।

20 स्वदेशी काटन मिल्स् कंपनी लिमिटेड, कानपुर।

21 जय इंजिनियरिंग वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता ।

22 सेन रेले लिमिटेड, कलकत्ता ।

23 गोल्डन टोबेको कंपनी लिमिटेड, बम्बई ।

24 गोदावरी सुगर मिल्स् लिमिटेड, बम्बई ।

25 दि अहमदाबाद मैन्युफैक्चरिंग एण्ड केलिको प्रिंटिंग कंपनी लिमिटेड, अहमदाबाद ।

26 यूनियन कारबाइड इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता ।

औद्योगिक उत्पादन की विकास दर

194. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970–71 की औद्योगिक उत्पादन की विकास दर क्या है और पूर्ववर्ती दो वर्षों के साथ इसके तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ख) मात्रा की दृष्टि से किन मुख्य वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि अथवा कमी हुई है और उत्पादन में कमी के क्या कारण हैं;

(ग) क्या विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन की वर्तमान गति से चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है; और

(घ) यदि नहीं, तो किन-किन वस्तुओं के उत्पादन-लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता और उनके उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

(ग) और (घ) . मामला विचाराधीन है ।

विवरण

1970–71 के वित्तीय वर्ष के लिए औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े उपलब्ध नहीं है, वे केवल दिसम्बर, 1970 के अन्त तक के उपलब्ध हैं । अतः औद्योगिक उत्पादन की विकास दर की तुलना केवल कलैन्डर वर्ष द्वारा ही की जा सकती है । **अनुबन्ध–1** में दिये गये विवरण से 1970 के उत्पादन की विकास दर की तुलना 1968 तथा 1969 से की गई है ।

अनुबन्ध–1 में दिये गये विवरण से ज्ञात होगा कि अधिकांश वस्तुओं के उत्पादन में वृध्दि हुई है । **अनुबन्ध–2** में ऐसी वस्तुएं दी गई हैं जिनके उत्पादन में 1970 में कमी हुई है तथा उत्पादन में कमी होने के कारणों को भी संक्षेप में दे दिया गया है । **[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये संख्या एल० टी० 172/71]**

औद्योगिक विकास मंत्रालय के अधीन कार्य कर रही सहकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के कार्य-परिणाम

195. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन कार्य कर रही सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के कार्य-निष्पादन और कार्य परिणामों की एकक-वार स्थिति क्या है तथा गत वर्ष की तुलना में इनकी स्थिति क्या है,

(ख) प्रत्येक एकक की अप्रयुक्त क्षमता कितनी थी तथा इसके क्या कारण हैं, और

(ग) इन एककों को अधिकाधिक क्षमतानुसार चलाने तथा इनमें हानि को रोकने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) जैसा कि अनुबन्ध में दिया गया है इस मंत्रालय के अधीन 17 सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हैं। [**ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी–173/71**] इनमें से तीन जिनके नाम नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, अंस्ट्रमेंटेंशन लिमिटेड तथा हिन्दुस्तान केबल्स् लिमिटेड हैं उनमें वर्ष 1969-70 में लाभ हुआ है। मशीन टूल कारपोरेशन, हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन तथा भारत पम्पस् एण्ड काम्प्रैसरस् प्राइवेट लिमिटेड तीनों उपक्रम निर्माण की अथवा प्रारम्भिक अवस्था में है। शेष में से भारी इंजीनियरी उपकरण बनाने वाली दो कंपनियां यथा, भारत हैवीइलैक्ट्रीकल्स् लिमिटेड तथा हैवीइलैक्ट्रीकल्स् (इंडिया) काफी घाटे में रहीं। बिजली प्रायोजनाओं के लिये इन दो उपक्रमों में अत्यन्त जटिल प्रकार के प्रमुख उपकरण बनते हैं। इनके पनपने की अवधि बढ़ती रहती है तथा जिनके पनपने की अवधि संयंत्र की योजना के समय पुर्वानुमानित होती है वे भी हानि रहित स्थिति में अनेक वर्षों के उपरान्त आते हैं।

वर्ष 1970-71 में इन अधिकांश उपक्रमों के उत्पादन कार्यक्रम और कार्यकलाप में पर्याप्त सुधार बताया गया है। प्रत्येक उपक्रम में उपर्युक्त वर्ष में हुई लाभ हानि का ब्यौरा फिलहाल उपलब्ध नहीं है किन्तु आगामी कुछ महीनों में मिल सकेगा। फिर भी, इस अवधि में उत्पादन की लक्ष्य प्राप्ति के सुनिश्चिय के लिए विभिन्न उपक्रमों में प्रयत्न किये गये।

(ख) यद्यपि बहुसंख्यक संयंत्रों में अधिष्ठापित क्षमता के पूर्ण उपयोग में वृद्धि हुई कुछ एककों में क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया जा सका। आंशिक रूप से इसका कारण यह है जैसा कि भारी इंजीनियरी उपकरण निर्माताओं पर लागू है कि उत्पादन क्षमता क्रमशः बढ़ती है। कुछ अन्य संयत्रों में क्षमता का उपयोग नहीं किया जा सका यद्यपि क्रयादेशों की स्थिति संभली किन्तु उनसे पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं हुआ तथा कुछ अपरिहार्य कठिनाईयां भी थी जिनमें श्रमिक प्रबंधक समस्यायें भी हैं।

(ग) सावधानी से प्रत्येक एकक की कार्यप्रणाली का पुर्नरीक्षण किया जा रहा है। आगामी कुछ महीनों का उत्पाद लक्ष्य, क्रयादेशों की स्थिति, श्रमिक प्रबन्धक सम्बन्ध, प्रत्येक एकक में उत्पादन बढ़ाने के अभ्युपायों आदि के काम को हाथ में लिया जा रहा है।

आशा है उपक्रमों द्वारा अपनाए गये सुधार के विभिन्न अभ्युपायों तथा पुनरीक्षण के फलस्वरूप आगामी वर्षों में प्रत्येक संयंत्र की कार्य-प्रणाली तथा उत्पादन-क्षमता में पर्याप्त सुधार होगा।

चतुर्थ योजना में ग्रामीण क्षेत्रों का विद्युतीकरण करने सम्बन्धी योजना

196. **श्री एस० आर० दामाणी :**
श्री एस० एम० बनर्जी :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में और चतुर्थ योजना की शेष अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों का विद्युतीकरण करने हेतु बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन क्षेत्रों की रोजगार क्षमता क्या है और कितना धन स्वीकार किया गया है; और

(ग) निर्धारित अवधि के भीतर इनकी पूर्ण रूप से कार्यान्विति करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) खाद्य उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से, राज्यों द्वारा ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों को पम्पसेटों के ऊर्जन की ओर मोड़ा जा रहा है। चालू वर्ष के दौरान लगभग ३.३ लाख कृषि पम्पसेटों और चतुर्थ योजनावधि के शेष दो वर्षों के दौरान 8.42 लाख और पम्पसेटों के उर्जित होने की संभावना है। प्रसंगवश, वर्तमान वर्ष के दौरान 18,000 ग्रामों और चतुर्थ योजनावधि के शेष दो वर्षों में 38,000 और ग्रामों के विद्युतीकृत होने की संभावना है।

(ख) चतुर्थ योजना के दौरान ग्राम विद्युतीकरण पर अनुमानित व्यय 600 करोड़ रुपये हैं जिसमें से 1971-72 वर्ष के दौरान 160 करोड़ रुपये व्यय होने की संभावना है। जबकि यह पक्का बताना संभव नहीं है कि इस परिव्यय से रोजगार शक्यता क्या होगी, परिव्यय का लगभग 18% श्रमिकों को रोजगार देने के संबंध में व्यय होने की संभावना है।

(ग) विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों द्वारा प्रायोजित ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था हेतु, भारत सरकार ने सरकारी सैक्टर के उपक्रम के रूप में ग्राम विद्युतीकरण निगम की स्थापना की है। यह सहायता राज्य योजना में व्यवस्थित परिव्ययों के अतिरिक्त है।

अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न राज्य सरकारों और संघीय क्षेत्रों ने पहले से ही अपने प्रबंधों को तेज कर दिया है। आवश्यक माल, जो देश में उपलब्ध नहीं हैं, के आयात के लिए भी प्रबंध किए गये हैं।

रेलों द्वारा भुगतान किए गए दावे

197. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में रेलवे पर कितने दावे किये गये और उनके लिये रेलवे द्वारा कितनी धनराशि का भुगतान किया गया;

(ख) ये दावे किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) दावों की जांच करने तथा उत्तरदायित्व निश्चित करने के लिये क्या व्यवस्था है; और

(घ) दावों की संख्या को कम से कम सीमा तक घटाने के उद्देश्य से प्रशासन सुदृढ़ करने के लिये कौन से कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) पिछले तीन वर्षों अर्थात 1968-69, 1969-70 और 1970-71 (28-2-1971 तक) के दौरान किये गये नये दावों की संख्या और क्षतिपूर्ति की कुल रकम नीचे बतायी गयी है:—

वर्ष	नये दावों की संख्या	क्षतिपूर्ति की कुल रकम जिसका भुगतान किया गया (हजार रुपयों में)
1968-69	7,20,036	10,17,88
1969-70	7,00,082	11,23,75
1970-71 (28-2-71 तक)	6,39,780	10,96,17

(ख) दावों में वृद्धि होने के मुख्य कारण इस प्रकार हैं।

(i) पूरे बण्डलों/परेषणों का गुम हो जाना।

(ii) पूरे बण्डलों/परेषणों की चोरी

(iii) उठाईगीरी (iv) भीगने से नुकसान

(v) यानान्तरण में विलम्ब (vi) टूट-फूट और (vii) छीजन

(ग) विभिन्न क्षेत्रीय रेलों पर मुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक के अधीन अलग से एक दावा शाखा है जो क्षतिपूर्ति के दावों की जांच करके उनका निपटारा करती है और कर्मचारियों की जिम्मेवारी निर्धारित करती है।

(घ) क्षतिपूर्ति के दावों की रोकथाम के लिए रेलों द्वारा निम्नलिखित कुछ और महत्वपूर्ण कदम उठाये गये है:—

(i) मूल्यवान माल लेकर चलने वाले माल डिब्बों में समुचित ढंग से रिविट और ई० पी० ताले लगाना जिससे चलती गाड़ी में चोरी न हो।

(ii) जिन मामलों में आवश्यक हो, जैसे चीनी, अनाज दालों और तिलहन के पूरे माल डिब्बा परेषणों के लिए 'निभार' की व्यवस्था पर जोर देना।

(iii) ब्रेकयानों, लगेज यानों और पार्सल यानों आदि में ताला लगाने की व्यवस्था को सुनिश्चित करना;

(iv) मैंध खंडों में महत्वपूर्ण माल गाड़ियों के साथ रेलवे सुरक्षा दल के हथियारबन्द कर्मचारी भेजना;

(v) मैंध खंडों और बड़े मार्गों में रेलवे सुरक्षा दल के हथियार-बन्द कर्मचारियों और रेलवे सुरक्षा दल के कुत्ता दस्तों द्वारा गश्त;

(vi) यानान्तरण स्थलों पर सभी लदे माल डिब्बों की उतराई और यानान्तरण से पहले उनकी रिवटों और सीलों की जांच करना;

(vii) बुरे स्थलों का पता लगाने के लिए 'पायलट योजना' लागू करना ताकि विभिन्न रेलों पर स्टेशनों के जोड़े (यानान्तरण स्थलों समेत) चुने जा सकें जहां प्रभावित परेषणों की लदाई/उतराई की निकट से जाँच हो सके;

(viii) अपराध आसूचना एकत्र करना और रेलों की अपराध आसूचना शाखा और रेलवे बोर्ड के केन्द्रीय अपराध ब्यूरों के कर्मचारियों द्वारा आकस्मिक छापे मारना ताकि रेलवे परिसम्पत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम 1966 के अन्तर्गत अपराधियों और चोरी की रेल सम्पत्ति लेने वालों का पता लगाया जा सके;

(ix) अपराधियों और चोरी का माल प्राप्त करने वालों के साथ निपटने के लिए रेल सुरक्षा दल, रेलवे पुलिस और राज्य पुलिस अफसरों के बीच निकट समन्वय रखना;

(x) अनाज, चीनी और तिलहन आदि से लदी हुई गाड़ियों/माल डिब्बों के साथ रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों का छिपे रूप से चलना ताकि अपर के तरीकों और उन स्थानों का जहां अपराध अक्सर होते हैं, पता लगाया और अपराधियों को गिरफ्तार किया जा सके;

(xi) उन मामलों में जिनमें बड़ी लाइन का एक माल डिब्बा मीटर लाइन के दो माल डिब्बों या मीटर लाइन का एक माल डिब्बा बड़ी लाइन के पूरे माल डिब्बे में स्थानान्तरित होना हो, यानान्तरण स्थलों पर बोरेबन्दी वाले परेषणों को माल डिब्बे के बीच में इस प्रकार लादना की दीवार के चारों ओर लगभग 30 से 60 सेन्टीमीटर तक खाली जगह रहे;

(xii) माल गोदामों और यानान्तरण स्थलों और उनके चारों और सुरक्षा उपायों को दृढ़ करना;

(xiii) पैकेजों को अच्छी तरह पैक करना और उन पर मार्का डालना और माल डिब्बों पर अच्छी तरह लेबल लगाना ताकि वे इधर-उधर न जा सके;

(xiv) सही कागज-पत्र तैयार करना और माल डिब्बों के साथ सम्बद्ध कागज-पत्र लगाना;

(xv) लदाई और उतराई के समय समुचित पर्यवेक्षण और पैकेजों का मिलान करना।

पश्चिमी तथा पूर्वी कामला नहरों को काम में लाया जाना जिनका काम 'किंग्स' नहर के निकट रेगुलेटर के पूरी तरह से न बनने के कारण रुक गया था

198. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के जिला दरभंगा में पश्चिमी तथा पूर्वी कामला नहरों को काम में लाने का कार्य इस कारण रुक गया था क्योंकि पश्चिमी नहर के लिए किनसे नहर के निकट तथा पूर्व कामला नहर के लिए छोटी नहर पर रैगुलेटर पूरी तरह बनकर तैयार नहीं हुए थे;

(ख) क्या आगामी बुवाई के मौसम में सिंचाई किए जाने के लिए जून में दोनों रेगुलेटर बन कर तैयार हो जाने हैं और यदि हां, तो किस तिथि तक ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). किंग्स केनाल को हर साल अस्थायी प्रबन्ध करके पश्चिमी कामला नहर से पीड किया जा रहा है। एक स्थायी संरचना निर्माणाधीन है। इस संरचना के लिए नीवों, शीट पाइलिंग और बैरलों का काम पहले ही पूरा हो चुका है और कार्यक्रम यह है कि इस संरचना को आगामी मानसून से पहले सब तरह से पूर्ण कर दिया जाए।

नहर का विस्तार करने के लिए और आयोजित शक्यता प्राप्त करने के लिए धोरी नदी के ऊपर एक जल सेतु की पूर्वी कामला नहर पर आवश्यकता है। इस जल सेतु के डिजाइन को अन्तिम रूप मिल चुका है। अगले कार्य काल में, (1971 की मानसून के बाद) बिहार सरकार द्वारा इस संरचना पर निर्माण कार्य प्रस्तावित है और 1972 की मानसून से पहले उसके पूर्ण हो जाने की उम्मीद है।

बरौनी के गरहरा क्षेत्र के रेलवे कर्मचारियों के लिए परियोजना भत्ता

199. **श्री भोगेन्द्र झा :** **श्री एस० एम० बनर्जी :**
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने अपने पत्र दिनांक 28-2-71 के अन्तर्गत बरौनी-गरहरा क्षेत्र के रेलवे कर्मचारियों की परियोजना भत्ते की मांग सिद्धांत रूप में मान ली थी और एक पखवाड़े के भीतर ही मामले को अन्तिम रूप देने का वचन दिया था;

(ख) यदि हां, तो इसे वचनानुसार समय के भीतर न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलवे मंत्री ने संसद सदस्यों के एक शिष्टमंडल को बताया था कि परियोजना भत्ते की मंजूरी देने से 50 लाख रुपये का खर्च आयेगा; और

(घ) यदि हां, तो तीन दिन लम्बी हड़ताल के कारण रेलवे को कुल कितनी हानि हुई और क्या उनकी मांग मान ली गई थी; और

(ङ) इस समय बरौनी में क्या स्थिति है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) और (ख). रेलों से भिन्न अन्य केन्द्रीय सरकारी विभागों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को, आवास, चिकित्सा, बाजार आदि सुविधाओं के अभाव की प्रतिपूर्ति के लिए, परियोजना भत्ता दिया जाता है। यह बात सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर ली गयी थी कि बरौनी-गड़हरा क्षेत्र में जो रेल कर्मचारी उपर्युक्त दशा में कार्य कर रहे हैं वे इस भत्ते के पात्र हो सकते हैं। लेकिन, ब्यौरे का पता लगाने पर यह मालूम हुआ कि इस क्षेत्र के रेल कर्मचारियों को ये सुविधाएं प्राप्त हैं अतः वे इस भत्ते के पात्र नहीं है। कुछ अन्य स्थानों पर काम करने वाले कर्मचारियों को परियोजना भत्ता दिये जाने से सम्बन्धित दावे का मामला अब संयुक्त परामर्श तंत्र की योजना के अन्तर्गत पंचाट बोर्ड के समक्ष हैं इस पर जो निर्णय होगा उसी के आधार पर बरौनी जैसे स्थानों पर भी दावों का निर्णय किया जायेगा।

(ग) जी हां, और यह बताया गया था कि 40 लाख रुपया खर्च होगा।

(घ) लगभग 53 लाख रुपये।

(ङ) स्थिति अब सामान्य है।

उत्तर बिहार, बिहार और भारत में विद्युत् शक्ति की तुलनात्मक खपत

200. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर बिहार, समस्त बिहार आदि समस्त भारत में क्रमशः विद्युत् शक्ति का प्रति व्यक्ति उपभोग कितना है; और

(ख) विद्युत्-शक्ति की उपलब्धता और खपत के बीच अत्यधिक अन्तर को दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेजनाथ कुरील) : (क) 1969-70 के दौरान बिजली की प्रति व्यक्ति खपत निम्नलिखित थी:—

उत्तर बिहार	8 यूनिट
समस्त बिहार	62 यूनिट
अखिल भारत	83 यूनिट

(ख) उत्तर बिहार में विद्युत् उपलक्ष्यता की वृद्धि के लिए निम्नलिखित पग उठाए जा रहे हैं।

(1) उत्तर बिहार विद्युत् प्रणाली को दक्षिण-बिहार प्रणाली के साथ आपस में जोड़ दिया गया है जिससे दक्षिण से उत्तर बिहार को 50 मैगावाट विद्युत् का हस्तांतरण सम्भव हो गया है।

(2) 110 मैगावाट की एक विद्युत्-उत्पादन यूनिट को बढ़ाकर बरौनी ताप विद्युत् केन्द्र की विद्युत्-उत्पादन क्षमता में वृद्धि की जा रही है।

(3) उत्तर बिहार में एक ताप विद्युत् केन्द्र स्थापित करने की सम्भाव्यता पर अनुसन्धान किया जा रहा है।

(4) नए पथों तथा उप-केन्द्रों का निर्माण करके उप-पारेषण तथा वितरण जाल को सुदृढ़ किया जा रहा है।

अशोक पेपर मिल्स लि० दरभंगा की स्थिति में सुधार और उसमें उत्पादन

201. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अशोक पेपर मिल्स लि० दरभंगा की स्थिति में सुधार और इसकी सभी इकाइयों द्वारा उत्पादन की शुरुआत की दृष्टि से इस कारखाने की वर्तमान स्थिति क्या है।

(ख) क्या दरभंगा स्थित कारखानों के कर्मचारियों को काम पर वापस नहीं लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) से (ग). सूचना नीचे दी जाती है।

मेसर्स अशोक पेपर मिल्स लिमिटेड को दो एकक स्थापित करने के लिए आशय पत्र दिया गया है। पहला एकक आसाम में बनेगा जिसमें प्रति वर्ष 36,000 टन लुगदी तथा 27,000 टन कागज बनेगा और दूसरा बिहार में जिसमें वार्षिक 4500 टन लुगदी तथा 13,500 टन विशेष कागज का उत्पादन होगा।

(2) फर्म की पूंजी गत माल की आवश्यकताओं तथा उसके विदेश से सहयोग लेने के प्रस्ताव को स्वीकृत कर दिया गया है।

(3) फर्म की औद्योगिक विकास बैंक से वित्तीय सहायता लेने के लिए बातचीत जारी है।

(4) फर्म की रामेश्वरनगर (दरभंगा) में रेलवे साइडिंग पुनः चालू करने की रेल-अधिकारियों से बातचीत चल रही है।

(5) वर्ष 1963-64 में जो संयत्र और मशीनें अशोक पेपर मिल्स लिमिटेड ने आयात की थी। उनका निरीक्षण एक तकनीकी कर्मचारी दल कर रहा है ताकि मिल स्थापित करने और उत्पादन आरम्भ करने की प्रगति न रुके।

(6) दिसम्बर, 1972 तक मिल के दोनों एककों में उत्पादन प्रारम्भ हो जाने की आशा है।

(7) कम्पनी के खुल जाने के बाद वर्तमान प्रबन्धकों ने 19 जुलाई, 1970 को संयुक्त रिसीवरों से लेकर फर्म का कार्यभार सम्भाला। उस समय कम्पनी में 46 कर्मचारी थे तथा उन सभी को नई व्यवस्था में ले लिया गया है।

चप्पा और बड़ाद्वारा स्टेशन (दक्षिण पूर्व रेलवे) के बीच बम्बई हावड़ा-ऐक्सप्रेस में आग लग जाना

202. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में चप्पा और बड़ाद्वार स्टेशन (दक्षिण पूर्व रेलवे) के बीच चलती हुई ट्रेन नं० 29 डाउन बम्बई हावड़ा ऐक्सप्रेस में आग लगने के कारण क्या थे; और

(ख) उपर्युक्त अग्निकांड में कितने व्यक्ति हताहत हुए थे ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) कलकत्ता स्थित रेल संरक्षा के अपर आयुक्त ने इस दुर्घटना की सांविधिक जांच की थी। उनके अनन्तिम निष्कर्मों के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि आग जलते हुए एक अंगारे से लगी जो कि इंजन की चिमनी से उड़कर सवारी डिब्बे की छत और उसकी खोल के बीच दरारों में जा पड़ा जिसके कारण छत के साज-सामान में आग लग गयी और तेज हवा तथा गाड़ी की तेज रफ्तार होने के कारण आग तेजी से फैल गयी।

(ख) इस दुर्घटना में 12 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 7 व्यक्तियों को चोटें आयीं जिनमें से 4 को गंभीर चोटें आयीं।

बिजली का सामान कम होने के कारण राज्य बिजली बोर्डों की अपने वचन पूरे करने में असमर्थता

205. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि इस्पात, खंबों, तार, केबल, ट्रांसफार्मर, स्विचगियर और मीटरों आदि की कमी के कारण राज्य बिजली बोर्ड अपने वचन पूरा करने की स्थिति में नहीं है;

(ख) क्या सभी बिजली बोर्ड अपेक्षित बिजली के सामान के लिए प्रत्याशित दर से अधिक मूल्य का भुगतान कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरुप उनके बजट में असन्तुलन पैदा हो गया है;

(ग) क्या इससे विद्युतीकरण की समस्त योजना पिछड़ गई है और विभिन्न राज्य बिजली बोर्ड उपलब्ध सामग्री के लिए एक दूसरे से बढ़ कर मूल्य दे रहे हैं; और

(घ) बिजली के सामान की कमी दूर करने के लिए और राज्य बिजली बोर्डों में अवांछित प्रतिस्पर्धा रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) कच्चे माल, विशेषकर इस्पात और अल्युमीनियम की. की देशव्यापी कमी राज्य बिजली बोर्डों के कार्यों की प्रगति में कुछ हद तक बाधक बनी है।

(ख) और (ग). विद्युत् परियोजनाओं/राज्य बिजली बोर्डों, जिसमें ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें भी सम्मिलित हैं, के लिए इस्पात की आवश्यकताएं परियोजना/राज्य बिजली बोर्डों से केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग में प्राप्त होती हैं। राज्य बिजली बोर्डों/परियोजना प्राधिकरणों की इस्पात की

केवल वे ही आवश्यकताएं केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग द्वारा संयुक्त संयंत्र समिति को प्रस्तुत की जाती हैं, जो परियोजनाओं के कार्यान्वियन में या तो विभागीय कार्यों द्वारा या निर्माताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से काम में लाई जानी होती है। कन्डक्टरों, ट्रांसफार्मरों, उत्पादन संयंत्रों, स्विचगियरों आदि के लिए निर्माताओं की इस्पात आवश्यकताएं विभिन्न निर्माताओं को महानिदेशक तकनीकी विकास के औद्योगिक कोटे के अन्तर्गत पूरी की जाती हैं। जहां तक इस्पात से बने माल का सम्बन्ध है, उन्हें राज्य बिजली बोर्ड संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई दरों पर उत्पादकों से खरीद रहे हैं। विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों द्वारा बढ़-चढ़ कर मूल्य देने की होड़ का कोई मामला इस मंत्रालय के नोटिस में नहीं आया है।

(घ) अपेक्षित जानकारी का विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

सिंचाई और विद्युत् परियोजनाओं/राज्य बिजली बोर्डों के लिए आवश्यक कच्चे माल की सप्लाई में देशव्यापी गिरावट आई है। इस कमी को पूरा करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:—

1. इस्पात :

संयुक्त संयंत्र समिति/इस्पात अग्रता समिति के जरिए देशी उत्पादन से इस्पात के अधिकाधिक आवंटन को प्राप्त करने के लिए सभी संभव प्रयत्न किए जा रहे हैं। कमी को पूरा करने के लिए आयात का भी सहारा लिया जाता है। इस उद्देश्य के लिए हाल में सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में एक पुनरीक्षा की गई थी जबकि वित्त और इस्पात मंत्रालय के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे और यह निर्णय किया गया था कि इस्पात के दुर्लभ सामान, जैसे एम० एस० प्लेट्स और एम० एस० एंगिल्स आदि को, थोक में आयात किया जाए। 23180 मीट्रिक टन, जिसका मूल्य 2.75 करोड़ रुपये हैं, की एक आंशिक आवश्यकता का आयात करने के लिए कार्यवाही की जा चुकी है। 1971-72 के दौरान आगे आयात के लिए कारवाई प्रगति पर है। 1970-71 वर्ष के दौरान ग्राम विद्युतीकरण के लिए आवश्यक इस्पात के अधिक दुर्लभ 25,000 मीट्रिक टन सामान के आयात के लिए 3.01 करोड़ रुपये की धनराशि दी गई थी।

2. अल्युमीनियम :

विद्युत् स्कीमों के लिए निर्माताओं को ई० सी० ग्रेड अल्युमीनियम (कन्डक्टरों और केबलों के वास्ते) के आवंटन महानिदेशक, तकनीकी विकास और उघु-उद्योग निदेशालय द्वारा किए जाते हैं। देशी उपलभ्यता की जांच करने के पश्चात् कमी को पूरा करने के लिए खान और धातु मंत्रालय ने आयात करने की स्वीकृति दी है। खान और धातु मंत्रालय कुछ हद तक आयात करने की अनुमति देने के लिए और यदि आवश्यक हुआ तो आगे आयात के वास्ते स्वीकृति देने हेतु औद्योगिक विकास मंत्रालय के साथ परामर्श करके आगे स्थिति का पुनरवलोकन करने के लिए सहमत हो गया है।

3. अन्य कच्चा माल :

विद्युत् उपस्कर के निर्माण के लिए आवश्यक अन्य कच्चा माल, जैसे तांबा और जस्ता,

महानिदेशक, तकनीकी विकास द्वारा आवंटित किया जाता है। विद्युत् कार्यक्रमों के लिए निर्मित मदों के संबंध में विद्युत् ट्रांस्फार्मरों और वितरण ट्रांस्फार्मरों की कमी अनुभव की गई है। महानिदेशक, तकनीकी विकास द्वारा निर्माताओं के साथ एक बैठक में हाल ही में स्थिति की पुनरीक्षा की गई थी जिसमें विद्युत् ट्रांसफार्मरों के लिए निलम्बित सप्लाई अनुसूचियों को घटा कर 38 महीने की पहले वाली सप्लाई अनुसूची के बजाय 24 महीने कर दिया गया था। इसी प्रकार वितरण ट्रांस्फार्मरों की पहले वाली 12 महीने की सप्लाई अवधि को घटाकर 4 से 6 महीने कर दिया गया है। इस उद्योग के लिए कच्चे माल के आयात के लिए भी उदारतापूर्ण आधार पर अनुमति दे दी गई है।

महानिदेशक, तकनीकी विकास द्वारा केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग को उन मदों के आयात करने की अनुमति भी दे दी जाती है जो देशी संसाधनों से उपलब्ध नहीं हैं अथवा जिनकी सप्लाई बहुत थोड़ी है और जिनकी बोर्डों को तत्काल आवश्यकता है।

औद्योगिक विकास मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी कर्मचारी

206. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1971 को उनके मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अध्यक्ष अथवा प्रबन्ध निदेशक के रूप में कार्य कर रहे, सेवा-निवृत्त या सेवा-रत सरकारी कर्मचारियों की संख्या क्या थी;

(ख) उन में से ऐसे कर्मचारियों की संख्या क्या है जिनके निवास स्थान दिल्ली में हैं, जबकि उपक्रम दिल्ली से बाहर;

(ग) इन व्यक्तियों की सेवा की शर्तें एवं सेवा काल क्या है; और

(घ) इनमें से कार्यरत उन सरकारी कर्मचारियों की संख्या क्या है जिन्होंने सरकारी उपक्रमों में स्थायी सेवा का विकल्प दे दिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) और (ख). ऐसे तेरह व्यक्ति हैं, इनमें से 3 व्यक्ति नई दिल्ली में कार्य कर रहे हैं। क्योंकि इन एककों का पंजीयत कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

(ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अध्यक्षों/प्रबन्ध-निदेशकों की उपलब्धियां, आयोजना के आकार, प्रत्येक आयोजना के पंजीगत निवेश तथा अधिकारी की योग्यता व अर्हताओं के अनुसार, आयोजना के वरिष्ठ-प्रबन्ध-पदों के किसी भी वेतनमान में नियत की जाती हैं। इस प्रकार के ग्रेडों में वेतन नियत होने के अलावा वे उन कंपनियों के अपने नियमों के अनुसार अन्य भत्ते तथा सुविधाओं के पाने के पात्र होते हैं। सामान्यतः, उनकी प्रतिनियुक्ति 3-4 वर्षों की अवधि के लिये होती हैं, किन्तु यह अवधि छह वर्षों तक बढ़ाई जा सकती है।

(घ) तीन।

राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड को हुई हानि

207. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या सिचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में राष्ट्रीय परियोजना निर्माण लिमिटेड को कितनी हानि हुई; और

(ख) सरकार ने निगम के प्रशासनिक तथा अन्य खर्चे को कम करने और कम खर्चे पर इसके कार्य को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम को हुई क्षति निम्नलिखित है:–

1968-69	रुपये 104.99 लाख
1969-70	रुपये 100.17 लाख
1970-71	लेखों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया।

(ख) निगम की कार्यप्रणाली में सुधार करने के लिए बहुत से पग उठाए गए हैं। प्रशासनिक बंधे खर्चों में मितव्ययिता लाने के उद्देश्य से मुख्यालय और क्षेत्र यूनिटों में स्टाफ की संख्या पर लगातार ध्यान रखा जा रहा है। बहुत से पद समाप्त कर दिये गए हैं और कुछ खाली स्थानों को भरा नहीं गया है। इसके अतिरिक्त मुख्यालय और क्षेत्र यूनिटों के फुटकर खर्चों में कुछ और किफ़ायत की गई है। अधिक मितव्ययी कार्यप्रणाली को सुनिश्चित करने के लिए बहुत से कदम उठाए जा रहे हैं। कार्यों को पूरा करने में अधिकतम मितव्ययिता सुनिश्चित करने के लिए विभागीय श्रमिकों और/अथवा उजरती श्रमिकों द्वारा निर्माण की कार्यान्विति प्रणाली का बार-बार पुनरवलोकन किया जा रहा है। रख-रखाव में मितव्ययिता सुनिश्चित करने के लिए कुछ किस्मों के उपस्कर को न्युनतम करने के लिए और निगम द्वारा घोषित अप्रयोज्य मशीनों अथवा ऐसी मशीनों के निपटान के लिए कदम उठाए गये हैं, जिन्हें निगम मितव्ययी समुपयोजन के काबिल नहीं समझता बंधे खर्चों के भार को कम करने के लिए कुछ और आर्डर प्राप्त करने हेतु प्रयत्न किये जा रहे हैं।

Progress of Kutkoo Dam Project Bihar

208. **Shri S. D. Singh:** Will the Minister of **Irrigation and Power (Sinchai Aur Vidyut Mantri)** be pleased to state:

(a) the progress made in regard to Kutkoo Dam Project in Bihar and the funds made available so far by the Central Government therefor; and

(b) whether it is a fact that the State Government are not extending full cooperation for the Project?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Sinchai Aur Vidyut Mnatralaya men Up Mantri) (Shri B. N. Kureel): (a) The project report for a dam at Kutku on the river North Koel, received from the Government of Bihar, is at present under technical examination in the Central Water and Power Commission.

(b) No.

Progress of Tilaiya Dam Project Bihar

209. **Shri S. D. Singh:** Will the Minister of **Irrigation and Power (Sinchai Aur Vidyut Mantri)** be pleased to state:

(a) the progress made on Tilaiya Dam Project from where water is proposed to be supplied to Rajouli area in District Gaya after constructing a canal therefrom; and

(b) whether it is fact that the State Government are not extending full co-operation for the said project?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Sinchai Aur Vidyut Mantralaya men Up Mantri) (Shri B. N. Kureel): (a) and (b). The State Government's proposals for the diversion of waters from the existing Tilaiya dam of Damodar Valley Corporation are being examined by an experts Committee appointed by the Damodar Valley Corporation on which Central Water and Power Commission, Damodar Valley Corporation, Government of Bihar and the Government of West Bengal are represented.

Setting up of Paper Mill in Hazaribagh (Bihar)

210. **Shri S. D. Singh:** Will the Minister of **Industrial Development (Audyogik Vikas Mantri)** be pleased to state:

(a) whether any proposal to set up a big Paper Mill in Hazaribagh District is under consideration of Government because wood and Bamboo from the forests of this district are being supplied to Dalmia nagar Paper Mill; and

(b) whether there is also a proposal under consideration of Government to set up an Industrial Estate in Hazaribagh District in Bihar?

The Minister of the State in the Ministry of Industrial Development (Audyogik Vikas Mantralaya men Rajya Mantri) (Shri Ghanshyam Oza): (a) There is no proposal to set up a big paper mill in Hazaribagh District in the public sector. However, applications for expansion of existing activity have been received from a private firm in Dalmia Nagar for manufacture of pulp and paper, which are under consideration of the Government.

(b) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Shortage of Wagons for NCDC and Hindustan Steel Washery

211. **Shri S. D. Singh:** Will the Minister of **Railways (Rail Mantri)** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the coal areas in particular had to face great difficulty on account of shortage of Railway wagons and the coal industry has almost come to a standstill; and

(b) whether it is also a fact that private parties manage to get railway wagons in coal areas with their own efforts but the National Coal Development Corporation and the Hindustan Steel Washery have constantly been facing the problem of shortage of railway wagons?

The Minister of Railways (Rail Mantri) (Shri Hanumanthaiya): (a) Coal loading from outlaying coalfields has improved in 1970-71 as compared to 1969-70. The same trend is being maintained in the current year. There has, however, been a drop in coal loading from West Bengal and Bihar coalfields in 1970-71 as compared to the previous year. This was partly because of a drop in demands as compared to the previous year upto August 1970 and thereafter

due to the serious difficulties faced by the railways in Eastern sector for reasons beyond their control.

(b) No. Sir

अमरीका के सहयोग से स्थापित औद्योगिक कम्पनियां

212. **श्री सुरेन्द्र महन्ती :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत अमरीका सहयोग के अन्तर्गत अब तक स्थापित औद्योगिक कम्पनियों की संख्या कितनी है; और

(ख) इन कम्पनियों को पी० एल० 480 निधि के रुपये खाते से कुल कितना ऋण तथा/अथवा सहायता प्राप्त हुई है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) 1957 से 70 के दौरान भारतीय और अमरीकी पार्टियों के बीच सहयोग के 577 मामलों में सरकार ने अनुमति दे दी है।

(ख) अमरीकी सहयोग वाली या विभिन्न भारतीय फर्मों को पी० एल० 480 निधि के रुपया लेखे से कुल 1,26,26,30,100 रुपये की राशि का ऋण दिया गया है।

नई रेलगाड़ियों का चालू किया जाना

213. **श्री सुरेन्द्र महन्ती :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1971 से देश में कितनी नई रेल गाड़ियां चालू की गई; और

(ख) क्या यह सच है कि उड़ीसा की जनता द्वारा मांग किये जाने पर भी वहां कोई नई रेल गाड़ी चालू नहीं की गई ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) 1-4-1971 से 24 उपनगरीय गाड़ियों सहित कुल 50 नयी गाड़ियां चलायी गयी हैं अथवा गाड़ियों का चालन क्षेत्र बढ़ाया गया है।

(ख) जी हां क्योंकि नं० 461/462 गाड़ी का चालन क्षेत्र भद्रक से पुरी तक बढ़ाने के सिवाय यातायात की दृष्टि से इस तरह की किसी और गाड़ी का औचित्य नहीं है और भद्रक-खोर्दा रोड खण्ड पर क्षमता के अभाव में उक्त गाड़ी का चालन-क्षेत्र बढ़ाना सम्भव नहीं हुआ है।

तलचेर शाखा लाइन (दक्षिण-पूर्व रेलवे) पर बधुपंका में हाल्ट की व्यवस्था

214. **श्री देवेन्द्र सत्पथी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे की तलचेर शाखा लाइन पर बुधपंका में एक हाल्ट की व्यवस्था करने के लिए सरकार को बहुत से व्यक्तियों से याचिकायें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हां।

(ख) मेरामाडिली और तलचेर के बीच बुधपंका में गाड़ी हाल्ट खोलने का प्रस्ताव मंजूर नहीं किया जा सका क्योंकि जांच पड़ताल से मालूम हुआ कि इससे भारी आवर्ती वित्तीय हानि होगी।

वर्ष 1971-72 के दौरान मैसूर राज्य में स्थापित की जाने वाली सिंचाई परियोजनाएं

215. **श्री के० लकप्पा :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72 के दौरान मैसूर राज्य में स्थापित की जाने वाली सिंचाई परियोजनाओं की संख्या कितनी है;

(ख) क्या इस प्रकार की सिंचाई परियोजनाओं के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा उक्त राज्य को कोई वित्तीय सहायता दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) मैसूर की विकासात्मक स्कीमों में शामिल करने के लिए पिछले एक वर्ष में योजना आयोग ने निम्नलिखित नई सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृत किया है :—

परियोजना	लागत (लाख रुपये)	लाभ (एकड़)
1. तारक जलाशय परियोजना	170	18,000
2. सागरेडोड्डाकेरे जलाशय परियोजना	49.28	2,000
3. गुंडल जलाशय परियोजना	192.15	10,000

(ख) और (ग). सिंचाई राज्य विषय है और सिंचाई परियोजनाओं के लिए धनराशि राज्य सरकारों द्वारा अपने योजना परिव्ययों में से दी जाती है।

1971-72 के लिए मैसूर के वास्ते योजना-परिव्यय 70 करोड़ रुपये है जिसमें से केंद्रीय सहायता 34.6 करोड़ रुपये है। बृहत् और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए प्रस्तावित परिव्यय 13.97 करोड़ रुपये है।

राजस्थान नहर की सिंचाई क्षमता का उपयोग न किया जाना

216. **श्री एम० एम० जोजफ़ :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान नहर की सिंचाई क्षमता का उपयोग न किये जाने के कारण राजस्थान सरकार को अत्यधिक हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस हानि को लाभ में परिवर्तित करने के लिए क्या उपाय किए हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी, नहीं। वास्तव में 1969 की परियोजना रिपोर्ट में परिकल्पित शक्यता से अधिक का समुपयोजन है। राजस्थान नहर जैसी बृहत् सिंचाई परियोजनाओं पर उत्पन्न की गई सिंचाई शक्यता का समुपयोजन सदैव उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। प्रगति बारहमासी जल की उपलभ्यता, कमान क्षेत्र के विकास आदि पर निर्भर करती है। राजस्थान नहर में 1973-74 तक पौंग पर ब्यास बाँध के पूर्ण होने पर बारहमासी जल प्राप्त होगा। क्षेत्र के विकास का कार्य भी प्रगति पर है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र में उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण

218. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गैर-सरकारी क्षेत्र में उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में वर्तमान एकाधिकार को समाप्त करने हेतु उक्त वस्तुओं का सरकारी क्षेत्र में निर्माण करने के लिये औद्योगिक एकक स्थापित करने का है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी योजना का ब्यौरा क्या है, और

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को भी कहा है कि वे सरकारी क्षेत्र में उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योग स्थापित करें ताकि लोगों को ये वस्तुएं सस्ते मूल्यों पर उपलब्ध हो सकें ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) तथा (ख). 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प के अनुसार भविष्य में सरकारी क्षेत्र का विस्तार सरकारी क्षेत्र के लिए विशेष रुप से आरक्षित उद्योगों के अलावा भी किया जायेगा तथा उपभोक्ता उद्योगों सहित जिनसे उत्पादन में आगामी वर्षों में भारी अन्तर होने की सम्भावना है, विभिन्न उत्पादों से संबंधित परियोजनाओं में भी लागू करने का विचार है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सरकारी क्षेत्र में कुछ उपभोक्ता की वस्तुएं बनाने के कुछ प्रस्ताव विचाराधीन हैं तथा इनमें से कुछ योजनाओं की तकनीकी आर्थिक सम्माव्यता पर विचार किया जा रहा है।

(ग) केन्द्रीय सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण वाली सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के अतिरिक्त राज्य औद्योगिक विकास निगम भी उद्योग स्थापित करने के प्रस्तावों पर विचार कर रहा है जिनमें से कुछ उपभोक्ता वस्तुओं से संबंधित हैं।

कारों की गिरती हुई किस्म

219. **श्री रामसहाय पांडे** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारों के निर्माताओं की कारों की कीमतें बढाने की अनुमति देने के पश्चात भी कारों की किस्म बहुत खराब हो गई है और;

(ख) यदि हां, तो भविष्य में बनाई जाने वाली कारों की किस्म पर उचित नियन्त्रण के लिये क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) और (ख). सरकार को देश में बनाई जाने वाली कारों की क्वालिटी में गिरावट आने के बारे में शिकायतें मिली हैं। सरकार ने कारों की क्वालिटी में गिरावट आने के कारणों का पता लगाने तथा उसे दूर करने के लिए अभ्युपाय सुझाने के बारे में जुलाई, 1967 में मोटर कार क्वालिटी जांच समिति नामक एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी। समिति ने कारों की क्वालिटी में सुधार करने के लिए विभिन्न सिफारिशें की हैं। ये सिफारिशें लागू करने के लिए कार निर्माताओं के पास भेज दी गई थी। इनका ठीक से कार्यान्वयन किया जा सके इस बात का सुनिश्चय करने के उद्देश्य से इनमें से कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशों के बारे में उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 16 के अन्तर्गत कार निर्माताओं को कानूनी निर्देश भी जारी कर दिये गये थे। समिति की एक सिफारिश के अनुसरण में कार उद्योग के लिए एक तकनीकी लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ स्थापित करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है। संभरण तथा मांग के बीच ठीक संतुलन रखने तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा उद्देश्य से सरकार ने परीक्षित विदेशी नमूने के आधार पर प्रतिवर्ष 50 हजार यात्री कारें बनाने की क्षमता की सरकारी क्षेत्र में एक परियोजना स्थापित करने के बारे में भी सिद्धान्तरूप में निश्चय कर लिया है। देशी नमूने तथा साधनों पर आधारित यात्री कारें बनाने के लिए नया उपक्रम स्थापित करने हेतु गैर-सरकारी क्षेत्र की तीन पार्टियों को आशय पत्र भी जारी कर दिये गये हैं।

भाखड़ा बिजली घर में संकट

220. **श्री रामसहाय पांडे** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान भाखड़ा बिजली घर द्वारा बिजली पैदा करने में पर्याप्त कमी हो जाने के कारण हाल ही में उत्पन्न हुए बिजली के संकट की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार ने भाखड़ा में बिजली उत्पादन में कमी हो जाने के कारणों की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो कमी होने के क्या कारण हैं और सरकार ने इसे रोकने तथा स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की है?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग). जी, हां। भाखड़ा में, इसके वाहक्षेत्र में अपर्याप्त वर्षा और उसके पश्चात् नदी के अन्तर्वाह में कमी के कारण, गत मानसून के अन्त में जलाशय के अपनी साधारण पूर्ण क्षमता तक न भरने के कारण, कम विद्युत-उत्पादन हुआ है। इस विषय की समय-समय पर पुनरीक्षा की गई है और इस क्षेत्र में सिंचाई और विद्युत की उचित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जलाशय से जल छोड़ने को नियमित करने की कार्रवाई की गई है। विद्युत की उपलभ्यता के अनुसार विभिन्न भागीदार राज्यों और अन्य सामान्य समुदाय के उपभोक्ताओं को भी आवंटन किया गया है। भाखड़ा सेवा क्षेत्र के बाहर से, जैसे मध्यप्रदेश में सतपुड़ा ताप केन्द्र और दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ताप विद्युत केन्द्र से राहत की भी व्यवस्था की गई है। विद्युत उत्पादन के

सभी उपलब्ध अतिरिक्त स्रोत जैसे आरक्षित डीजल सेटों को काम में लाया गया है। अतिरिक्त डीजल विद्युत-उत्पादन सेट भी पंजाब में लगाने की स्वीकृति दी गई है। पंजाब और हरियाणा राज्यों में विद्युत उपभोग पर कटौती लगा दी गई है।

नंगल उर्वरक कारखाने की जो केन्द्र के स्वामित्व में है, खपत न्यूनतम 60 मेगावाट तक कम कर दी गई है जबकि इसकी सामान्य आवश्यकता। 60 मेगावाट है और इससे उत्पन्न राहत को साझियों के बीच ठीक प्रकार से बांट दिया गया है।

Demand for Locating Small Car Project in Jabalpur M. P.

221. **Shri Jagannathrao Joshi:** Will the Minister of **Industrial Development (Audyogik Vikas Mantri)** be pleased to state:

(a) whether Madhya Pradesh Government has sent a proposal to the Government of India for locating a Small Car Project in Jabalpur;

(b) whether the Central Government are aware that Jabalpur is centrally located with good road and rail communication facilities and the State Government is prepared to offer all necessary facilities like land, water and power and that Jabalpur already has a Heavy Vehicle Factory; and

(c) if so, the steps proposed to be taken by the Central Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Audyogik Vikas Mantralaya men Up Mantri) (Shri Siddheshwar Prasad): (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) The question of location of the proposed public sector project for the manufacture of passenger cars has not yet been considered. The Government of Madhya Pradesh have been informed that their request for location of the proposed project at Jabbalpur will be given due consideration, along with similar requests received from other State Governments, at the appropriate time.

Issue of Licences for Commercial and Industrial Enterprises

222. **Shri Jagannathrao Joshi:** Will the Minister of **Industrial Development (Audyogik Vikas Mantri)** be pleased to state:

(a) the details of the various types of licences granted for industries and commercial enterprises during the period from the 27th December, 1970 to 31st March, 1971;

(b) their values and the names of the parties to whom such licences were granted; and

(c) the comparative position of the licences granted during the corresponding period in the previous three years?

The Minister of State in the Ministry of Industrial Development (Audyogik Vikas Mantralaya men Rajya Mantri) (Shri Ghanshyam Oza): (a) and (b). During the period from 27th December, 1970 to 31st March, 1971, 75 industrial licences have been issued. apart from Carry-on-Business licences. It needs to be clarified that industrial licences are normally issued in the form of conversion of earlier letter of intent, once the conditions of the earlier letters of intent are fulfilled, except for Carry-on-Business licences, which relate to cases where undertakings had been established or effective steps' had been taken to set up the undertaking or industrial

unit concerned in industrial sectors which were formerly delicensed but which came within the fold off licensing consequent on the new licensing policy coming into force from 18th February, 1970.

Industrial licences are usually issued for specific capacities in respect of approved items of manufacture and not for specific values.

Details of all licences issued, including the names of the applicants, the items of manufacture etc., are regularly published in the weekly 'Bulletin of Industrial Licences, Import Licences and Export Licences', the Weekly 'Indian Trade Journal' and the monthly 'Journal of Industry and Trade'. Copies of these publications are supplied to the Parliament Library.

(c) The number of similar licences (other than Carry-on-Business licences) issued during the corresponsing period during the previous three years is given below:

Period	No. of licences
27-12-67 to 31-3-68	60
27-12-68 to 31-3-69	61
27-12-69 to 31-3-70	48

Financial Assistance to Small Scale Industries from World Bank

223. **Shri Jagannathrao Joshi:** Will the Minister of **Industrial Development (Audyogik Vikas Mantri)** be pleased to state:

(a) whether World Bank's sanction of financial assistance for any scheme for the development of small scale industries in India has been received; and

(b) if so, the outlines thereof and State-wise details of the benefits likely to accrue therefrom?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Audyogik Vikas Mantralaya men Up Mantri) (Shri Siddheshwar Prasad): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Rajasthan Canal Project

224. **Shri Jagannathrao Joshi:** Will the Minister of **Irrigation and Power (Sinchai Aur Vidyut Mantri)** be pleased to state:

(a) whether the Central Government have taken over the entire Rajasthan Canal Project;

(b) if so, the time by which the work on this project is likely to be completed; and

(c) the names of the States likely to be benefited by this project in the spheres of irrigation and power and the extent to which each of these States would get the benefit?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Sinchai Aur Vidyut Mantralaya men Up Mantri) (Shri B. N. Kureel): (a) No, Sir. The Rajasthan Canal Project forms a part of State Plan of Rajasthan Government.

(b) Stage I of the Project is likely to be completed substantially by the end of Fourth Plan period.

(c) This Project benefits Rajasthan State only.

कानपुर-बम्बई के मध्य रेलगाड़ी चालू करना

225. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार, कानपुर से बम्बई तक यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, कानपुर से बम्बई तक एक रेल गाड़ी चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो किस समय तक; और

(ग) यदि नहीं, तो कानपुर के लोगों की इस मांग पर विचार न करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) इस मांग पर विचार कियार किया गया है लेकिन रास्ते के खंडों में लाइन क्षमता की कमी और बम्बई वी० टी० और कानपुर में टार्मिनल सुविधाओं की कमी के कारण अभी परिचालन की दृष्टि से यह प्रस्ताव व्यावहारिक नहीं है।

कलकत्ता जाने वाली "कोल-फील्ड एक्सप्रेस" रेल का पानागढ़ स्टेशन पर रुकना

226. **श्री रेणुपद दास** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता जाने वाली "कोल-फील्ड एक्सप्रेस" रेलगाड़ी को 6 अप्रैल, 1971 को यात्रियों ने पूर्व रेलवे की मुख्य लाईन पर स्थित पानागढ़ रेलवे स्टेशन पर रोक लिया था और यह मांग कर रहे थे कि वह रेलगाड़ी उस स्टेशन पर रुका करे;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मांग पर विचार किया है; और

(ग) इस बारे में कब तक निर्णय लिये जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) फिलाहाल कोई परिवर्तन करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

मालदा टाऊन रेलवे स्टेशन और सामसी रेलवे स्टेशन स्थित "वे स्टालों" तथा दुकानों को नष्ट करना और उन्हें वहां से हटाना

227. **श्री दिनेश जोरदर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के डिवीजनल सुपरिनटेंडेंट ने सूचना दिए बिना ही मालदा टाऊन रेलवे स्टेशन और सामसी रेलवे स्टेशन पर निर्धन लोगों के "वे स्टालों और दुकानों को नष्ट किया और उन्हें जबरन हटाया है;

(ख) यदि हां, तो नष्ट की गई दुकानों ओर 'वे स्टालों' की कुल कितनी संख्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उन 'वे स्टालों' और दुकानों के मालिकों के लिये वैकल्पिक व्यवस्था करने अथवा क्षतिपूर्ति देने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया): (क) और (ख). जी नहीं। मालदा और समसी में क्रमशः जिन 25 और 17 अनधिकृत व्यक्तियों ने रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण कर रखा था उन्होंने अतिक्रमण को समाप्त करने के लिए अधिकारियों द्वारा दी गई अन्तिम चेतावनी पर स्वयं ही अपना सामान हटा लिया।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठता क्योंकि जो लोग अनधिकृत रूप से रेलवे की भूमि पर कब्जा कर लेते हैं, उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करना अथवा उन्हें क्षतिपूर्ति देना रेलवे की नीति नहीं है।

राष्ट्रपति शासन के दौरान पश्चिम बंगाल में उद्योगों का बन्द किया जाना

228. **श्री मुहम्मद इस्माइल** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में गत राष्ट्रपति शासन काल के दौरान बंद किये गये औद्योगिक कारखानों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) इन कारखानों के बन्द होने से बेरोजगार होने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने कारखाने बन्द होने के कारणों के सम्बन्ध में कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं; और

(ङ) सरकार ने कारखानों को पुनः चालू करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) 20-3-70 से 18-3-71 तक छोटे एककों सहित 198 एकक बंद हुए थे, जिनमें से बाद में 78 फिर से खुल गये।

(ख) 198 बंद हुए एककों में 63,8341 आदमी काम करते थे जिनमें से बाद में खोले गये 78 एककों में 41,607 आदमी लगे हुए हैं।

(ग) राज्य सरकार ने मामले की जाँच कराने के लिए एक समिति नियुक्त की थी।

(घ) इस समिति के अनुसार बंद होने के मुख्य कारणों में श्रमिक उत्पात वित्त संकट क्रयादेशों की कमी तथा कच्चे माल की कमी थी।

(ङ) बंद हुए कारखानों को फिर से खोलने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कुछ अभ्युपाय किये जा रहे हैं:—

(1) भारत के औद्योगिक विकास बैंक ने पूर्वी क्षेत्र में वित्तीय सहायता स्वीकृत करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय का मार्गदर्शन तथा सलाह देने हेतु कलकत्ता में एक क्षेत्रीय समिति का गठन किया है। क्षेत्रीय कार्यालय को 20 लाख रुपये तक के फिर से

वित्तीय सहायता देने अथवा सीधे वित्तीय सहायता के अनुरोधों पर कार्य करने की शक्ति दी गई है ।

(2) भारत का औद्योगिक विकास बैंक, बैंकों अथवा ऐसी सहायता देने वाले वित्तीय स्थानों द्वारा प्रयोजित मामलों में विशेष तकनीकी अथवा वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।

(3) राज्य सरकार ने अनेक प्रोत्साहन जैसे बिक्री कर की वापसी, लम्बी अवधी के ब्याज मुक्त ऋण निर्दिष्टा के प्रकरणों में प्रवेश कर की वापसी तथा कमजोर/बंद एककों को राज्य वित्तीय संस्थानों द्वारा सहायता देने की स्वीकृति दी है । नई आयात नीति में बंद लघु एककों को कच्चे सामान के अग्रिम आवंटन का प्रावधान किया गया है ।

(4) उपयुक्त मामलों में राज्य सरकार ने औद्योगिक एककों को ऋण देने के लिए बैंकों को ग्यारन्टी देने का निश्चय किया है ।

(5) हाल ही में भारत सरकार ने कमजोर तथा बंद औद्योगिक एककों के पुर्ननिर्माण हेतु औद्योगिक पुर्ननिर्माण निगम लिमिटेड की स्थापना की है जिसका मुख्यालय कलकत्ता में है ।

(6) राज्य सरकार श्रमिक प्रबंधक समस्याओं को सुलझाने के लिए हर संभव प्रयत्न कर रही है।

(7) सरकार राज्य में कच्चे सामान की कमी को दूर करने में सक्रिय रूप से लगी हुई है।

(8) जहाँ प्रबंधकों की विफलता के कारण उद्योग बंद हुआ है, वहाँ औद्योगिक अधिनियम के अन्तर्गत जांच करने का सुझाव दिया गया है । वास्तव में दो मामलों में केन्द्रीय सरकार ने प्रबंध अपने हाथ में ले लिया है ।

'1 अप' तथा '2 डाउन' दिल्ली-कालका-हावड़ा मेल का हजारीबाग स्टेशन पर रोका जाना

229. **श्री माधुर्य्य हालदा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हजारीबाग के निवासियों ने सरकार से अनुरोध किया था कि '1 अप' और '2 डाउन' दिल्ली-कालका-हावड़ा मेल का हजारीबाग रेलवे स्टशन पर रुकना जारी रहना चाहिये;

(ख) यदि हां, तो उक्त अनुरोध का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) से (ग). हजारीबाग रोड स्टेशन पर 1 अप/2 डाउन डाक गाड़ियों का ठहराव बनाये रखने का अनुरोध स्वीकार कर लिया गया है ।

कावेरी जल विवाद

230. **श्री जदेजा :** **श्री कल्याण सुन्दरम् :**
श्री टी० एस० लक्ष्मण :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 अप्रैल, 1971 के 'दि स्टेटसमैन' में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें मैसूर के राज्यपाल ने अपना यह मत व्यक्त किया बताया गया है कि तमिलनाडु तथा केरल के बीच कावेरी जल विवाद 1924 के समझौते के अन्तर्गत सुलझाया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त विवाद का समाधान करने के संबंध में मैसूर के राज्यपाल ने कोई ठोस प्रस्ताव किया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) यह समाचार भारत सरकार के नोटिस में आया है ।

(ख) और (ग). केरल, मैसूर और तमिलनाडु राज्यों के बीच जो कावेरी जल विवाद चल रहा है उसके सभी पहलुओं की केंद्रीय सरकार सावधानीपूर्वक जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि मतभेदों को कैसे हल किया जा सकता है ।

सिंचाई आदि के लिए मैसूर, केरल और तमिलनाडु के लिए विशेष ऋणों की स्वीकृति

231. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रहि** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने मैसूर, केरल और तमिलनाडु में सिंचाई, बाढ़ नियन्त्रण और विद्युत परियोजनाओं के उद्देश्य से चालू वित्तीय वर्ष में इन राज्यों की सरकारों को विशेष ऋण मन्जूर किए हैं;

(ख) क्या चालू वित्तीय वर्ष में अन्य राज्य सरकारों को भी इसी प्रकार के ऋण मन्जर किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार के स्वीकृत किए गए ऋणों का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग). चालू वर्ष 1971-72 के दौरान राज्यों को अभी तक ऐसे कोई ऋण मंजूर नहीं किए गए हैं। योजनेतर लेखे में चुनी हुई सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता पिछले वर्ष (1970-71 में) मन्जूर की गई थी जिसमें संबंधित राज्य परियोजनाओं में व्यवस्थित परिव्ययों के उपर इन परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त धन राशि की आवश्यकता का ध्यान रखा गया था। 1970-71 में इस प्रकार की विशेष सहायता के ब्यौरा देने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण-I

सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और विद्युत परियोजनाओं के लिए 1970-71 में योजनेतर लेखे में राज्यों को मंजूर किए गए विशेष केन्द्रीय ऋण:—

राज्य	परियोजना	(करोड़ रुपयों में) धन राशि
आंध्र प्रदेश	पोचाम्पाद सिंचाई परियोजना	1.00
असम	ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ नियंत्रण कार्य	3.00
बिहार	गण्डक सिंचाई परियोजना	3.11
केरल	समुद्र कटाव-रोधी कार्य	0.20
महाराष्ट्र	कुराडी विद्युत परियोजना	2.10*

(* इसके अलावा 90 लाख रुपये की रकम योजनेतर अनुदान सहायता के रूप में दी गई)

इसके अलावा सिंचाई और विद्युत तथा बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं के अनुसंधान कार्यों में तेजी लाने के लिए विभिन्न राज्यों को 316 लाख रुपये की रकम दी गई। राज्यवार ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-II

राज्य	1970-71 में स्वीकृत राशि (लाख रुपयों में)
1. आंध्र प्रदेश	22.40
2. असम	22.29
3. बिहार	23.31
4. गुजरात	15.64
5. हरियाणा	9.00
6. जम्मू व कश्मीर	2.20
7. केरल	10.00
8. मध्य प्रदेश	46.81
9. महाराष्ट्र	27.82
10. मैसूर	21.94
11. उड़ीसा	16.00
12. पंजाब	—
13. राज्यस्थान	21.00
14. तमिल नाडु	30.73
15. उत्तर प्रदेश	15.00
16. पश्चिम बंगाल	14.85
17. हिमाचल प्रदेश	17.01
	316.00

Delimitation of Constituencies and Proportional Representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Assemblies

232. **Shri P. L. Barupal:** Will the Minister of **Law and Justice (Vidhi Aur Nyaya Mantri)** be pleased to state:

(a) whether the seats in the State Assemblies would be reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in proportion to their population on the basis of 1971 census; if not, the reasons therefor; and

(b) whether the delimitation of all the Constituencies in all the States in India would be done before the 1972 election; if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Law and Justice (Vidhi Aur Nyaya Mantralaya Men Rajya Mantri) (Shri Nitiraj Singh Chaudhary): (a) Yes, Sir. The Delimitation Commission to be appointed by the Parliament *vide* articles 82 and 170 (3), would reserve seats for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, both in the House of the People and in the State Legislative Assemblies in such manner as prescribed in article 332 (3) of the Constitution, on the basis of the 1971 Census population.

(b) No, Sir. The re-adjustment of the Constituencies in all the States in India will not be done before the 1972 General Elections. For this purpose, Parliament has to pass a new Delimitation Commission Act after the final population figures of the 1971 Census become available, probably towards the middle of 1972.

तमिलनाडु और मैसूर के बीच कावेरी जल विवाद संबंधी समझौता सूत्र

233. **श्री सी० चित्तिबाबू**
श्री एस० राधाकृष्णन् :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने तमिलनाडु और मैसूर के बीच कावेरी जल विवाद संबंधी समझौता सूत्र के बारे में कोई निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समझौता-सूत्र का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समझौते सूत्र के बारे में तमिलनाडु सरकार से परामर्श किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (घ). केरल, मैसूर और तमिलनाडु के बीच जो कावेरी जल विवाद चल रहा है उसके सभी पहलुओं पर केन्द्रीय सरकार सावधानी पूर्वक विचार कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि मतभेदों को कैसे हल किया जा सकता है ।

मैसूर राज्य में हेमवती, काबिनी और हरंगी परियोजनाओं की मन्जूरी

234. **श्री सी० चित्ति बाबू : क्या सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मैसूर राज्य में हेमवती, काबिनो और हरंगी परियोजनाओं को मन्जूरी दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो तमिलनाडु तथा मैसूर सरकार के मध्य इन विवादास्पद परियोजनाओं को मन्जूरी दिए जाने के क्या का कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). 13.31 टी० एम० सी० का समुपयोजन करने के लिए 2.5 करोड़ रुपये की लागत की काबिनी परियोजना को योजना आयोग ने 1958 में स्वीकृति दे दी थी। अभी तक न तो हेमावती और हारंगी परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है, न मैसूर सरकार द्वारा प्रस्तावित काबिनी परियोजना के संशोधित रूप को।

छोटी कार परियोजना को चौथी योजना में सम्मिलित करने हेतु योजना आयोग का अनुमोदन

235. **श्री सी० चिति बाबू** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र में छोटी कार परियोजना कब स्थापित की जायेगी;

(ख) क्या परियोजना को चौथी पंच-वर्षीय योजना में सम्मिलित करने हेतु योजना आयोग ने स्वीकृति दे दी थी; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता लेकर परियोजना की स्थापना करने का सरकार का विचार है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) यात्री कारों का निर्माण करने के लिए सहयोग करने हेतु विदेशी पक्षों से प्राप्त प्रस्तावों पर फिलहाल विचार किया जा रहा है जिससे उपयुक्त माडल और विदेशी सहयोगी का चुनाव किया जा सके। अत: अभी यह बता सकना संभव नहीं कि परियोजना निश्चित रूप से कब तक स्थापित हो सकेगी।

(ख) यद्यपि, प्रस्तावित कार परियोजना चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल नहीं की गई है तो भी, परियोजना को इसमें शामिल करने का निर्णय योजना आयोग के परामर्श से किया गया है ।

(ग) ऐसा विचार है कि केन्द्रीय सरकार तथा सम्बद्ध केन्द्रीय सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का प्रस्तावित उपक्रम की इक्विटी पूंजी में 51 प्रतिशत तक नियन्त्रणकारी अंश रहेगा। शेष 49 प्रतिशत अंश जनता तथा अन्य व्यक्तियों के हाथ अंश के रूप में बेचे जा सकते हैं।

देश में आने वाली बाढ़ों के संबंध में वैज्ञानिक विश्लेषण

236. **श्री टी० एस० लक्ष्मणन्** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आने वाली बाढ़ों के संबंध में कोई वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ग) इन निष्कर्षों के संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग). 1957 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई बाढ़ संबंधी उच्च स्तरीय समिति ने इन बातों का व्यापक अध्ययन किया--देश के विभिन्न क्षेत्रों में बाढ़ समस्या, भूतकाल में अपनाए गए और सुझाए गए उपाय, और वे सामान्य दिशाएं जिन पर बाढ़ समस्या को सुलझाया जा सकता है ।

समिति की खोजों को लोक सभा में 11 फरवरी, 1959 को तारांकित प्रश्न संख्या 81 के उत्तर में सभा पटल पर प्रस्तुत किया गया था। यह संसद् के पुस्तकालय में उपलब्ध है ।

समिति ने विभिन्न बेसिनों के लिए बाढ़ नियंत्रण की व्यापक योजना तैयार करने पर जोर डाला था जिसमें वे मुख्य बातें भी बतायीं थीं जो इसमें सम्मिलित की जानी थीं । इसमें अन्य बातों के साथ-साथ बाढ़ों के इतिहास, उनकी आवृत्ति, परिमाण, अवधि, उनसे होने वाली क्षति इत्यादि के विस्तृत अध्यन भी सम्मिलित थे ।

समिति की रिपोर्ट को सिफारिशों पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए राज्यों को परिपत्रित किया गया क्योंकि बाढ़ नियंत्रण कार्यों का अनुसंधान, प्रतिपादन और कार्यान्वयन राज्यों द्वारा किया जाना होता है ।

समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए व्यापक योजना तैयार करने का काम राज्यों ने हाथ में ले लिया है जिनसे यह अनुरोध किया गया है कि 1972 के अन्त तक उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण करने के पश्चात् वे उसे अंतिम रूप दे दें। उसके साथ ही साथ समिति की खोजों और सिफारिशों की दृष्टि से जो तत्काल उपाय आवश्यक हैं वे राज्य सरकारों ने शुरू कर दिए हैं ।

तमिलनाडु में लघु-उद्योगों को ऋण

237. **श्री सामिनाथन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में लघु-उद्योगों को कितना ऋण उपलब्ध कराया गया है; और

(ख) सितम्बर, 1970 तक 817.93 करोड़ रुपये के ऋण प्राप्त 96,000 एककों में से उपरोक्त एककों की संख्या कितनी है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय के उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) सितम्बर, 1970 के अंतिम शुक्रवार को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा तमिलनाडु के लघु एककों को 94.49 करोड़ रुपये के ऋण उपलब्ध कराये गये ।

(ख) वित्त मंत्रालय द्वारा दिये गये पुनरीक्षित आंकड़ों के अनुसार भारत में 95766 एककों को 818.08 करोड़ रुपये के कुल ऋण दिये गये हैं। इन कुल एककों की संख्या में से, जिन्होंने ऋण सुविधायें प्राप्त की हैं, तमिलनाडु के 11275 हैं।

तमिलनाडु में औद्योगिक उपक्रमों को लाइसेंस तथा आशय-पत्र जारी किया जाना

239. **श्री दंडपाणि :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, 1970 से फरवरी, 1971 के दौरान जारी किये गये 247 लाइसेंसों तथा 257 आशय-पत्रों में से तमिलनाडु में औद्योगिक उपक्रमों को दिये गये लाइसेंसों और आशय-पत्रों की संख्या क्या है; और

(ख) जिन 23 लाइसेंसों को रद्द किया गया उनमें तमिलनाडु में रद्द किये गये लाइसेंसों की संख्या क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) 1 नवम्बर, 1970 से 28 फरवरी, 1971 की अवधि में तमिलनाडु में स्थित औद्योगिक उपक्रमों को 10 औद्योगिक लाइसेंस और 18 आशय-पत्र जारी किए गये थे।

(ख) उपर्युक्त अवधि में तमिलनाडु स्थित औद्योगिक उपक्रमों के दो लायसेंस प्रतिसंहृत किए गये।

गैर-सरकारी उद्योग में अनुसंधान तथा डिजायन कार्य

240. **श्री दंडपाणि :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी औद्योगिक क्षेत्र की अनुसंधान और डिजाइन कार्यों के सम्बन्ध में वर्तमान नीति क्या है; और

(ख) क्या उक्त अनुसंधान तथा डिजाइन कार्यों पर से रोक हटाने के सम्बन्ध में सरकार ने विचार किया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) और (ख). अनुसंधान तथा विकास कार्य संस्थागत तथा निर्माण करने वाले अलग-अलग एककों में किया जा रहा है। गैर-सरकारी क्षेत्र के अनेक औद्योगिक एककों में किस्म सुधारने, परियोजना डिजायन तैयार करने, आपातिव कच्चे माल के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला माल तैयार करने के लिए उनकी अपनी अनुसंधान विकास की सुविधायें उपलब्ध हैं। इन एककों ने वर्ष 1969-70 में अनुसंधान तथा विकास कार्यों पर अनुमानतः 8 करोड़ रुपया खर्च किया, जो भारत में अनुसंधान तथा विकास के कुल निवेश का लगभग 6 प्रतिशत है, जबकि उन्नत देशों में अनुसंधान और विकास पर किया जाने वाला खर्च 36 से 74 प्रतिशत के बीच होता है। ऐतिहासिक कारणों से भारतीय उद्योग आयातित जानकारी पर अधिक निर्भर करते हैं। भारतीय उद्यमी सामान्यतः विदेशी फर्मों के साथ सहयोग करते हैं जिनसे उन्हें विदेशी जानकारी मिलती है।

सरकार ने इस संबंध में रुकावटों को दूर करने के लिए अनेक कदम उठाये हैं। इनमें से कुछ उपाय इस प्रकार हैं:—(1) 'कास्ट' के अंतर्गत कर रियायत के प्रावधान के संबंध में तथा अनुसंधान एवं विकास कार्यों पर अधिक व्यय वाले उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए साधन जुटाने तथा विद्यमान सरकारी नीति की समग्र रूप से संवीक्षा करने के लिए एक परियोजना तैयार करना, (2) औद्योगिक लाइसेंसों, पूंजीगत माल तथा स्थानीय जानकारी का प्रयोग करने वाले उद्योगों के मामले में कच्चे माल का आयात करने के लिए प्राप्त आवेदन-पत्रों को प्राथमिकता देने के प्रस्ताव तैयार करना, (3) नवम्बर, 1970 में हुए वैज्ञानिकों, औद्योगिकों, तथा शिक्षाविदों के तृतीय सम्मेलन द्वारा गठित कार्यकारी दल ने भी गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में अनुसंधान तथा विकास के लिये कुछ प्रोत्साहन देने के सुझाव दिये हैं इनके सुझाव विचाराधीन हैं।

इंजीनियरी सामान का उत्पादन

241. **श्री मायावन :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरी उद्योग द्वारा साल भर में निर्मित वस्तुओं का कुल मूल्य लगभग 2500 करोड़ रुपये है;

(ख) क्या इस्पात जैसे कच्चे माल की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई किये जाने की स्थिति में यह मूल्य राशि बढ़कर 3000 करोड़ रू० तक जा सकती है; और

(ग) यदि हां, तो क्या अपनी क्षमता से बहुत कम उत्पादन कर रहे औद्योगिक कारखानों में उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार ने कोई योजना तैयार की है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) जी हां।

(ख) यदि इस्पात जैसा कच्चा सामान पर्याप्त मात्रा में उद्योग को सप्लाई कर दिया जाये तो वह राशि काफी बढ़ जायेगी।

(ग) सरकार ने विद्यमान औद्योगिक संयत्रों को अधिक देशी कच्चा सामान उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाये हैं। जहां कहीं आवश्यक हो आयातित कच्चा सामान उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने आयात नीति को भी उदार किया है। इसके अतिरिक्त, विद्यमान इस्पात संयत्रों में बढ़ाने के लिए विभिन्न ओद्योगिक सुधार किए जा रहे हैं जिससे वे औद्योगिक संयत्रों को अधिक इस्पात की सप्लाई कर सकें इसके परिणामस्वरूप अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य करने में सक्षम हो सकेंगे।

गंगा नदी द्वारा पटना, गया, शाहाबाद, मुंगेर तथा भागलपुर जिलों की भूमि की सिंचाई की योजना

242. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने पटना, गया, शाहाबाद, मुंगेर तथा भागलपुर जिलों की भूमि की गंगा नदी द्वारा सिंचाई की कोई योजना बनाई है;

(ख) क्या उपरोक्त योजना केन्द्रीय सरकार को प्रेषित की जा चुकी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और उस पर कितने व्यय की आशा है;

(घ) क्या बिहार सरकार ने इस योजना के लिए केन्दीय सरकर से अतिरिक्त धनराशि की मांग की है;

(ङ) यदि हां, तो मांगी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई ग्रौर विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). बिहार सरकार से ऐसी किसी स्कीम के लिए कोई परियोजना रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।

(ग) से (च). प्रश्न नहीं उठता।

धनबाद प्रभाग (पूर्वी रेलवे) के हड़ताल करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

243. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी रेलवे में धनबाद प्रभाग के रेलवे कर्मचारियों ने पिछले फरवरी मास में कुछ दिन के लिए हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो हड़ताल करने वाले कर्मचारियों की शिकायतें क्या थीं;

(ग) उन शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई;

(घ) क्या रेलवे बोर्ड द्वारा इस आश्वासन के बावजूद कि किसी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जाएगी उक्त हड़ताल में भाग लेने के कारण कुछ रेलवे कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है; और

(ड) यदि हां, तो उसका औचित्य क्या है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हां। धनबाद मण्डल के रेल कर्मचारियों के एक भाग ने 3 फरवरी से 10 फरवरी, 1971 तक हड़ताल की थी।

(ख) हजारीबाग रोड स्टेशन के रेलवे सुरक्षा दल के हवलदार के विरुद्ध अनुशासनिक और कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गयी थी जिस पर 27-1-71 को इस स्टेशन के एक स्विचमैन की पत्नी पर आक्रम करने का आरोप लगाया गया था। कर्मचारियों ने यह भी मांग की थी कि गोमो स्थित रेलवे सुरक्षा दल के आफिसर कमांडिंग और हजारीबाग रोड के स्टेशन मास्टर को तत्काल स्थानान्तरित कर दिया जाये और उनके खिलाफ अनुशासनिक और कानूनी कार्रवाई की जाये।

(ग) 27-1-1971 को जो घटना हुई थी उसके सम्बन्ध में तथ्यों का पता लगाने के लिए जांच की गई और रिपोट मिलने पर हवलदार को 2-2-1971 से निलंबित कर दिया गया।

(घ) और (ड). रेलवे बोर्ड द्वारा ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया। जिन कर्मचारियों ने हड़ताल में भाग लिया था उनकी सेवा स्वाभाविक परिणाम के रूप में भंग हो गयी। इसके अलावा,

अनिवार्य सेवा अनुरक्षण अधिनियम, 1968 का उल्लंघन करने और/या हिंसात्मक गतिविधियों, धमकियों आदि में भाग लेने के कारण 9 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। इन 9 कर्मचारियों के विरुद्ध अदालत में मुकदमा भी चल रहा है।

मध्य प्रदेश में सोन नदी पर बांध के निर्माण के संबंध में विधान सभा का संकल्प

244. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार विधान सभा ने पिछले दिसम्बर के अपने सत्र में सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित करके सरकार से यह अनुरोध किया था कि मध्य प्रदेश सरकार को उस राज्य में सोन नदी पर बांध निर्माण के लिए अनुमति न प्रदान की जाए; और

(ख) यदि हां, तो संकल्प का ब्यौरा क्या है और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). बिहार विधान सभा ने अपनी 23 मार्च, 1971 की बैठक में निम्नलिखित संकल्प पारित किया था:—

बिहार विधान सभा की यह बैठक सर्वसम्मति से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित सोन नदी पर बानसागर परियोजना के निर्माण का विरोध करती है। साथ ही यह केंद्रीय सरकार से आग्रह करती है कि इस परियोजना पर कार्रवाई स्थगित करने के लिए आदेश जारी किए जाएं क्योंकि इस परियोजना के निर्माण से सौ वर्ष पुरानी सोन नहर प्रणाली पर घातक प्रभाव पड़ेगा और इससे बिहार राज्य में 7.5 लाख एकड़ खरीफ, 6 लाख एकड़ रबी तथा 1 लाख एकड़ भरमा फसलें पूरी तरह बरबाद हो जाएंगी।

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित बानसागर परियोजना भारत सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं हुई है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार सरकारों के इन्जीनियरों के साथ सलाह करके केंद्रीय सरकार के इंजीनियर बानसागर परियोजना के लिए ऐसे संशोधित प्रस्ताव तैयार करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, जो तीनों राज्यों को मान्य हों।

भारतीय रेलों में मिला दी गई भूतपूर्व रियासतों की रेलों की बकाया राशि के भुगतान के बारे में अन्तिम रुप दिया जाना

245. **श्री के० एस० चावड़ा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1950 में भारतीय रेलों में मिलाई गई भूतपूर्व रियासतों की रेलों की बकाया राशियों के भुगतान के बारे में अब तक अन्तिम रुप नहीं दिया गया है; और

(ख) 1950 में भारतीय रेलों में मिला दी गई भूतपूर्व रियासतों की रेलों की कितनी राशि बकाया है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हां।

(ख) बकाया रकमें संलग्न विवरण में दी गयी है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 174/71]

काकोसी और मीलडी (पश्चिम रेलवे) के बीच रेलवे लाइनें

246. **श्री के० एस० चावड़ा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काकोसी और मीलडी के बीच रेलवे लाइन के लिए पश्चिम रेलवे द्वारा कब जाँच पड़ताल की गई थी और वह कब पूरी हुई;

(ख) उपर्युक्त रेलवे लाइन के निर्माण की अनुमानित लागत क्या है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय का विचार 1971-72 के कार्यक्रम में उक्त रेलवे लाइन के निर्माण को सम्मिलित करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) से (घ). मेहसाना-पालनपुर-अजमेर मार्ग पर लाइन क्षमता के विकास के विकल्प के रूप में वर्तमान मेहसाना-वागरोड खण्ड पर लाइन क्षमता के विकास के साथ-साथ वागरोड से मीलडी तक एक नयी रेलवे लाइन के लिए 1965-66 में जाँच-पड़ताल की गयी थी। इस जाँच-पड़ताल से पता चला था कि वागरोड से मीलडी तक नयी लाइन पर लगभग 2 करोड़ रुपये की लागत आयेगी और मेहसाना-वागरोड खण्ड पर लाइन क्षमता के विकास पर भी 0.24 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

चूंकि आर्थिक एवं यातायातिक दृष्टि से इस खर्च का औचित्य नहीं पाया गया इसलिए इस लाइन के निर्माण का विचार नहीं किया गया।

तीसरी तथा चौथी श्रेणी के पदों के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवार

247. **श्री के० एस० चावड़ा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, 1968 से लिखित परीक्षा के माध्यम से भर्ती के अतिरिक्त तीसरी तथा चौथी श्रेणी के गैर-तकनीकी तथा अर्ध-तकनीकी पदों के लिये सीधी भर्ती के लिये स्टैण्डर्ड में रियायत दिये जाने के बाद भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के कितने उम्मीदवार नहीं मिले थे;

(ख) जुलाई, 1968 से लेकर आरक्षित पदों को भरने के लिये अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवारों में से ऐसे कितने सर्वोत्तम उम्मीदवार चुने गये जिनकी शैक्षिणिक योग्यता न्यूनतम थी; और

(ग) क्या उन्हें सेवा में आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया है।

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

सशस्त्र डाकुओं द्वारा पसहारा और नारायणपुर (पूर्वोत्तर रेलवे) के बीच एक गाड़ी के यात्रियों का लूटा जाना

248. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** **श्री गंगा रेड्डी :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ सशस्त्र डाकुओं ने पूर्वोत्तर रेलवे पर पसहारा और नारायणपुर के बीच 25 अप्रैल, 1971 को एक सवारी गाड़ी को रोक कर यात्रियों को लूट लिया; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार का क्या कारंवाई करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हां।

(ख) (i) सरकारी रेलवे पुलिस द्वारा सामान्य सुरक्षा प्रबन्धों को कड़ा किये जाने, जैसा कि महत्वपूर्ण स्टेशनों पर निगरानी रखने और अपराधियों तथा समाज-विरोधी तत्वों की धर-पकड़ करने के लिए समय-समय पर छापा मारने के अलावा, रात की महत्वपूर्ण गाड़ियों में सरकारी रेलवे पुलिस के पहरे की व्यवस्था की जाती है।

(ii) रेलवे सुरक्षा दल सरकारी रेलवे पुलिस के साथ निकट सम्पर्क बनाये रखता है ताकि अपराधों को प्रभावी ढंग से रोका जा सके और बदमाशों पर निगाह रखी जा सके।

(iii) रेलों पर अपराधों का पता लगाने और इसकी रोक-थाम के काम में सुधार लाने के उद्देश्य से रेलवे सुरक्षा दल के अधिकारी सरकारी रेलवे पुलिस के अधिकारियों के साथ सभी स्तरों पर समन्वय बैठकें आयोजित करते हैं।

(iv) यार्डों में या स्टेशन प्लेटफार्मों पर ड्यूटी पर तैनात रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों को रेलवे सम्पत्ति की रक्षा करने, अपराध-स्थल पर फौरन पहुंचने और पीड़ितों को सभी संभव सहायता प्रदान करने की कड़ी हिदायतें जारी की गयी हैं।

जकार्ता के प्रतिनिधि मंडल द्वारा रेल उपकरणों की खरीद

249. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जकार्ता के एक सरकारी प्रतिनिधि मंडल ने रेल उपकरणों की खरीद की सम्भावना का पता लगाने के लिए अभी हाल में भारत यात्रा की थी;

(ख) क्या इस संबंध में उक्त प्रतिनिधि मंडल ने रेलवे बोर्ड के साथ विचार-विमर्श किया था; और

(ग) यदि हां, तो बातचीत के क्या परिणाम निकले ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) से (ग). अभी हाल में हिन्देशिया रेलवे के चार सदस्यों का एक प्रतिनिधि मण्डल भारत सरकार के अतिथियों के रूप में भारत आया और उन्होंने रेलवे बोर्ड के साथ अन्वेषणार्थ विचार-विमर्श किया लेकिन कोई पक्का निर्णय नहीं किया गया ।

राजस्थान में केन्द्रीय परियोजनाओं की स्थापना

250. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार राजस्थान में अपनी परियोजनाओं पर 161.89 करोड़ रुपये चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक लगायेगी । जबकि देश में केन्द्रीय परियोजनाओं पर लगने वाली कुल राशि 3,405 करोड़ रुपये है;

(ख) क्या राज्य में पीछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार का राजस्थान में अधिक केन्द्रीय परियोजनायें स्थापित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) चौथी योजना के अन्त तक अर्थात् 1951-74 के दौरान राजस्थान राज्य में केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाओं पर कुल विनियोजन 133.9 करोड़ रुपये का होगा, जबकि देश में कुल विनियोजन 4460.4 करोड़ रुपये का है ।

(ख) तथा (ग). चतुर्थ योजना प्रलेख के पृष्ठ 326-330 पर दी गई केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाओं के अलावा, राजस्थान में स्थानीय पाइराइट और रॉक फास्फेट पर आधारित उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की सम्भावनाओं पर विचार किया जा रहा है ।

भ्रष्टाचार कम करने हेतु ग्यारह-सूत्री कार्यक्रम को जारी रखना

251. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : 　　　　**श्री ए० पी० शर्मा** :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भ्रष्टाचार कम करने हेतु ग्यारह-सूत्री कार्यक्रम जारी रखने का है;

(ख) क्या इसको जारी रखने हेतु इससे होने वाले लाभों का पता लगाने के लिये इस कार्यक्रम के कार्यकरण का अब तक निर्धारण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). कोई औपचारिक आकलन नहीं किया गया है क्योंकि कार्यक्रम का कार्यान्वयन जून, 1970 में ही प्रारम्भ हुआ है । लेकिन मुगलसराय अभियान से प्राप्त परिणामों से यह देखा गया है कि उस क्षेत्र में चोरी और उठाईगीरी की घटनाएं काफी कम हो गयी हैं ।

मुगलसराय में होने वाली चोरियों को रोकने के लिये नियुक्त स्वयंसेवक

252. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन द्वारा स्वयंसेवकों को मुगलसराय यार्ड में नियुक्त किये जाने से वहां बड़े स्तर पर होने वाली चोरियों पर कुछ प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो स्वयंसेवकों को इस प्रकार ऊपर से लादे जाने के परिणामस्वरूप रेलवे सुरक्षा दल का और उत्साह भंग हुआ है, उन्हें घृणा की दृष्टि से देखा जा रहा है और वह प्रभावी रुप से कार्य करने में असमर्थ है; और

(ग) क्या भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मुगलसराय और अन्य रेलवे स्टेशनों पर साधुओं और स्वयंसेवकों को नियुक्त करने की नीति पर सरकार चलती रहेगी ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) राष्ट्रीय लोक सेना के सदस्यों ने चोरियों के केवल कुछ छोटे-मोटे मामले पकड़े थे।

(ख) जी, नहीं।

(ग) मामला सरकार के विचाराधीन है।

पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिये उद्योगपतियों को सहायता

253. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पिछड़े तथा दुर्गम प्रदेशों में उद्योग स्थापित करने हेतु गैर-सरकारी औद्योगिक क्षेत्र को सहायता देने को सहमत है;

(ख) क्या इन कार्यों के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र को उपलब्ध कराई जानेवाली सहायता की सूचना सरकार ने इस बीच प्रकाशित कर दी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) से (ग). पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के संवर्धन के लिए कसौटी तथा प्रोत्साहन संबंधी कार्यकारी दलों की सिफारिशों पर राष्ट्रीय विकास परिषद के निर्णयों के अनुसरण में हाल ही में वित्तीय संस्थानों से रियायती दर पर वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए कुछ जिलों को चुना गया है। इसके अलावा केन्द्र द्वारा उद्योगों को उनके अचल पूँजी विनियोजन पर सीधे 10 प्रतिशत अनुदान या सहायता देने के लिए भी कुछ जिलों/क्षेत्रों को चुना गया है। सरकार, जम्मू तथा काश्मीर, मेघालय, नागालैंड तथा मणीपुर, त्रिपुरा एवं नेफा के संघ राज्य-क्षेत्रों समेत असम राज्यों के बारे में भी नये उद्योगों के मामले में कच्चे माल तथा तैयार माल की लागत को 50 प्रतिशत तक परिवहन सहायता देने की योजना आयोग की सिफारिश पर विचार कर रही है। विद्यमान एककों को भी अपना विस्तार करने अथवा विविधीकरण के लिए परिवहन सहायता भी उपलब्ध कराई जायेगी बशर्ते कि

इससे उनके पिछले लगातार तीन वर्षों के दौरान हुई वार्षिक निपज के औसत में कम से कम 25 प्रतिशत तक उत्पादन में वृद्धि होती हो।

10 प्रतिशत तक केन्द्रीय अनुदान और परिवहन सहायता की योजना के प्रशासनिक ब्यौरे तथा उनके वितरण करने की प्रक्रिया तैयार की जा रही है।

Facility for Checking Ballot Papers

254. **Shri R. V. Bade:** Will the Minister of **Law and Justice (Vidhi Aur Nyaya Mantri)** be pleased to state:

(a) the details of the rules and regulations governing the printing of ballot papers, printing of additional ballot paper, disposal of defective ballot papers and prevention of their misuse and maintenance of their account; and

(b) whether Government propose to provide the facility of checking the additional and serially numbered ballot papers or the defective ballot papers and their accounts to the candidates or their parties?

The Minister of State in the Ministry of Law and Justice (Vidhi Aur Nyaya Mantralaya Men Rajya Mantri) (Shri Nitiraj Singh Chaudhary): (a) The total number of ballot papers to be printed for each constituency is fixed in the following manner, namely:—

(i) For each polling station a number equal to the number of electors allotted to that polling station rounded off to the next ten;

(ii) The total number of ballot papers for each assembly segment of a parliamentary constituency will be the total number of ballot papers required for all the polling stations in that segment, rounded off to the next higher hundred, and

(iii) The total number of ballot papers to be printed for a parliamentary constituency will be the total number of ballot papers fixed in the above manner for all the assembly segments for that parliamentary constituency.

The defective ballot papers and floor sweepings at the Government Presses where the ballot papers are printed are required to be torn into pieces and destroyed by being burnt.

Only the exact quantity of paper required for the printing of ballot papers is supplied to the Government Presses and after printing of the ballot papers is over, the presses have to give a full account of the paper received by them.

(b) In view of the detailed and elaborate provisions set out above, provision of any other facility is not considered necessary.

त्रिपुरा की पम्बरु पन-बिजली परियोजना का पूरा किया जाना तथा राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम के विरुद्ध शिकायत

255. **श्री बीरेन दत्त :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा की पम्बरु पन-बिजली परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की आशा है;

(ख) क्या राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम द्वारा धन की बर्बादी के बारे में इस मंत्रालय को कोई शिकायत मिली है; और

(ग) यदि हां, तो इस शिकायत का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) गुमटी (पम्बारू/डुम्ब्रो) जल-विद्युत् परियोजना के 1972-73 में पूर्ण हो जाने की आशा है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

होवर नदी (त्रिपुरा) के जल निकास की योजना

256. **श्री बीरेन दत्त** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा सरकार ने होवर नदी, जिससे अगरतला नगर के आसपास बाढ़ आ जाती है, में जल की निकासी की कोई योजना प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त योजना का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). त्रिपुरा प्रशासन के पास हावड़ा नदी की सहायक नदियों, नामश: बंगेश्वर, चिनचिमा, थोबाटीला, और पनाई, पर छोटे जलाशयों के निर्माण का प्रस्ताव है, जोकि अगरतला शहर के निकट बाढ़ों का नियंत्रण करेंगे । निर्मीत हो जाने पर जलाशयों द्वारा बाढ़ों के ऐसे नियंत्रण से अगरतला शहर के निकट नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ें कम आएंगी और इससे शहर के अन्दर से तूफान के पानी की शीघ्र निकासी में भी सहायता मिलेगी और आगे अध्ययन तथा क्षेत्र अनुसंधान करने के पश्चात् इस प्रस्ताव की व्यवहार्यता अभी सिद्ध होनी है ।

अगरतला शहर के आसपास अच्छी बहाव स्थिति पैदा करने तथा नियंत्रण करने के उद्देश्य से घुमावों को सीधा करना, नदी नियंत्रण कार्य इत्यादि जैसे अनुसंधान उपायों के लिए हावड़ा नदी के द्रवचालित माडल अध्ययन करने के लिए त्रिपुरा सरकार ने भी एक प्रस्ताव रखा है जिसका केन्द्रीय जल और विद्युत् अनुसंधान शाला, पूना में अध्ययन हो रहा है ।

उत्तर बिहार की पश्चिमी कोसी नहर योजना को तत्काल पूरा करने में रुकावटें

257. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर बिहार में पश्चिमी कोसी नहर योजना को तत्काल पूरा करने में क्या कठिनाइयाँ हैं;

(ख) क्या सरकार ने कोसी नदी की बाढ़ से पीड़ित लोगों की दशा में सुधार करने के लिए फिलहाल पश्चिमी कोसी नहर योजना के स्थान पर डगमेयर बांध योजना आरम्भ करने का निर्णय किया है; और

(ग) यदि हां, तो योजना को पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) नेपाल प्रदेश में पड़ने वाले पहले 22 मीलों की लम्बाई में नहर के निर्माण के लिए नेपाल सरकार की स्वीकृति प्राप्त न होना ।

(ख) डगमारा बराज पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वोत्तर रेलवे के सकरी-निर्मली सेक्शन में भंझारपुर से खुबाना तक रेल लाइन का विस्तार करने की मांग

258. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर रेलवे में सकरी-निर्मली सेक्शन में भंझारपुर से खुबना तक रेल लाइन के विस्तापन की मांग को स्वीकार कर लिया है जिससे पूर्वोत्तर रेलवे के सकरी-निर्मली सेक्शन के चिकना हाल्ट को रेलवे स्टेशन का पूरा स्तर मिल जायगा और आने-जाने वाली प्रत्येक गाड़ी को पूर्वोत्तर रेलवे के सकरी-जैनगर सेक्शन के उगाना हाल्ट पर कुछ मिनट के लिये रोका जा सकेगा; और

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय पर कब कार्रवाई की जायेगी ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) और (ख). पूर्वोत्तर रेलवे भंझारपुर से खतौना तक मीटर लाइन की एक सम्पर्क लाइन के लिए इंजीनियरिंग व्यावहारिकता अध्ययन करने और यातायात अनुमान लगाने का प्रस्ताव है। उस रेलवे से आवश्यक अनुदान भेजने को कहा गया है।

विगत में चिकना हाल्ट को फ्लैग स्टेशन में बदलने के प्रस्ताव पर विचार किया गया था और वित्तीय दृष्टि से उसका औचित्य नहीं पाया गया। फिर भी, प्रस्ताव पर फिर से विचार किया जा रहा है।

इस खण्ड में चल रही 5 जोड़ी गाड़ियों में से 2 जोड़ी गाड़ियां उगना हाल्ट पर पहले ही से रुकती हैं ताकि सुबह और शाम दोनों समय प्रत्येक दिशा के लिए एक-एक गाड़ी की व्यवस्था रहे। इस हाल्ट पर यातायात कम है और स्टेशन घाटे में चल रहा है, इसलिए किसी और गाड़ी को यहां ठहराने का औचित्य नहीं समझा गया। जनता की मांग के फलस्वरूप इस स्टेशन पर 11-15 बजे रुकने वाली 326 डाउन गाड़ी की बजाय 1-6-1971 से नं० 328 डाउन सवारी गाड़ी लगभग 17-30 बजे रुका करेगी।

पूर्वी रेलवे में ब्रेक कलपुर्जे की चोरी के कारण माल डिब्बों का गाड़ियों में न जोड़ा जाना

259. **श्री त्रिदिब चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष (1971) के पहले पांच महीनों में पूर्वी रेलवे तथा अन्य भारतीय रेलों में पृथक-पृथक चलती गाड़ियों तथा रुके हुए माल-डिब्बों में से ब्रेक-बीम, ब्रेक कम्पोनेंट्स और बेयरिंग ब्रासिस तथा अन्य पुर्जे निकाल लिये जाने के कारण प्रतिदिन कितने माल-डिब्बों को गाड़ियों में नहीं लगाया जा रहा है;

(ख) प्रत्येक ज़ोनल रेलवे के सम्बन्ध में इन आंकड़ों का प्रत्येक मास का ब्यौरा क्या है और ये 1970 और 1969 में इन्हीं महीनों के आंकड़ों से कहां तक मेले खाते हैं;

(ग) विभिन्न ज़ोनल रेलों में माल-डिब्बों की मरम्मत की प्रतिदिन की वर्तमान अन्तर्निहित क्षमता कितनी है;

(घ) (एक) माल डिब्बों के पुर्जों की चोरी, (दो) पुर्जे बदलने और फालतू पुर्जों की लागत और (तीन) माल के न ढोये जाने के कारण भारतीय रेलवे को कितनी हानि हुई है; और

(ङ) इन चोरियों को रोकने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) से(ङ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

पूर्व रेलवे और दक्षिण-पूर्व रेलवे में उपकरणों की चोरी से सम्बन्धित तुलनात्मक आंकड़े

260. **श्री त्रिबिद चौधरी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971 के प्रथम पांच महीनों में दणिण-पूर्व रेलवे के खड़गपुर और आद्रा डिवीज़नों तथा पूर्व-रेलवे के हवड़ा, सियालदह, आसनसोल और दानापुर डिवीज़नों में बिजली के पंखों, ऊपरी बिजली के तारों (लम्बाई या वज़न के अनुसार), संचार केबल और बेटरी सैलों की चोरी से सम्बन्धित मासिक आंकड़े क्या हैं और पिछले वर्ष के इसी अवधि के आंकड़े क्या हैं; और

(ख) पूर्व रेलवे और दक्षिण-पूर्व रेलवे में इन कारणों से कितनी वार्षिक क्षति होती है और अन्य रेलवे जोनों में इसी प्रकार की क्षति के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया): (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Functioning of Railway Workshop, Jodhpur (Northern Railway)

262. **Shri M. C. Daga:** Will the Minister of **Railways (Rail Mantri)** be pleased to state:

(a) the date from which the Railway workshop at Jodhpur (Nothern Railway) has been functioning;

(b) whether the number of employees in that Workshop was 3300 in 1958 which has since been reduced to 2200, if so, the reasons therefor;

(c) the reasons for deterioration in the working of the workshop; and

(d) the reasons for which the workers in the workshop are not given opportunity of suitable work although they have been working there continuously for the last 14 years and no promotions have been given to them?

The Minister of Railways (Rail Mantri) (Shri Hanumanthaiya): (a) Jodhpur workshop is functioning from the year 1882 approximately.

(b) The number of employees in the year 1958 was 3057 and now as on 31-3-1971 is 2972. The reduction is due to higher productivity consequent on the introduction of incentive scheme in the workshop.

(c) There has been no deterioration in the general working of the workshop.

(d) Promotions have been effected from time to time to match the work load.

The number of promotions effected since 1958 are as follows:—

(i) Khalasis to Semi-Skilled	—	182
(ii) Semi-Skilled to Skilled	—	732
(iii) Skilled to Highly Skilled	—	267

Rural Industrialisation in Rajasthan

263. **Shri M. C. Daga:** Will the Minister of **Industrial Development (Audyogik Vikas Mantri)** be pleased to state:

(a) the number of villages in Rajasthan which have been brought under the "Rural Industrialisation Scheme" and the amount of grants given to them; and

(b) the number of villages in Rajasthan proposed to be brought under this Scheme in the near future together with their names?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Audyogik Vikas Mantralaya men Up Mantri) (Shri Siddheshwar Prasad): (a) There are two Rural Industries Projects, at Nagaur and Churu in Rajasthan. These two cover the entire district area. The number of villages in the two project areas are 911 in Nagaur District and 1199 in Churu District. An amount of Rs. 23.26 lakhs has been given as central grant to the State Government for the developmental schemes in the two project areas during 1962-63 to 1970-71.

(b) Two new project areas in two districts have been allotted to Rajasthan which are to be taken up from the beginning of the Fifth Five Year Plan. The State Government are yet to furnish the names of the two districts for selection as Rural Industries Project areas.

Religious Institutions Enjoying Government Patronage or Managed by Government

264. **Shri M. C. Daga:** Will the Minister of **Law and Justice (Vidhi Aur Nyaya Mantri)** be pleased to state:

(a) the names of religious institutions in India which enjoy Government petronage and since when; and

(b) the names of the religious shrines being managed by the Government, like the Dargah Khwaja Saheb, and since when?

The Minister of State in the Ministry of Law and Justice (Vidhi Aur Nyaya Mantralaya Men Rajya Mantri) (Shri Nitiraj Singh Chaudhary): (a) No religious institution enjoys the patronage of the Central Government.

(b) No religious shrine is managed by the Central Government. The Durgah Khwaja Saheb, Ajmer, is governed by an Act of Parliament known as the Durgah Khawaja Saheb Act, 1955. The management of the Durgah vests in a statutory Committee which is a body corporate and is known as the Durgah Committee.

धर्मनगर से अगरतल्ला (उत्तर पूर्व सीमा रेलवे) तक रेल लाइन

265. **श्री बीरेन दत्त :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धर्मनगर से अगरतल्ला तक की रेल लाइन के सम्बन्ध में सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच पूरी कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस लाइन का निर्माण-कार्य कब तक प्रारम्भ किये जाने की आशा है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) और (ख). धर्मनगर-अगरतल्ला नयी रेलवे लाइन की इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण रिपोर्टों की रेलवे बोर्ड द्वारा जांच की जा रही है । जांच पूरी हो जाने के बाद, इस लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में विनिश्चय किया जायेगा ।

पांशकुडा-हल्दिया सेक्शन (दक्षिण पूर्व रेलवे) का विद्युतीकरण

266. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा पांशकुडा-हल्दिया सेक्शन के विद्युतीकरण के बारे में सर्वेक्षण-प्राक्कलन सहित परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना पर कुल कितना खर्च होने का अनुमान है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हां ।

(ख) पांशकुड़ा-हल्दिया खंड दक्षिण-पूर्व रेलवे के वर्तमान विद्युतीकृत हवड़ा-खड़गपुर खण्ड के साथ जुड़ा हुआ है । इस 69 किलोमीटर लम्बे खण्ड का विद्युतीकरण हो जाने पर हल्दिया से पांशकुड़ा तक और पांशकुड़ा से हल्दिया तक पांशकुड़ा में कर्षण का बदलाव किये बिना सीधी गाड़ी सेवाएं चालू करना संभव हो जायेगा और साथ ही रेलें, हल्दिया पत्तन का निर्माण हो जाने के फलस्वरूप यातायात की प्रत्याशित वृद्धि को सम्हालने में भी समर्थ हो जायेंगी ।

(ग) स्वीकृत अनुमान के अनुसार परियोजना की लागत 2.4 करोड़ रुपये आयेगी ।

रेल के डिब्बों और इंजनों का निर्यात

267. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे द्वारा सवारी डिब्बों और इंजनों जैसा रेल का सामान निर्यात किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों को निर्यात किया जाता है, और निर्यातित सामान का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निर्यात किये जाने वाले उपर्युक्त उपकरणों के मामले में भारत आत्म-निर्भर हैं; और

(घ) उपर्युक्त उपकरणों के निर्यात को बढ़ाने के लिये और क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) और (ख). भारतीय रेलवे के उत्पादन यूनिटों ने बर्मा, थाईलैंड और ताइवान को सवारी डिब्बा बोगियां, बर्मा को बायलर और सीरिया, नाइजरिया और कनाडा को रेल इंजन के पुर्जों का निर्यात किया है । ताइवान को 113 सवारी डिब्बों की सप्लाई के एक आदेश को निष्पादित किया जा रहा है । अभी तक एक भी रेल इंजन का निर्यात नहीं किया गया ।

(ग) निर्यात का नियमन, भारतीय रेलों की आवश्यकताओं को देखने हुए वर्तमान क्षमता के अन्दर किया जाता है।

(घ) विदेशों से की गयी पूछताछों का अध्ययन किया जाता है और जहां व्यावहारिक होता है, वहां दरें भेजी जाती हैं।

रेलवे में सुधार के लिये 11–सूत्री कार्यक्रम की उपलब्धियाँ

268. **श्री ए० पी० शर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे संचालन में सुधार के लिये भूतपूर्व रेलवे मंत्री ने जो 11 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया था, उसकी अब क्या स्थिति है; और

(ख) इस कार्यक्रम को किस गति से क्रियान्वित किया जा रहा है और उसकी क्रियान्विति के परिणामस्वरूप रेलवे को कितनी बचत हुई है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) और (ख). ग्यारह सूत्री कार्यक्रम के कियान्वयन पर रेल प्रशासनों द्वारा लगातार ध्यान दिया जा रहा है।

यद्यपि ग्यारह-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत चलाये गये विभिन्न अभियानों के फलस्वरूप बचत हुई है लेकिन रुपयों में उनका सही मूल्यांकन करना संभव नहीं है।

लाइसेंस देने की शक्ति प्राप्त करने के लिये राज्यों से माँग

269. **श्री जी० विश्वनाथन** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों की ओर से यह मांग की गई है कि लाइसेंस देने की कुछ शक्तियां उन्हें दी जायें; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) और (ख). एक राज्य सरकार ने यह मत व्यक्त किया है कि औद्योगिक लाइसेंस की स्वीकृति का विकेन्द्रीकरण कर दिया जाना चाहिए।

सभी पहलुओं में––जैसे तेजी से वृद्धि करने की आवश्यकता, क्षेत्रीय-सन्तुलन में कमी करना, आर्थिक शक्ति के एकत्रीकरण को रोकना, पूंजी और विदेशी मुद्रा समेत सीमित साधनों का उचित उपयोग करना जिससे वह सम्पूर्ण रूप से देश की अर्थ-व्यवस्था के लिये लाभदायक सिद्ध हो सके–– पर विचार करने पर औद्योगिक विकास एवं लाइसेंस देने की समस्याओं के बारे में केन्द्रीय सरकार के लिये यह अनिवार्य हो गया है कि वह राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इन पर विचार करें और उनका समाधान ढूंढ निकाले फिर भी नीतियों का निर्धारण करने और औद्योगिक लाइसेंस देने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में राज्य सरकारों के विचारों पर उचित ध्यान दिया जाता है।

न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के लिये न्यायपालिका की मांग

270. **श्री जी० विश्वनाथन :** क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायपालिका ने यह मांग की है कि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति उस के पास होनी चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) और (ख). कहा जाता है कि 15 अप्रैल, 1971 को नई दिल्ली में तृतीय दौराब टाटा स्मारक व्याख्यान देते समय भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपति श्री जी० सी० शाह ने संविधान के अधीन न्यायपालिका की भूमिका की व्याख्या करते हुए, न्यायिक पुनर्विलोकन के सम्बन्ध में कुछ बातें कहीं । चूंकि सांविधानिक स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है इसलिए इस सम्बन्ध में न्यायपालिका की ओर से किसी मांग का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

Absence of Condoctors during duty Hours in Lucknow-New Delhi Mail

271. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Railways (Rail Mantri)** be pleased to state:

(a) whether the Conductors on duty in the third class sleeper coaches (two and three-tier) of Lucknow-New Delhi Mail remain absent almost throughout the journey;

(b) if so, whether it results in the entry of unauthorised passengers in these coaches very frequently throughout the journey, causing insecurity to the pessengers who are authorised to travel in these coaches; and

(c) if so, the action proposed to be taken by Government in this regard?

The Minister of Railways (Rail Mantri) (Shri Hanumanthaiya): (a) and (b). No, except on certain occasion when the staff reported sick at the last minute. In such cases the train T.T.E./Guard is deputed to look after these coaches.

(c) Instructions have been issued to the Northern Railway Administration to ensure that no sleeper coach runs without a T.T.E./Attendant. The Railway has also been asked to carry out frequent surprise checks to ensure that these instructions are rigidly adhered to and the staff on duty are performing their duties satisfactorily.

Introduction of a Day Train Between Delhi and Lucknow

272. **Shri Bibhuti Mishra:** Will the Minister of **Railways (Rail Mantri)** be pleased to state:

(a) whether it is proposed to introduce a Train between Delhi and Lucknow starting from Delhi in the morning and reaching Lucknow during day time;

(b) if so, the date from which such a train is likely to be introduced; and

(c) if the reply of part (b) be in negative, the reasons thereof?

The Minister of Railways (Rail Mantri) (Shri Hanumanthaiya): (a) and (b). Yes, a proposal is under consideration for providing a fast day service train between Delhi and

Varanasi via Lucknow and Faizabad by amalgamation of certain existing services on this route. To this end, the requisite additional terminal facilities are being developed and are likely to be completed within about a year.

(c) Does not arise.

हावड़ा-ग्रामता लाइट रेलवे को ग्रपने नियंत्रणाधीन लेना

273. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हावड़ा-आमता लाइट रेलवे (दक्षिण पूर्व रेलवे) हजारों यात्रियों की आवश्यकता पूरी करती हुई महत्वपूर्ण सेवा प्रदान कर रही है;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त रेलवे के बन्द होने से इस क्षेत्र में यातायात की समस्या ने उग्र रूप धारण कर लिया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार 4500 किलोमीटर से भी अधिक छोटी लाइन को पहले से ही चला रही है; और

(घ) यदि हां, तो केवल 450 किलोमीटर लम्बी हावड़ा-आमता सेक्शन लाइट रेलवे को अपने नियंत्रणाधीन लेकर लोक-हित में उसे चलाना किन कारणों से सरकार के लिए सम्भव नहीं है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी, हां।

(ख) यद्यपि रेलवे को बन्द कर देने से परिवहन का एक वर्तमान साधन आगे उपलब्ध नहीं रहेगा, फिर भी पश्चिम बंगाल सरकार ने, रेलवे के बन्द हो जाने के बाद, सड़क परिवहन की अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था कर दी है।

(ग) सरकार लगभग 4500 किलोमीटर छोटी लाइन की रेलें चला रही है;

(घ) हावड़ा-आमता रेलवे का स्वामित्व और परिचालन जिस कम्पनी के हाथ में था उसने बताया है कि उसे बाध्य होकर इस लाइट रेलवे को बन्द करना पड़ा क्योंकि पिछले कई वर्षों से इसके परिचालन पर अधिकाधिक हानि हो रही थी। इस रेलवे का राष्ट्रीयकरण करने तथा उसका प्रबन्ध अपने हाथ में ले लेने के बाद भी इसके परिचालन पर होने वाली ऐसी हानियों के घटने की कोई संभावना नहीं है। इसके विपरीत, एक आदर्श नियोजक और प्रबन्धक के रूप में सरकार पर जो दायित्व आ पड़ते हैं उनके निर्वाह के कारण खर्च बढ़ जायेंगे और फलतः हानियां भी बढ़ जायेंगी। सरकार द्वारा इन लाइनों को मितव्ययितापूर्वक चलाने का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सका और इसीलिये इन लाइनों का राष्ट्रीयकरण करना जन-हित की दृष्टि से उपयुक्त नहीं समझा गया।

देश के पूर्वी प्रदेश में बिजली की कमी

274. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **सिंचाई ग्रौर विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस देश के पूर्वी क्षेत्र में इस समय बिजली की भारी कमी है;

(ख) क्या निकट भविष्य में यह समस्या और भी गंभीर हो जाने की आशंका है;

(ग) यदि हां, तो बिजली के अभाव का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संकट का मुकाबला करने के लिए यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो वह क्या है?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता।

सीमेंट की माँग, उत्पादन और मूल्य

275. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में सरकार ने सीमेंट उद्योग को कितने बार मूल्य-वृद्धि करने की अनुमति दी और प्रत्येक बार कितनी मूल्य वृद्धि की गई;

(ख) वर्ष 1960–61, 1965–66 और 1970–71 में सीमेंट का विक्रय मूल्य क्या रहा;

(ग) 1968–69, 1969–70 और 1970–71 में सीमेंट की उत्पादन की क्षमता क्या थी उसका उत्पादन कितना हुआ और देश में सीमेंट की मांग कितनी रही और 1973–74 में उसकी अनुमानित मांग क्या होगी;

(घ) वर्ष 1973–74 में सीमेंट की उत्पादन क्षमता और लक्ष्य क्या होंगे; और

(ङ) क्या लक्ष्यों में हाल में कोई वृद्धि या कटौती की गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) तीन बार, अर्थात 16/4/69 को 3.60 रुपये, 4/4/70 को 2 रुपये तथा 24/10/70 को 3.20 रुपये प्रति टन।

(ख) से (घ). एक विवरण संलग्न है।

(ङ) जी, नहीं।

विवरण

सीमेंट का निश्चित स्थान तक रेल भाड़ा युक्त मूल्य इस प्रकार था:–

1960–61	94 रुपये प्रति टन
1965–66	108.10 रुपये प्रति टन
1970–71 .	134.33 रुपये प्रति टन

(10 लाख मी० टन में)	1968–69	1969–70	1970–71
क्षमता	15.36	15.96	17.36
उत्पादन	12.23	13.80	14.36
आन्तरिक मांग	12.00	13.65	14.20

1973–74 में पूर्वानुमानित मांग	200 लाख मी० टन
1973–74 की निर्धारित क्षमता	215 लाख मी० टन
1973–74 का निर्धारित उत्पादन	180 लाख मी० टन

कम्पनियों द्वारा मोटर कारों के मूल्य में वृद्धि

276. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री रामसहाय पांडे :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार बनाने वाली कम्पनियों को कारों के कारखानों-द्वारा मूल्यों में वृद्धि करने की अनुमति हाल ही में दे दी गई है;

(ख) इस मूल्य-वृद्धि के परिणामस्वरूप क्रेताओं को 1800 से 2000 रुपये तक का अतिरिक्त भार वहन करना होगा और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) मूल्य वृद्धि के पूर्व और बाद में कारों के मूल्यों का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). 16 अप्रैल, 1971 को उच्चतम न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश द्वारा कार निर्माताओं को अपनी कारें कारखाने से निकलते समय के मूल्य पर बेचने की अनुमति दी थी। यह मूल्य कार मूल्य जांच आयोग जिसका गठन न्यायालय की सिफारिश पर किया गया था तथा जिसने अपनी रिपोर्ट 19-3-1971 को प्रस्तुत कर दी की सिफारिश किये गये मूल्य से अधिक नहीं हो सकता है। 16-4-1971 से पूर्व तीनों प्रकार की कारों के कारखाने से निकलते समय के प्रचलित खुदरा विक्रय मूल्य तथा 16-4-1971 से लागू उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकृत मूल्य नीचे दिये गये हैं:–

कारों की मेक	16-4-71 से पूर्व प्रचलित मूल्य	16-4-71 से उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकृत मूल्य	वृद्धि
एम्बेसेडर	15,316 रु०	16,819 रु०	1,503 रु०
फिएट	14,325 रु०	15,687 रु०	1,362 रु०
स्टेंडर्ड हेरल्ड चार दरवाजों वाली	14,003 रु०	16,080 रु०	2,077 रु०

शोरूम से निकलते समय के मूल्य पर उपभोक्ता को अब एम्बैसेडर कार पर लगभग 2000 रुपये, फिएट पर 1800 रु० तथा स्टेंडर्ड हेरल्ड (चार दरवाजों वाली) कार पर लगभग 2500 रुपये अधिक देने होंगे।

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे द्वारा आसाम में कर्मचारियों की नियुक्ति

277. **श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर सीमा रेलवे द्वारा आसाम में 1969 और 1970 में श्रेणी एक, दो, तीन और चार के पदों पर अलग-अलग कितने-कितने कर्मचारी नियुक्त किये गये;

(ख) उपर्युक्त पदों में से कितने पदों पर ऐसे व्यक्ति नियुक्त किये गये जिनके माता या पिता मेघालय सहित आसाम राज्य के स्थायी निवासी थे; और

(ग) उपर्युक्त पदों में से कितने पदों पर ऐसे व्यक्ति नियुक्त किये गये, जिन्होंने अपना अध्ययन आसाम अथवा मेघालय राज्य की किसी शिक्षा संस्था में जारी रखा अथवा वहां से पूरा किया ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) नियोजित व्यक्तियों की संख्या के बारे में सूचना राज्यवार नहीं बल्कि रेलवेवार संकलित की जाती है । पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) और (ग). इस तरह के राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते ।

त्रिपुरा के नगरों में बाढ़ तथा उससे बचाव के उपाय

278. **श्री दशरथ देव** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि त्रिपुरा के सभी नगरों में लगभग प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है; और

(ख) यदि हां, तो बाढ़ सुरक्षा उपायों के लिए त्रिपुरा सरकार को पर्याप्त धन देने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). जी, हां । प्रभावित नगर ये हैं--राजधानी अगरतला और खोवई, कैलाशहर, सोनामुरा, बैलेनिया, धर्मनगर, अमरपुर और कमालपुर के उपमंडलीय नगर । कमालपुर के अतिरिक्त उपर्युक्त सभी नगरों में बाढ़ सुरक्षा उपाय पहले से ही शुरू किए हुए हैं और जहां पर आवश्यक हुआ, सुधार किया गया है । बहरहाल, अब तक कमालपुर में कार्य हाथ में नहीं लिए जा सके क्योंकि तटबंध के निर्माण के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध नहीं हुई है ।

नगर सुरक्षा कार्यों के लिए त्रिपुरा सरकार के 1971-72 वर्ष के बजट में 14.51 लाख रुपये की धनराशि की व्यवस्था की गई है । चतुर्थ योजना में नगर सुरक्षा कार्यों के लिए 86 लाख रुपये का कुल प्रावधान है ।

त्रिपुरा में अगरतला कस्बे के चारों ओर निर्मित बाढ़ संरक्षण

279. **श्री दशरथ देव** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि त्रिपुरा में अगरतला कस्बे के चारों ओर बने बाढ़-संरक्षण-बांध की उसी प्रकार से तत्काल मरम्मत की जानी चाहिए जैसी कि पूर्वी बंगाल से लगे सीमावर्ती क्षेत्र की जा चुकी हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या त्रिपुरा सरकार को इसके लिए पर्याप्त राशि दे दी गई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) त्रिपुरा प्रशासन अगरतला नगर के चारों ओर बाढ़ सुरक्षा तटबंधों का सुधार कर रहा है । इनमें ऊंचा करने, चौड़ा करने, ठोकरें बनाने और पत्थर लगाने का काम शामिल है ।

(ख) सुधार कार्यों के लिए आवश्यक धन की व्यवस्था त्रिपुरा प्रशासन ने की है। 1971-72 के लिए 8.64 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है ।

त्रिपुरा में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन

280. **श्री दशरथ देव** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा की विधान सभा में स्थानों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से वहां विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों को पुनः परिसीमन करने के लिए एक परिसीमन आयोग नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या त्रिपुरा सरकार ने नये परिसीमन के लिए अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) और (ख). जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

त्रिपुरा के लिए न्यायिक आयुक्त का न्यायालय

281. **श्री दशरथ देव** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा सरकार ने त्रिपुरा में एक पृथक् न्यायिक आयुक्त का न्यायालय स्थापित करने के लिए आग्रह किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) त्रिपुरा के लिए एक पृथक न्यायिक आयुक्त की नियुक्ति के लिए एक प्रस्थापना जुलाई, 1969 में त्रिपुरा प्रशासन से प्राप्त हुई थी ।

(ख) त्रिपुरा में निकलने वाला काम इतना नहीं है जिसके आधार पर त्रिपुरा के लिए एक पृथक न्यायिक आयुक्त की नियुक्ति न्यायोचित ठहराई जा सके । तथापि, त्रिपुरा में पिछड़ा हुआ काम निपटाने के लिए 25 सितम्बर, 1970 से एक अपर न्यायिक आयुक्त नियुक्त कर दिया गया है ।

उड़ीसा में कागज बनाने की मील की स्थापना

282. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के कोरापुट जिले में जैपुर के निकट शीघ्र ही गैर-सरकारी क्षेत्र में कागज बनाने की एक मील की स्थापना की जायेगी;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने 30 करोड़ रुपये की लागत से इसकी स्थापना के सम्बन्ध में एक आशय-पत्र जारी किया है; और

(ग) इस मिल की कागज बनाने की क्षमता कितनी होगी ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) से (ग). जी हां, लुगदी तथा कागज प्रत्येक का प्रति वर्ष 60,000 मी. टन उत्पादन करने के लिये उड़ीसा के कोरापुट जिले में एक नया उपक्रम स्थापित करने के बारे में एक गैर-सरकारी फर्म को आशय पत्र दिया गया है। पार्टी ने अपने आवेदन पत्र में इस बात का उल्लेख कर दिया है कि स्थायी परिसम्पत्त के रूप में इनका विनियोजन 25.8 करोड़ का होगा।

चौथी पंच वर्षीय योजना में नयी कागज मील की स्थापना

283. **श्री एस० सी० सामन्त :**
श्रीमती ज्योत्सना चंदा :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में कुछ कागज के मिल स्थापित किये जायेंगे; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) जी, हां।

(ख) उनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

(1) नागालैंड पेपर/पल्स मिल	सरकारी क्षेत्र में,
(2) केरल न्यूज प्रिन्ट मिल	
(3) आसाम पल्स एन्ड पेपर मिल	

इनके अलावा लुगदी, कागज और अखबारी कागज बनाने के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र में मिलों की स्थापना के लिए भी अनुमति दे दी गई है।

Supply of Electricity to Rajasthan

284. **Shri Shivnath Singh:** Will the Minister of **Irrigation and Power (Sinchai Aur Vidyut Mantri)** be pleased to state:

(a) the targets fixed in the various Plans for generation and supply of electricity to Rajasthan by the end of 1970 and the total quantity of power actually made available to Rajasthan during the aforesaid period;

(b) whether it is a fact that the proposed quantity of electricity was not made available to Rajasthan;

(c) if so, the reasons thereof; and

(d) whether the Central Government propose to provide more electricity to Rajasthan keeping in view its backwardness?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Sinchai Aur Vidyut Mantralaya Men Up Mantri) (Shri B. N. Kureel): (a) and (b). The electric power generation in Rajasthan has been 1170 Million Units in 1970-71 against 1285 Million Units targetted,

(c) There is some delay in the commissioning of the Automic Power Station and also less production in Bhakra.

(d) Yes, Sir. More electricity will be available for Rajasthan in current plan itself with the completion of the Rajasthan Atomic Power Project in the Central Sector.

Issue of Licences to Birla Brothers

285. **Shri Shivnath Singh:** Will the Minister of **Industrial Development (Audyogik Vikas Mantri)** be pleased to state the names of industries for the setting up of which new licences have been issued to M/s. Birla Brothers during the years 1969-70 and 1970-71 as also the names of those industries among them which have actually been set up by them so far?

The Minister of State in the Ministry of Industrial Development (Audyogik Vikas Mantralaya men Rajya Mantri) (Shri Ghanshyam Oza): While no industrial licence was issued to M/s. Birla Brothers during the period from 1st January, 1969 to 31st March, 1971, 17 licences and 6 Letters of Intent were issued to concerns belonging to or controlled by Birla Group during the above period. Information regarding the names of the industries which have actually been set up by them, however, is not readily available.

Completion of Railway Line Connecting Singhana with Dabla (Khetri Copper Project)

286. **Shri Shivnath Singh:** Will the Minister of **Railways (Rail Mantri)** be pleased to state the target date fixed by Government to complete a railway line connecting Singhana with Dabla (Khetri Copper Project) and the extent to which the work on the said railway line is likely to be completed during the year 1971-72?

The Minister of Railways (Rail Mantri) (Shri Hanumanthaiya): Construction of this line in expected to be sanctioned shortly and the line will be completed in about two years time thereafter. About 25% of work is likely to be completed in 1971-72.

Canal Irrigation in JhunJhunu District of Rajasthan

287. **Shri Shivnath Singh:** Will the Minister of **Irrigation and Power (Sinchai Aur Vidyut Mantri)** be pleased to state:

(a) the scheme under consideration of Government to provide canal irrigation in Jhunjhunu District of Rajasthan;

(b) the total acreage of land in Jhunjhunu District proposed to be irrigated after the completion of Kisau Dam; and

(c) the time by which construction work of the Kisau Dam is likely to start?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Sinchai Aur Vidyut Mantralaya men Up Mantri) (Shri B. N. Kureel): (a) to (c). The Kishau Dam on the Yamuna is at present under investigation by the Uttar Pradesh Government. The Government of Rajasthan have indicated that they propose to take up investigations of the possibilities of irrigation of Jhunjhunu district from the waters of the Kishau Dam after the scheme is finalised and the sharing of costs of benefits among the beneficiary States settled.

आसिफाबाद रोड (दक्षिण मध्य रेलवे) के निकट एक माल गाड़ी और वर्धा काजी पेट यात्री गाड़ी के बीच टक्कर

288. **श्री गंगा रेड्डी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिलाबाद जिले (दक्षिण मध्य रेलवे) में आसिफाबाद रोड स्टेशन के निकट 25 अप्रैल, 1971 को शाम के 5 बजे एक माल गाड़ी और 395 डाउन वर्धा काजी पेट यात्री गाड़ी के बीच टक्कर हुई थी जिसमें एक लड़की की मृत्यु हो गई और कई यात्री घायल हो गये;

(ख) यदि हां, तो रेलवे सुरक्षा के सहायक आयुक्त द्वारा की गई जांच के क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) मृत व्यक्तियों के माता-पिता और अन्य घायल व्यक्तियों को अनुग्रह के रुप में कितनी राशि का भुगतान किया गया था ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हां।

(ख) अतिरिक्त आयुक्त, रेलवे संरक्षा, बेंगलूरू ने इस दुर्घटना की सांविधिक जांच की है; उनकी रिपोर्ट का इन्तजार है।

(ग) जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर उपयुक्त कार्रवाई की जायेगी।

(घ) मृतकों के माता-पिता और अन्य घायल व्यक्तियों को अनुग्रह-राशि के रूप में 5,700 रु० दिये गये हैं।

राज्यों को विद्युत् शक्ति सम्प्रेषण की सुविधायें देने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था से ऋण दिया जाना

289. **श्री गंगा रेड्डी :**
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के 9 राज्यों को विद्युत् शक्ति सम्प्रेषण की सुविधायें देने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था द्वारा दिया गया 750 लाख डालर का ऋण कब तक दिये जाने का विचार है;

(ख) आन्ध्र प्रदेश सम्प्रेषण लाइनों के लिये कितनी राशि की आवश्यकता है;

(ग) उत्पादन क्षमता का अधिक कुशल तथा प्रभावशाली ढंग से उपयोग करने हेतु विभिन्न राज्यों के विद्युत् ग्रिडों को परस्पर मिला कर राष्ट्रीय विद्युत् प्रेषण कार्य को पूरा करने के लिये कितनी राशि की आवश्यकता है; और

(घ) इस ग्रिड को किस प्रकार तथा कितने समय में पूरा करने का सरकार का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). 750 लाख डालर के ऋण के लिए करारनामे पर ३ मई, 1971 को हस्ताक्षर किए गए थे और निर्धारित

औपचारिकताओं के पूरा होने के पश्चात् धनराशि के शीघ्र उपलब्ध होने की संभावना है। इसमें से 98.5 लाख डालर की धनराशि की आंध्र प्रदेश में पारेषण स्कीमों के लिए व्यवस्था की गई है।

(ग) और (घ). राष्ट्रीय अंतः संपर्क पारेषण का विकास एक संतत प्रक्रिया है और जैसे ही नए भार तथा विद्युत्-उत्पादन के संसाधन मिलते जाते हैं, अंतःसंपर्कों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। चौथी योजना के अन्त तक अपेक्षित अंतर्राज्यीय/अंतःकेन्द्रीय पारेषण पथों की कुल अनुमानित लागत 42 करोड़ रुपये है। इन पथों पर कार्य में तेजी लाने के लिए भारत सरकार राज्य योजना सीमा से बाहर इन स्कीमों को केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीमें मानकर राज्य सरकारों को 100% ऋण सहायता दे रही है। चौथी योजना में इस उद्देश्य के लिए पहले ही 22 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था की गई है और इस आबंटन में वृद्धि करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं ताकि पांचवी योजना के लगभग मध्य तक विभिन्न क्षेत्रों के बीच आवश्यक पारेषण सुविधाएं उपलब्ध हो जाएं।

विल्लीवक्कम से त्रिवेल्लोर तक और व्यासरपड़ी से बेसिन ब्रिज तक नयी रेल लाइनों का बिछाया जाना

290. **श्री एस० राधाकृष्णन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विल्लीवक्कम से त्रिवेल्लौर तक तीसरी और मद्रास के निकट व्यासरपड़ी से बेसिन ब्रिज तक चौहरी लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में आवश्यक सर्वेक्षण कार्य किया गया है और उसे पूरा कर लिया गया है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) और (ख). इन अतिरिक्त लाइनों के लिए सर्वेक्षण-कार्य को 1971-72 के बजट में शामिल कर लिया गया है और यह कार्य शीघ्र ही शुरू कर दिया जायेगा।

बैरक बांध परियोजना की प्रगति

291. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में बैरक बांध परियोजना के निर्माण कार्य में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) यदि प्रगति धीमी है तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). बारक नदी पर नारायणधार पर बांध बनाने की एक परियोजना तैयार की गई थी। चूंकि इस स्थल पर बांध के निर्माण से मूल्यवान कृषि भूमि जलमग्न हो जाती और साथ ही बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को विस्थापित भी करना पड़ता, इसलिए मणिपुर सरकार ने सुझाव दिया कि इस बांध को प्रतिप्रवाह दिशा में और आगे स्थानांतरित कर दिया जाए। इसलिए बांध के लिए एक वैकल्पिक स्थल भुवनधार में चुना गया है जिससे मणिपुर प्रदेश में अपेक्षाकृत कम भूमि जलमग्न होगी। अब इस स्थल पर अनुसंधान कार्य हो रहा है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

RE: CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

उत्तर भारत में हाल में हुई वर्षा से फसलों और खलिहानों को पहुँची क्षति

Shri R. V. Bade (Khargone): Sir, I call the attention of the Minister of Agriculture (Krishi Mantri) to the following matter of urgent Public importance and I request that he may make a statement thereon.

"Damage caused to crops and granaries by recent heavy rains in many parts of Nothern India."

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Krishi Mantralaya men Rajya Mantri) (Shri Anna Sahib P. Shinde): Due to increase in the area under the High-Yielding Varieties, production of wheat during crop year 1970-71 for the country as a whole is expected to be better than that during the last year. This is despite relatively unfavourable seasonal conditions during the greater part of the winter.

2. During April and May this year, there have been reports from Bihar, Uttar Pradesh, Punjab and Haryana of hail-storms and thunder-storms with squally winds of high intensity. These rains coming as they did at the time of harvesting and threshing of the wheat crop are reported to have affected the grains as well as bhusa. They have also affected other crops like Mangoes, Melons, vegetables etc. Preliminary reports about the damage caused have been received from the States concerned and it will take some time before an accurate assessment is made.

3. The earliest report of rain damage to wheat was from the State of Bihar in the month of April, 1971. It was reported that some standing crops were damaged but the damage was mostly to the harvested wheat lying on the threshing floor to the extent of 20 to 25 percent. Bihar Government have asked for help for giving relief to the people in the affected areas. A Central Study Team is to visit this State soon and necessary action will be taken on the receipt of the Team's report.

4. Damage to wheat in the States of Uttar Pradesh, Haryana and Punjab took place in the month of May, 1971 when the crops had been harvested and were lying on the threshing floor. Reports indicate that of the grain lying on the threshing floor, the damage may be of the order of 10 to 15 percent in the case of Punjab and Haryana and about 20 to 25 percent in the case of Uttar Prasesh. No report of any serious damage has been received from Rajasthan.

5. Though rains have damaged the wheat, the damage is more in terms of quality than quantity. In order to give relief to the producers, Government have relaxed the specifications for procurement for wheat in order to facilitate purchases of the rain-damaged wheat. It is expected that it would be possible to procure a very substantial quantity of the rain-damaged grain under the relaxed specifications. Where the grain had been harvested and put in granaries there has been no damage due to rains. Procured grain particularly in Haryana lying in the mandis or in the open awaiting despatch has also been affected to some extent despite the precautions taken of covering it with tarpaulins etc. The affected grain is being reconditioned and salvaged.

6. The unseasonal rains emphasis the need for improving the post-harvest handling and storage particularly at the producers' level. Government are aware of this problem and have been considering steps that are to be taken in this regard. It is not expected that availability of seed for the next Rabi sowing will be affacted to any significant extent by the recent rains. How-

ever, Government will examine this and take suitable steps to make good seed available to the producers in case it became necessary to do so.

7. Though the wheat in a number of States has been affected in varying degrees, this will not make any impact on the general food position in the country. Government have built up substantial stocks of foodgrains and procurement of wheat this year is more than double than that of last year for the corresponding period.

SHRI R. V. BADE: The Hon. Minister has given vague reply while making Statement. Unseasonal rain and natural calamity was not the only reason for damage to crops. The Administration, especially Food Corporation of India is also reponsible for this because it Could not succeed to provide adequate facilities of Storage and transporatation. Newspaper Carry news that wheat is lying in open for want of wagons. In 'Haryana Patrika', Shri Suraj Prakash, Food and Supply officer in Rohtak, has stated that his department has procured two and a healf lakh bags of grains but it is lying in open for want of wagons. In U. P. alone the damage to Crops amounts to Rs. 1.75 Croses. In Bihar 75 percent crops have been damaged. Similarly in Madhya Pradesh hailstorm and rains caused damage to Crops. I would like to know whether the above points made by me are Correct ?

श्री अन्ना साहिब पी० शिन्दे : माननीय सदस्य सम्भवत: तथ्यों से अवगत नहीं है। हरियाणा में भारतीय खाद्य निगम कार्य नहीं कर रहा है। हरियाणा में वसूली का कार्य राज्य सरकार के सिविल सप्लाई विभाग द्वारा किया जाता है। माननीय सदस्यों ने जो समाचार पढ़ा है, वह सही नहीं है। वस्तुत: हम राज्य सरकार से यह अनुरोध करते आ रहे हैं कि सिविल सप्लाई विभाग के साथ-साथ खाद्य निगम को भी वसूली का कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति दी जानी चाहिए। लेकिन राज्य सरकार ने कुछ विशिष्ट कारणों से इसकी अनुमति नहीं दी। मैं यह तो नहीं कहता कि फसलों को क्षति नहीं हुई है पर इसका दोष केवल भारतीय खाद्य निगम के सिर पर नहीं मढ़ा जा सकता। प्राकृतिक प्रकोप के कारण फसलों की क्षति हुई। उत्तर भारत में प्राय: अप्रैल और मई में बहुत कम वर्षा होती है। परन्तु इस वर्ष ऐसा नहीं हुआ। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब राज्य में फसलों की क्षति हुई है। परन्तु सबसे अधिक क्षति बिहार में हुई। उत्तर प्रदेश का नम्बर दूसरा और हरियाणा का नम्बर तीसरा है। जहाँ तक सरकार और भारतीय खाद्य निगम का सम्बन्ध है, हम अधिक से अधिक मात्रा में अनाज की वसूली के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य में कहा है, वर्षा के परिणामस्वरूप फसलें खराब और बदरंग हो गईं। अब हमने खाद्य निगम को अनुदेश दिया है कि वह वर्षा से खराब हुई गेहूं की खरीद करे ताकि किसानों को लाभ हो। परिवहन के सम्बन्ध में कुछ समस्याएँ हमारे सामने आई हैं और मेरा मंत्रालय अनाज की शीघ्र ढुलाई के प्रबन्ध के लिए प्रयत्न कर रहा है।

Shri Phool Chand Verma (Ujjain): So far as the question of storage of wheat and duties of Food Corporation of India is concerned, it seems from the reply of the hon. Minister that Food Corporation of India and Administration have not fulfilled their duties properly. Had the Government made adequate arrangements of transportation, the lakhs of tons of wheat would have not been damaged. The Hon. Minister has just stated that in Rohtak about two and a half lakhs of tons of wheat is lying in the open and there is no one to look after the wheat which is getting rotten due to heavy rains. I would like to know the agency which is to be held responsible for the damage?

The hon. Member has stated that in Punjab, Haryana and U.P., the loss incurred amounts to 20 to 25 percent. But in 'Nav-Bharat Times' the figures given are 20 to 75 percent. I would

request the hon. Minister that Study group should be sent. to U. P. and Madhya Pradesh to find out the factual position.

The hon. Minister has stated that Government will purchase the wheat at the rate of Rs. 76.00 per quintel. But the farmer is compelled to sell the wheat at the rate of Rs. 70 to 72 per quintel. What arrangements Government are contemplating to check this bungling? Is it a fact that wheat is purchased only from the urban market and not from the rural markets. If so, whether Government will make such arrangement that wheat may also be purchased from the rural markets?

श्री अन्ना साहिब पी० शिन्दे : माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि सरकार को विभिन्न राज्यों में अध्ययन दल भेजने चाहिएं । यदि राज्य सरकार ऐसा अनुरोध करे तो हम इस पर विचार कर सकते हैं । कल ही मैंने पश्चिमी उत्तरप्रदेश की कुछ मंडियों का दौरा किया था और मुझे कल हरियाणा की कुछ मंडियों का दौरा करना है । हम राज्य सरकार के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाए हुए हैं । इस बात के लिए पूरा-पूरा प्रयत्न किया जाएगा कि वर्षा के कारण खराब हुये गेहूं को बचाया जा सके कल और उससे पहले दिन कड़ी धूप थी यदि ऐसा ही मौसम रहा तो काफी बड़ी मात्रा में अन्न बचाया जा सकता है ।

माननीय सदस्य ने गेहूं के मूल्य वसूली मूल्य से कम होने की बात कही है । इसका कारण यह था कि यह अफवाह फैला दी गई थी कि सरकार 18 मई के बाद गेहूं की खरीद नहीं करेगी । यह अफवाह निहित स्वार्थों ने फैलाई थी । इसके परिणामस्वरूप भारी मात्रा में खाद्यान्न मंडियों में पहुंच गया और अकेले उत्तर प्रदेश में आम मात्रा से 4 या 5 गुना अधिक गेहूं मंडी में पहुंचा । मैं किसानों और गेहूं उत्पादकों को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि अन्न का एक-एक दाना तक, जो मंडी में लाया जाएगा, खरीद लिया जाएगा और भारतीय खाद्य निगम और सरकार द्वारा निर्धारित वसूली मूल्य उनको दिया जाएगा । किसी भी प्रकार के खाद्यान्न को खरीदने से इन्कार नहीं किया जाएगा । किसानों को यह नहीं सोचना चाहिए कि सरकार खरीद बन्द कर देगी या उनके हितों को चोट पहुंचाई जाएगी ।

Shri Phool Chand Verma: May I know whether the Government propose to write off the taccavi and land revenue where standing crops have been damaged? The hon. Minister has not clarified the situation regarding procurement price.

Mr. Speaker: Please sit down. You have already put your question.

श्री वीरेन्द्र सिंह राव (महेन्द्रगढ़): मैं सरकार को हरियाणा की स्थिति से अवगत कराना चाहता हूँ । सबसे अधिक क्षति हरियाणा में हुई है ।

Mr. Speaker: Your name is not on the order paper. You can not ask questions.

Shri B. P. Maurya (Hapur): I am very thankful to the hon. Minister for visiting the village where crops were damaged due to heavy rains. It is not correct to say that the damage amounts to 30 to 35 percent in U. P. the hon. Minister must be aware of the fact that there are a number of farmers whose crops were damaged cent percent. I would like to know whether U. P. Government has sent any information to the Government in this connection? So far as I know U. P. Government has stated that loss amounts to more than Rs. 200 crores. I would like to know what type of assistence will be extendted to the farmers by the centre or what orders have been issued by the centre to the State Government in this regard?

I would also like to know what action Government will take to save the crops from the rains and natural calamity?

Government is also aware of the fact that *Kachha Adhatiyas* or *pacca Adhatiyas* or agents of Food Corporation of India purchase wheat at the rate of Rs. 70 to 73 per quintel and supply the same to the Government at the rate of Rs. 76 per quintel. They issue receipts to farmer indicating the rate of purchase as Rs. 76 per quintel. I would like to know what action Government are contemplating to check the corruption?

श्री अन्ना साहिब पी० शिन्दे : मुझे प्रसन्नता है कि माननीय सदस्य ने कुछ कदाचारों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया है। हमें मामले की पूरी जानकारी है और हम इस सम्बन्ध में की गई शिकायतों की जाँच करेंगे। गाँवों का दौरा करते समय मैंने किसानों के कष्टों का अनुभव किया। मैं उन किसानों के खलिहानों में गया जिनके पास केवल दो या तीन एकड़ जमीन है और उनकी सारी फसल नष्ट हो गई है। आशा है कि राज्य सरकार ऐसे मामलों पर अवश्य ध्यान देगी।

जहाँ तक क्षति की मात्रा बताने का सम्बन्ध है, इस समय सही आँकड़े देना सम्भव नहीं है। मैंने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि वह अनुमान लगाए कि कितनी क्षति हुई है। यद्यपि मुख्य मंत्री ने कुछ आँकड़े दिए हैं, परन्तु उसमें आमों को हुई क्षति के बारे में भी बताया गया है। उन्होंने यह नहीं बताया कि केवल गेहूं की कितनी क्षति हुई है। हम राज्य सरकार से सम्पर्क बनाए हुए हैं और जब हमें उनसे सही जानकारी प्राप्त हो जाएगी, यदि आवश्यक या वाँछित समझा गया, तो हम कार्रवाई करेंगे।

माननीय सदस्य द्वारा यह प्रश्न बार-बार उठाया गया है कि बड़े पैमाने पर हुई क्षति को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार क्या कार्रवाही करने का है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए कटाई के बाद फसल की रख-रखाव, कटाई तथा गुहाई के तरीकों में परिवर्तन करना होगा। हमने कृषि आयोग से इस मामले की जाँच करने तथा अन्तरिम रिपोर्ट देने के लिए कहा है हमारे मंत्रालय के विशेषज्ञ भी इस मामले की जाँच कर रहे हैं और हर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। नमूनों में कुछ ढील देकर, भारतीय खाद्य निगम को वर्षा के कारण खराब हुये गेहूं को खरीदने की अनुमति देकर सरकार किसानों को राहत दे रही है।

Shri B. P. Maurya: The wheat is purchased from the farmer at the rate of Rs. 70 to 73 per quintel but receipt, which is issued, shows that rate is Rs. 76 per quintel. I would like to know what steps are being taken to check this bungling?

Mr. Speaker: The Calling Attention is regarding damage to crops and not about rates. The hon. Minister has already replied to the question.

श्री बी० पी० मौर्य : भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए।

श्री अन्ना साहिब पी० शिन्दे : यह सच है कि कुछ किसानों ने हमें बताया कि उन्हें वसूली मूल्य से कम मूल्य दिया जाता है। मुझे अन्य क्षेत्रों से भी ऐसी ही शिकायतें मिली हैं। कदाचार के कुछ मामले भी सामने आए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की मुख्य समस्या मंडियों की शोचनीय अवस्था है। मंडियों में कच्चे और पक्के आढ़ती होते हैं। मंडियों की दशा सुधारने और ऐसे विपणन नियम बनाने, जिससे दलाल और शोषक समाप्त नहीं तो कम हो सकें, राज्य सरकार द्वारा बहुत कुछ किया जा सकता है।

जब माननीय सदस्य का दल राज्य में सत्तारूढ़ था। तो हमने उस समय राज्य सरकार को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए लिखा था। मैं अब फिर वही बात दोहरा रहा हूं कि राज्य सरकार मंडियों की दशा सुधारने के लिए कार्रवाई करे।

श्री नानूराम मिर्धा : भारतीय खाद्य निगम को चाहिए कि वह किसान को ही विक्रेता के रूप में जाने और आड़तियों के माध्यम से गेहूं न खरीदे । सरकार खाद्य निगम को एक निदेश दे कि निगम अपनी एजेन्सियों द्वारा सीधे ही किसान से गेहूं खरीदे ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को यह याद रखना चाहिए कि वह बिना मेरी अनुमति के न बोलें और यदि वह बिना अनुमति के बोलेंगे तो उनके कथन को कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

Shri K. M. Madhukar (Kesaria): The statement given by the hon. Minister is quite misleading. I say so because Government have not made the right assessment of damage to standing crops. In Bihar 50 to 70 percent of standing crops were damaged. Sprouts have burst out from damaged grain. Similar hardship is being felt by U. P. Haryana and a number of parts in Andhra Pradesh. The hon. Minister has stated that there is no crisis of seeds in Bihar. But factual position is different.

I would like to know whether Government has some scheme that such seeds should be sour so that harvesting and thrashing operation may be finished before rainy season? Have the Government made any arrangement to protect thrashing-floor so that wheat may not be damaged? May I know whether Government will give incentives to farmers, who are producing wheat, to produce new variety of maize so that such damage may not occur? Is it a fact that Bihar Government have sought an amount of 200 crore rupees for giving relief to farmers? Whether Government is going to grant that same amount to the state Government? The Bihar Government have also demanded seeds. What is the quantum of seeds demanded by them and whether Government is going to supply the same? What arrangements Government are going to make to same wheat?

श्री अन्ना साहिब पी० शिन्दे : जहाँ तक सरकार द्वारा माँगी गई सहायता का प्रश्न है इस सम्बन्ध में उन्हें कुछ साधन पहले से ही उपलब्ध करा दिए गए हैं किन्तु जैसा कि मैंने पहले कहा बिहार सरकार के अनुरोध पर एक केन्द्रीय दल उस राज्य का दौरा कर रहा है और उस दल के प्रतिवेदन के आधार पर ही सरकार बिहार को आवश्यक सहायता प्रदान करेगी ।

जहाँ तक कृषकों को अगले वर्ष के लिए बीज देने का सम्बन्ध है, मैं मानवीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम बिहार के कृषकों को उनकी आवश्यकतानुसार उत्तम बीजों की सप्लाई करेंगे ।

अल्पकालीन फसल इत्यादि के सम्बन्ध में माननीय सदस्य जानते होंगे कि गेहूं की वर्तमान किस्म जिसे हम लोकप्रिय बना रहे हैं पारस्परिक किस्मों की अपेक्षा अधिक अल्पकालीन है । हमारे अनुसंधान वैज्ञानिक इस समस्या पर गौर कर रहे हैं । माननीय सदस्य का सुझाव भी ध्यान में रखा जा सकता है ।

सभा पटल पर रखे गये पत्रों के बारे में

RE. PAPERS LAID ON THE TABLE

अध्यक्ष महोदय : सभा पटल पर पत्र रखे जाएँ ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : हम दो बातों के विषय में चिंतित हैं । एक तो ईशापुर राइफल फैक्टरी के एक कर्मचारी की हत्या का मामला है और दूसरा यह कि जब गन एण्ड शैल फैक्टरी

के कार्यवाहक महाप्रबन्धक के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल पुलिस चौकी गया तो वहाँ भीड़ पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किया गया।

अध्यक्ष महोदय : इसके विषय में पूर्व सूचना नहीं दी गई है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : हमने एक ध्यानाकर्षण सूचना दी थी और जहाँ तक हम जानते हैं इसे स्वीकार नहीं किया गया। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है और हम चाहते हैं कि सरकार इस सम्बन्ध में वक्तव्य दे।

दूसरे आन्ध्र प्रदेश के 4।। लाख सरकारी कर्मचारी पिछले 1।। महीने से हड़ताल पर हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता यह कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु: ***

श्री चव्हाण उठे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मद संख्या 3 पर नियम 376 के अधीन मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूँ। यदि आप सदस्यों की निर्देशिका के पृष्ठ 76 को देखें तो आपको पता लगेगा कि:

> "कार्यसूची में उल्लिखित सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों के बारे में मंत्रियों से कोई जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक सदस्यों को उन विशिष्ट बातों का उल्लेख करते हुए जिनके बारे में सूचना अपेक्षित है अध्यक्ष को अग्रिम सूचना देनी चाहिए ताकि सम्बन्धित मंत्री आवश्यक जानकारी देने के लिए तैयार होकर आ सके।"

मैंने कार्यसूची की मद संख्या 3, 4, 5 के सम्बन्ध में पूर्व सूचनाएँ दी हैं और मैं मंत्री महोदय से उनका उत्तर चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

श्री ज्योतिर्मय बसु : तब इस पुस्तक का क्या लाभ है मैं आपका निर्णय चाहता हूँ क्योंकि इस नियम के अनुसार मुझे जानकारी प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है. . . (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप सदस्यों की निर्देशिका में से उल्लेख नहीं कर सकते।

श्री ज्योतिर्मय बसु : * *

अध्यक्ष महोदय : सभा पटल पर रखे गए पत्र के सम्बन्ध में बिना पूर्व सूचना दिए प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। सूचना देने के उपरान्त इस बात पर विचार किया जाता है कि अमुक प्रश्न उठाने की अनुमति दी जाए अथवा नहीं सदस्यों की निर्देशिका केवल सदस्यों को संसदीय मामलों की

*** कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

जानकारी दिलाने के लिए है। यदि आपने आमुख पढ़ा है तो वहाँ यह स्पष्ट लिखा है:

"निर्देशिका में दी गई जानकारी परिपूर्ण नहीं है। यद्यपि इसमें दी गई जानकारी यथासंभव शुद्ध है तथापि भारत के संविधान और लोक सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन सम्बन्धी नियमावली के किसी उपबन्ध के अनुकूल न होने पर इसे प्रमाण रूप से उद्धृत नहीं किया जा सकता।"

यही मेरा निर्णय है और इसे हम वर्षों से अपना रहे हैं। अब तक केवल सभा पटल पर पत्र विलम्ब से रखे जाने के सम्बन्ध में ही प्रश्न किया जाता रहा है इससे बढ़कर नहीं। यदि आप वक्तव्य के बारे में कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो उसके लिए पूर्व सूचना दीजिए।

सभा पटल पर रखे गए पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

आर्थिक समीक्षा 1970-71 की प्रति

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मैं 'आर्थिक समीक्षा' 1970-71 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। [**ग्रन्थालय में रखी गई देखिए संख्या एल० टी० 163/71**]

पर्यटन और नागर विभाजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : मैं डा० कर्ण सिंह की ओर से रेल सुरक्षा आयोग के वर्ष 1969-70 के कार्यचालन संबंधी प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूँ। [**ग्रन्थालय में रखी गई देखिए संख्या एल० टी० 164/71**]

भाखड़ा पोषित क्षेत्र में विद्युत शक्ति की स्थिति के बारे में विवरण

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : मैं भाखड़ा पोषित क्षेत्र में विद्युत् शक्ति की स्थिति के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं। [**ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 165-71**]

अध्यक्ष महोदय : सचिव (**व्यवधान**)

श्री ज्योतिर्मय बसु : * * (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं सदन के समक्ष एक निवेदन करना चाहता हूँ। यह सदस्यों के अधिकारों का स्पष्टतया हनन है (**व्यवधान**)

---

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत में से निकाल दिया देखें पृष्ठ 887.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अध्यक्ष पीठ की अवहेलना कर रहे हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : * *

अध्यक्ष महोदय : यदि वह इसे दोहरायेंगे तो मुझे उन्हें सदन से बाहर भेजने के लिए बाध्य होना पड़ेगा ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (श्रीरामपुर) : यदि उन्होंने कुछ असंसदीय कहा है तो उसे कार्यवाही वृतान्त से निकाल दीजिए लेकिन जो कुछ वह अपनी अधिकार सीमा के अन्तर्गत कहते हैं उसे आप कैसे कार्यवाही वृतान्त से निकाल सकते हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : सदस्यों को दी जाने वाली सदस्य निर्देशिका में यदि इस खंड को ज्यों का त्यों रहने दिया जाता है तो इससे बहुत ही विषमतापूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जाएगी । बेहतर है कि इस खंड को हटा ही दिया जाए ।

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों की निर्देशिका में से यहाँ उल्लेख नहीं किया जा सकता ।

विधेयकों पर अनुमति

ASSENT TO BILLS

सचिव : महोदय मैं, गत सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पास किया गया और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त, वित्त विधेयक, 1971 सभा पटल पर रखता हूं ।

2. इसके साथ ही गत सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पास किए गए तथा अनुमति प्राप्त निम्नलिखित विधेयकों की प्रतियाँ भी, जो राज्य सभा के सचिव द्वारा विधिवत् प्रमाणीकृत किए गए, सभा पटल पर रखता हूं ।

(1) हिमाचल प्रदेश राज्य (संशोधन) विधेयक, 1971

(2) श्रमिक भविष्य निधि विधि (संशोधन) विधेयक, 1971

सदस्य की गिरफ्तारी

ARREST OF MEMBER

अध्यक्ष महोदय (श्री लालजी भाई) : मैं सदन को सूचना देना चाहता हूं कि मुझे दो निम्नलिखित पत्र प्राप्त हुए हैं ।

(1) सब डिविज़नल मजिस्ट्रेट, पार्लियामेंट स्ट्रीट नई दिल्ली से प्राप्त दिनाँक 24 मई, 1971 का पत्र;

---

* अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया ।

"मैं आपको सूचना देना चाहता हूं कि लोकसभा के (एक) सदस्य श्री लालजी भाई को संसद भवन के आसपास प्रख्यापित निषेधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के आधीन 24 मई 1971 को मध्याह्न पश्चात 1.45 बजे गिरप्तार किया गया है और उन्हें न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नई दिल्ली के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

(2) अधीक्षक तिहाड़ जेल, नई दिल्ली से प्राप्त दिनाँक 24 मई, 1971 की तार :

"श्री लालजी भाई, सदस्य, लोक सभा को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अधीन तिहाड़ जेल में रखा गया है ।"

श्री आर० बी० बड़े (खरगोन) : वह उस समय संसद भवन आ रहे थे. . . .

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल सूचना दे रहा हूं और आप बिना पूर्व सूचना दिए इस पर प्रश्न नहीं उठा सकते ।

चीनी सम्बन्धी नीति के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: SUGAR POLICY

अध्यक्ष महोदय : अब श्री फखरुद्दीन अली अहमद एक वक्तव्य देंगे और यदि वह काफी बड़ा है तो मंत्री महोदय उसे सभा पटल पर रख सकते हैं ।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :(बहरामपुर) : अध्यक्ष महोदय यह एक महत्वपूर्ण वक्तव्य है अत: इसे केवल सभापटल पर रखने से काम नहीं चलेगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । आज के 'स्टेट्समैन' में एक समाचार प्रकाशित हुआ है कि सरकार ने चीनी पर से नियन्त्रण हटाने का निर्णय किया है । संसद को सूचना दिए बग़ैर यह सूचना पहले प्रेस को कैसे दे दी गई । स्पष्टतया यह सदन के विशेषाधिकारों का हनन है ।

अध्यक्ष महोदय : बिना पूर्व सूचना दिए किसी मामले पर इस तरह प्रश्न नहीं उठाया जा सकता ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं इसे नियम 176 के अधीन उठा रहा हूं । मैं मंत्री महोदय के वक्तव्य पर आपत्ति नहीं कर रहा । मैं केवल इस सम्बन्ध में सरकार से स्पष्टीकरण चाहता हूं कि उसने प्रेस को यह सूचना संसद से पहले किस प्रकार दे दी ।

कृषि मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : सरकार ने यह सूचना प्रेस को नहीं भेजी ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय को वक्तव्य देने दीजिए ।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जैसा कि सदन को मालूम है, उस वर्ष चीनी का कम उत्पादन होने और मूल्यों में वृद्धि होने के कारण अप्रैल, 1963 में चीनी पर पूर्ण नियन्त्रण लागू किया गया था। यह नियन्त्रण उसी रूप में 1966-67 के मौसम तक चलता रहा जबकि सूखे के कारण गन्ने की फसल के प्रभावित होने से चीनी का 22 लाख मी० टन से भी कम उत्पादन हुआ था जो कि हाल ही के वर्षों में सबसे कम उत्पादन था। गन्ने की ऊंची कीमत देकर गन्ने और चीनी के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 1967-68 के मौसम में चीनी की आँशिक विनियन्त्रण की नीति लागू की गई थी। इस नीति के अधीन चीनी के उत्पादन का अधिकाँश भाग मुख्यत: घरेलू उपभोक्ताओं में नियंत्रित वितरण करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों पर अधिप्राप्त किया गया था और उत्पादन का कुछ भाग खुले बाजार में बिक्री के लिए चीनी कारखानों को दिया गया था। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि उपभोक्ताओं को सरकार द्वारा निर्धारित उचित मूल्यों पर चीनी मिली, चीनी कारखाने खुले बाजार में चीनी बेच कर अधिक दाम प्राप्त कर सके और इससे वे उत्पादकों को गन्ने का अधिक मूल्य दे सके। 1967-68 और 1968-69 के वर्षों के दौरान उत्पादकों को उनके गन्ने का जो मूल्य मिला वह साँविधिक न्यूनतम मूल्य से पर्याप्त अधिक था। इस तरह इस नीति के उद्देश्य पूरे हो गए हैं क्योंकि चीनी का उत्पादन 1968-69 से 35.6 लाख मी० टन से बढ़कर 1969-70 में 42.6 लाख मी० टन हो गया और घरेलू उपभोक्ताओं को सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों पर नियंत्रित वितरण माध्यमों से पर्याप्त मात्रा में चीनी मिलती रही।

2. उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि होने और चीनी कारखानों के पास चीनी का स्टाक इकट्ठा हो जाने के कारण जो कि पिछले मौसम की समाप्ति पर लगभग 21 लाख मी० टन था, वस्तुत: स्थिति बदल गई है। यद्यपि चीनी की आन्तरिक खपत 1968-69 के 26 लाख मी० टन से बढ़कर 1969-70 में 32.5 लाख मी० टन तक पहुंच गई है और चालू वर्ष के दौरान 37 लाख मी० टन से भी अधिक हो सकती है, फिर भी चीनी कारखानों के पास सितम्बर में चीनी वर्ष की समाप्ति पर 19 लाख मी० टन का स्टाक होगा। 1969-70 के चीनी मौसम से खुले बाजार में चीनी के मूल्य भी काफी नीचे गिरते आए हैं और चीनी कारखानों को न्यूनाधिक (उत्पादन शुल्क को छोड़कर) लेवी मूल्यों के स्तर पर ही मूल्य मिलते रहे हैं। खुले बाजार में बिक्री की चीनी की उपलब्धि सुगम होने और कमी वाले राज्यों द्वारा वितरण के लिए ऊंची कीमत की लेवी चीनी को लेने से आना-कानी करने के कारण ऊंची लागत के जोनों में चीनी कारखाने लेवी चीनी का नियुक्त कोटा भी नहीं बेच पाते हैं। इससे कई जोनों के कारखानों के पास आवश्यकता से अधिक स्टाक इकट्ठा हो गया है और परिमाणत: वित्तीय कठिनाइयाँ बढ़ गई हैं। चीनी उद्योग उत्पादन की लागत में वृद्धि होने और चीनी का स्टाक रखने के आधार पर चीनी के मूल्यों में बढ़ोतरी करने की बराबर माँग करता रहा है। हाल ही के महीने में बहुत से चीनी कारखानों ने न्यायालयों का आश्रय लिया है और मूल्यों में पर्याप्त वृद्धि करने के लिए अन्तरिम आदेश प्राप्त कर लिए हैं जो कि एक ही जोन में प्रत्येक कारखाने के लिए भिन्न भिन्न हैं। इसके परिणामस्वरूप देश के कई भागों में इस समय मूल्य नियंत्रण और वितरण की प्रणाली पर भारी दबाव पड़ रहा है।

3. अत: सरकार ने बदली हुई परिस्थितियों की दृष्टि में समूची चीनी नीति की समीक्षा की है। यह विचार किया गया है कि चीनी की सप्लाई और स्टाक स्थिति सुगम होने से चीनी के मूल्यों पर नियन्त्रण, कार्डों पर उपभोक्ताओं को चीनी का निर्धारित कोटा देना और कार्यविधि सम्बन्धी बाधाओं

का मौजूदा स्थिति में कोई स्थान नहीं है। अतः सरकार ने चीनी के मूल्य, वितरण और संचलन पर सभी नियन्त्रण तुरन्त हटाने का निश्चय किया है। तथापि, थोक व्यापारियों को बेचने के लिए चीनी कारखानों से चीनी की निर्मुक्ति विनियमित की जाती रहेगी ताकि बाजार में चीनी के उचित और स्थिर मूल्य बनाए रखे जा सकें और वर्ष भर में चीनी की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित की जा सके। सूझ-बूझ के साथ चीनी की निर्मुक्ति करने से यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि भावी आकस्मिकताओं से निबटने के लिए देश में सदैव चीनी का पर्याप्त आरक्षित भण्डार रहे। सरकार यह आशा करती है कि इससे वितरण प्रणाली में मौजूदा दबाव को दूर करने में सहायता मिलेगी और देश भर में उपभोक्ता प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर अपनी आवश्यकता लायक चीनी प्राप्त कर पायेगा। इसके अतिरिक्त गन्ना उत्पादकों के हितों की सुरक्षा के लिए उत्पादकों को मिलने वाले गन्ने के न्यूनतम मूल्य पर नियन्त्रण लगा रहेगा और पूर्व की भांति प्रत्येक फसल मौसम के लिए न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : अब हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन के सम्बन्ध में मद संख्या 8 पर चर्चा करेंगे।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): Mr. Speaker, Sir, the time for discussion on Bangla Desh must be increased and tomorrow the whole day must be accomodated so that every hon. Member may speak on the discussion.

श्री त्रिदिब चौधरी (बहरामपुर) : प्रधान मंत्री ने शरणार्थी समस्या को राष्ट्र की सबसे गंभीर समस्या बताया है जो राष्ट्र के सम्मुख स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सबसे बड़ी समस्या के रूप में उत्पन्न हुई है। हम इस अन्तर्राष्ट्रीय समस्या पर पूरे मनोवेग से विचार नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आज हम बंगला देश के बारे में 2 बजे से 6 बजे तक चर्चा करेंगे।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : इसके लिए चार घंटे का समय पर्याप्त नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।
The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक-सभा दो बज कर तीन मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई।
The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Three Minutes past fourteen of the Clock.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]

पूर्वी बंगाल से शरणार्थियों के आगमन के बारे में चर्चा

DISCUSSION RE: INFLUX OF REFUGEES FROM EAST BENGAL

श्री ए० के० सेन (कलकत्ता-उत्तर पश्चिम) : जो कुछ पूर्वी बंगाल में हुआ है, वह मानव इतिहास में एक सबसे बड़ी दुर्घटना है। लाखों लोगों की वहाँ हत्या कर दी गई है। कल ही प्रधान मंत्री ने यह बताया था कि लाखों लोग सीमा पार करके वहाँ से भाग रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप जो शरणार्थी अपना सब कुछ वहाँ छोड़कर यहाँ आये हैं उनसे उत्पन्न समस्या से हमारा देश दब गया है।

यह कहना कि हम इन शरणार्थियों का सीमा पार करके यहाँ आ जाना सहन नहीं कर सकते और इस बात को मानने से इन्कार कर देना कि क्योंकि हमारा पड़ौसी उन पर उपनिवेशवादी शासन करना चाहता है, इसलिए इन अभागे नागरिकों को यहाँ धकेलने की पूर्ण स्वतंत्रता है, काफी नहीं है। यह कहना भी काफी नहीं है कि इन लाखों अभागे शरणार्थियों के प्रति पूरी सहानुभूति, समर्थन तथा सहायता प्रदान करने के लिए तैयार हैं। इस प्रकार की सहनशीलता वाली भूमिका हमारे इतिहास और हमारे अतीत की परम्पराओं के अनुसार नहीं होगी।

ऐसे समय में इस देश को उत्साह और शक्ति से कार्य लेना चाहिए। यदि यह बात नहीं है तो लाखों मृतकों की करुणामय वाणी से समूचा विश्व न हिलता।

अतीत के कई ऐसे उदाहरण हैं जब कि कई छोटी घटनाओं के होने पर तथा-कथित महान शक्तियों ने कार्यवाही की थी। उदाहरण के लिए 19 वीं शताब्दी में जब ग्रीस पर टर्की के लोगों ने आक्रमण किया तथा अत्याचार ढाए तो इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस ये तीन महान शक्तियाँ उसकी सहायता के लिए दौड़ पड़ी। खुले आम यह कहा गया था कि टर्की द्वारा सैंकड़ों ग्रीक लोगों का संहार वे मूक दर्शक की भांति नहीं देख सकते। वहाँ न केवल सेनायें ही भेजी गईं अपितु ग्रीस के सारे तट की नाकाबन्दी कर ली गई। फलतः नैवेरिनों की लड़ाई हुई जिसमें सारी टर्की सेना को नष्ट कर दिया गया। इससे अधिक महत्वपूर्ण जो एक बात और हुई थी वह यह थी कि जब जान रोजिन, एक ब्रिटिश नागरिक घायल हुआ तथा ग्रीक लोगों ने उसकी संपत्ति पर अधिकार कर लिया तो ब्रिटिश नौसेना ने ग्रीक तट की नाकाबन्दी कर दी और यह कहते हुए कि विश्व में किसी भी देश को अपने आन्तरिक क्षेत्राधिकार को काम में लाते हुए किसी अन्य राज्य के नागरिकों के जीवन व सम्पत्ति को दखल पहुंचाने का अधिकार नहीं है। उन्होंने प्रतिरोध का दावा करते हुए नौकावरोध की घोषणा कर दी। प्रतिरोध का अधिकार किसी प्रभुत्व सम्पन्न राज्य के लिए आवश्यक होने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय कानून को भी इसका अधिकार प्राप्त है।

आज क्या हो रहा है? न केवल पाकिस्तानी नागरिक, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदायों के लोगों का भी संहार हो रहा है अपितु हमारे देश के हजारों गाँवों पर आक्रमण किया जा रहा है तथा सैंकड़ों भारतीय नागरिकों को गोली से उड़ाया गया है तथा उनकी सम्पत्ति नष्ट की गई है।

जब पाकिस्तानी सेना अकारण गोली बारी करे तो क्या हमें चुपचाप बैठे रहना चाहिए? क्या हमें अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही करने तथा उन्हें पीछे धकेलने का अधिकार नहीं है?

किसी भी राज्य को चाहे वह कितना भी शक्तिशाली हो किसी दूसरे राज्य को नष्ट करने के लिए अपनी सेना को स्वतन्त्र रखने का अधिकार नही है। यह केवल एक अन्तर्राष्ट्रीय कानून ही नहीं बल्कि एक आन्तरिक कानून भी है।

अतः इस सभा तथा इस सरकार को यह निर्णय करना है कि क्या हम पाकिस्तान द्वारा अपनी प्रभुत्व सम्पन्नता को इस प्रकार ठेस पहुंचाने की कोशिशों तथा हमारे नागरिकों और उनकी सम्पत्ति को नष्ट करने के इन नापाक प्रयत्नों को और कब तक सहन करते रहेंगे। उसको पाठ पढ़ाया जाना चाहिए। वह संसार में केवल शक्ति के पाठ को ही समझता है और वही उसे अनिवार्य रूप से दिखाया जाना चाहिए ताकि उसे पता लगे कि यह देश शान्ति और अहिंसा के सिद्धान्त को दृढ़ता से अपनाते हुए भी आत्म रक्षा

के लिए कार्य करना जानता है, जैसा कि हमने 1965 में किया था। मैं प्रधान मंत्री को विश्वास दिला सकता हूं कि इस सभा के भीतर और सभा से बाहर भारतवासी देश की गरिमा, प्रभुसत्ता और अखंडता बनाये रखने के लिए और अपने नागरिकों के अधिकारों के लिए किए जाने वाले उनके प्रयास में आखिरी दम तक उनका समर्थन करेंगे।

ब्रिटेन की सरकार ने कहा है कि यह एक आन्तरिक समस्या है। यद्यपि हमारा श्री हीथ और ब्रिटेन की सरकार से कोई विरोध नहीं है।

यदि उन लोगों को यह ज्ञात होता कि मुजीब की सेना सफल हो जायेगी तो वे बंगला देश को मान्यता देने के लिए दौड़ते परन्तु वे अब भी यह समझते हैं कि पाकिस्तान बंगला देश पर अधिकार बनाए रखने और अपनी दमन नीति को जारी रखने में समर्थ होगा। वे इतिहास के बारे में कम जानते हैं, लेकिन जब किसी राष्ट्र के सभी लोग आखिरी दम तक मर मिटने के लिए उठ खड़े होते हैं, तब उनको अधीन रखना असंभव हो जाता है। ऐसे कई उदाहरणों से इतिहास भरा पड़ा है। हिटलर का अन्त इतिहास की सर्वविदित घटना है और जो समय की गति को पहचानते हैं वे जानते हैं कि याह्या खां और पाकिस्तानी सेनाओं का भाग्य क्या है।

समस्या यह है कि हम इतिहास के चौराहे पर खड़े हैं पर क्या करने जा रहे हैं जब कि चालीस लाख लोग सीमा पार करके यहाँ आ गए हैं और भारत के पूर्वी क्षेत्र की समूची अर्थ-व्यवस्था और स्थिरता को अस्त-व्यस्त कर रहे हैं।

प्रधान मंत्री और हमारी सरकार बड़े राष्ट्रों के कर्त्तव्य की भावना जागरूक करने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश, ऐसा लगता है कि मानव अन्तरात्मा कार्य करने में बिल्कुल शिथिल पड़ गई है। हम दु:खद घटनाओं की कहानियों के प्रति उदासीन हो गए हैं। यह मालूम होता है कि शौर्य युग का और लोगों की आज़ादी के लिए सहयोग करने के युग का बिल्कुल अन्त हो चुका है और हम दमन के प्रत्येक कार्य को सहन कर लेते हैं।

मुझे आशा है कि इतिहास के इस संकट काल में भारत नेतृत्व करेगा और संसार को बता देगा कि वह अपनी शक्ति के अनुसार पीड़ित व्यक्तियों और पीड़ित मानवता की सहायता के लिए कार्य कर सकता है।

मैं सरकार से साहस और वीरता के साथ कार्य करने के लिए अपील करूंगा। हमें बंगला देश की मान्यता प्रदान करनी चाहिए।

समय आ गया है जब हमें बंगला देश की जनता और पाकिस्तान की जनता द्वारा अभिव्यक्त की गई प्रबल आकाँक्षा की ओर अनिवार्य रूप से ध्यान देना चाहिए और हमें अवश्य ही उसे मान्यता प्रदान कर देनी चाहिए। यह पहली बात है जिसे हम कर सकते हैं और उसे किया जाना चाहिए।

दूसरी बात, जो की जानी चाहिए, वह यह है कि उन स्रोतों को रोका जाए, जहाँ से भारत पर आक्रमण हो सकते हैं, चाहे यह लाखों शरणार्थियों को भेजने के रूप में हो अथवा सीमा पर गोली बारी करने के रूप में हो और चाहे भारत की आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक स्थिरता को क्षति पहुंचाने के रूप में हो। इस दिशा में कार्यवाही करनी चाहिए। ऐसा करके ही हम शेष संसार का आदर पायेंगे।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): There are so many aspects of the Bangla Desh problem. The first aspect is that Bangla Desh is our neighbour. To-day genocide is being committed on Bangla Desh. According to its charter the U. N. O. can raise its voice against genocide of any human race but so far the U. N. O. has not become active in the matter of genocide being committed on the Bangla Desh. Prevention of this genocide is necessary. If the U. N. O. and the big powers of the would refuse to interfere, then it is India which should perform its duty.

Secondly, the democracy has been butchered there. This time when the Awami league won the elections with four majority. the leader of the Party Sheikh Mujibur Rahman—perhaps he is in jail, only God knows he is safe or not—was put into jail. Instead of allowing the elected leader of the people of Bangla Desh to be the Prime Minister, the Pakistani military suppressed the leader of the Bangla Desh.

I remember, when the efforts were being made for handing over power to France in Spain, the youth of this country decided to send a squad for fight to that country under the leadership of late Pt. Nenru. Inspite of our slavery our sympathy was with the spanish fighting for democracy. To-day we are independent and the military of an independent country is there. It is no time for sending volunteers for the help of Bangla Desh. If necessary, military contingents may be sent there.

The third aspect of the Bangla Desh situation—the refugees influx—is of deep concern to us. The Prime Minister has rightly observed that the problem of Pakistan has become the problem of ours. 3.5 millions of people have been driven away. This number may increase upto 1 crore. It is a grave problem to take care of 1 crore of refugees. By throwing these people across our borders, Pakistan wants to swamp our economy, jeopardise the whole eastern sector and incite the communal riots in the country.

Again I would like to quote an example of the year 1950 when the refugees were being driven out, then late Pt. Nehru announced in this very House that if the exodus was not stopped, other methods would be adopted. As a result of that the then Prime Minister of Pakistan had to surrender.

The Prime Minister has expressed her wishes that the refugees should go back to their country. If we really want to see them return, the only way out is to recognise the Bangla Desh and to extend active help in case the Bangla Desh seeks it.

It is not surprising that the countries of the world are supporting Pakistan. It has been the policy of the Big Powers to support Pakistan because they want to see India as a weak country and to foster Pakistan in every struggle. It is an anguishing matter that our friend is not exercising the amount of frankness which she should do. At the very outset the President of U. S. S. R. did something but it is not understandable as to why he is silent now. The nations of the world can ask what India is doing about Bangla Desh? We must continue our endeavours to arouse the human conscience and mobilise world opinion in favour of Bangla Desh. The Government has achieved a little success in if. What would happen it Pakistan creates a war situation by attacking our borders if we do not recognise Bangla Desh. I hope valourous slips would be taken by the Government. If the Government shows inactiveness and the despondence takes place among people. certain anti-national elements may exploit the situation and our economy may be jeopardised.

श्री जे० बी० पटनायक (कटक) : बंगला देश को मान्यता प्रदान करने सम्बन्धी प्रश्न के कई पहलू हैं। मान्यता प्रदान करने की माँग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मेरे विचार में मान्यता प्रदान करने से कोई समस्या हल नहीं होगी। सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि बंगला देश के लोगों का

संघर्ष सफल हो और 35 लाख विस्थापितों के बंगला देश वापिस जाने योग्य स्थिति पैदा की जावे। ऐसी स्थिति पैदा करने के लिए हमारे साथ अन्तर्राष्ट्रीय जनमत भी होना चाहिए।

अन्तर्राष्ट्रीय जनमत प्राप्त करने की स्थिति हमारे पक्ष में है। 35 लाख बंगला देश के लोग हमारे देश में आ गए हैं। अब यह पाकिस्तान का घरेलू मामला नहीं रहा। दूसरे, बंगला देश में नरसंहार निरन्तर होता जा रहा है जिसमें लाखों लोग मौत के घाट उतार दिए गए हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार नरसंहार करने वाले व्यक्ति को दंडित किया जाता है। बंगला देश में चल रहे नरसंहार को रोकने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप अनिवार्य है। बंगला देश में पाकिस्तान द्वारा चलाये जा रहे जातिवाद की मिसाल मुश्किल से ही मिलेगी। 7।। करोड़ लोगों पर 5।। करोड़ लोग राज्य कर रहे हैं। राष्ट्रीय विधान सभा के लिए बहुमत में चुने जाने पर भी उन्हें अपने राजनैतिक अधिकारों का उपयोग करने से रोका गया।

पूर्वी बंगाल को पाकिस्तान अपना उपनिवेश समझता आ रहा है। पूर्वी बंगाल के लोगों को पाकिस्तान ने प्रजातांत्रिक अधिकारों से भी वंचित किया। अतः पाकिस्तान द्वारा चलाये गए दमन तथा बर्बरता के चक्र से बंगला देश का मामला अब पाकिस्तान का घरेलू मामला नहीं रह गया। यह एक ऐसी दु:खद घटना है जिसके लिए अन्तर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप होना चाहिए था। भारत निस्सन्देह विश्व जनमत पैदा करने में सफल हुआ है। रूस समस्या का राजनैतिक हल करने के लिए यथासम्भव प्रयत्न कर रहा है। संयुक्त राज्य अमरीका का जनमत भी सिनेटर फुलब्राईट तथा भूतपूर्व सिनेटर केनेडी के भाषणों द्वारा जाना जा सकता है। इस प्रकार हमने बड़ी-बड़ी शक्तियों का जनमत प्राप्त कर लिया है।

श्री दशरथ देव (त्रिपुरा पूर्व) : देश के लोग यह देख रहे हैं कि भारत सरकार बंगला देश के मामले में क्या निर्णय लेती है, संसद के गत अधिवेशन के दौरान बंगला देश के संघर्षरत लोगों को समर्थन देने सम्बन्धी सर्वसम्मत प्रस्ताव पास हुआ था। लेकिन सरकार अब भी मान्यता प्रदान करने में संकोच कर रही है। मान्यता प्रदान करने सम्बन्धी विलम्ब से बंगला देश के स्वतंत्रता सैनानियों का अहित हो रहा है। हमारी प्रधान मंत्री ने अन्य देशों को पाकिस्तान पर ऐसा दबाव डालने के लिए कहा है जिससे बंगला देश में ऐसी स्थिति पैदा हो जाये कि वहाँ से भारत में आये विस्थापित व्यक्ति अपने घरों को जा सकें। लेकिन ऐसी स्थिति उसी दशा में पैदा की जा सकती है जब पाकिस्तान की सेना को बंगला देश से बाहर खदेड़ा जाए। यदि ऐसा करना है तो इस पर अभी और यहीं निर्णय लिया जाना चाहिए।

पाकिस्तानी सेना को बंगला देश से बाहर खदेड़ने के लिए हमें स्वतंत्रता सैनानियों को भौतिक सहायता देनी चाहिए अन्यथा प्रस्ताव पास करने मात्र से कोई लाभ नहीं होगा।

विस्थापितों की संख्या बढ़ती जा रही है। मेरे छोटे से राज्य त्रिपुरा में एक लाख विस्थापित व्यक्ति आ चुके हैं जबकि हमारी अपनी आबादी केवल 15 लाख ही है। ये लोग उस समय तक वापिस नहीं जा सकते जब तक कि पाकिस्तान की सेना को बंगला देश से बाहर न खदेड़ा जाये।

बंगला देश को मान्यता प्रदान करने में देरी होने से भौतिक सहायता देने तथा राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने में भी देरी हो रही है। अतः मैं यही सुझाव दूँगा कि बंगला देश को तुरन्त मान्यता प्रदान की जाये।

आज हमारा देश बंगला देश को मान्यता देने की माँग कर रहा है और हमारी सरकार देश के सारे लोगों की माँग पर कोई ध्यान नहीं दे रही है।

त्रिपुरा राज्य पर विस्थापितों के आने का सबसे बुरा प्रभाव पड़ा है। मैं कई विस्थापित शिविरों में गया। उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। अभी लाखों विस्थापित और आने हैं। त्रिपुरा के कुछ भागों में महामारी फैल गई है, चीजों के मूल्य बढ़ गए हैं और वहाँ की आर्थिक स्थिति छिन्न-भिन्न हो गई है। यदि विस्थापितों को अन्य राज्यों में नहीं भेजा गया तो मैं नहीं जानता कि त्रिपुरा जैसे छोटे राज्य की स्थिति क्या हो जायेगी। बंगला देश की स्थिति से हमारी सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। अखोड़ा से पाकिस्तानी सेना निरन्तर गोलियाँ चलाती आ रही है और हमारी सेना चुप रह कर शाँति का श्वेत झंडा ही उठाती है।

मैं पुनः बंगला देश को मान्यता प्रदान करने का आग्रह करूंगा।

श्री हरि प्रसाद शर्मा (अलवर) : पिछले 23 वर्षों में बंगला देश सरीखी दुखद घटना अन्यत्र नहीं हुई। बंगला देश की स्थिति सुधारने के लिए उसको मान्यता प्रदान करने के सुझाव दिये गये हैं। अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार बंगला देश में सरकार के सभी चारों पहलू नज़र आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पहलू बहुमत का निर्णय है। इतिहास में कहीं भी किसी आन्दोलन के लिए इतना जनसमर्थन नहीं मिला, जितना बंगला देश के लोगों ने दिया है। वहाँ पर हुए चुनावों के फलस्वरूप बनने वाली राष्ट्रीय विधान सभा को पाकिस्तान की सेना ने कुचल डाला।

मान्यता न देने की मेरी दलील को शायद गलत समझा जाये लेकिन मैं सदन से चाहूंगा कि वह वास्तविकता को समझे। हमें इस बात को अच्छी तरह समझना चाहिए कि हमारा हित कहाँ है। मान्यता प्रदान करने से क्या होगा ? यदि हम उनको मान्यता प्रदान करते हैं तो हमें उनकी हर तरह से सहायता करनी होगी। उन्हें सैनिक तथा आर्थिक अर्थात् हर प्रकार की सहायता देनी होगी। मान्यता देने पर यदि हम बंगला देश को सहायतार्थ हवाई जहाज भेजेंगे तो पाकिस्तानी सेनायें उसे उड़ा देंगी। तो क्या हम युद्ध करने के लिए तैयार होंगे ? अतः मान्यता प्रदान करने से पहले इन बातों को ध्यान में रखना होगा। हमें युद्ध की ओर नहीं लपकना चाहिए। यदि हम युद्ध करने को तैयार हैं तो हमें मान्यता प्रदान करनी चाहिए। हमें स्थिति पर वास्तविकता को देखते हुए निर्णय लेना चाहिए।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : प्रधान मंत्री ने कल कुछ अच्छी बातें कहीं जिसके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूँ। लेकिन हमारा विदेश कार्यालय विश्व जनमत पैदा करने में सफल नहीं रहा। विश्व जनमत पैदा करना एक टेढ़ा काम है।

लाखों विस्थापित भारत आ गए हैं और अब तक आ ही रहे हैं। महामारी तथा छूत की बीमारियों का हमारे देश में आने का खतरा है। क्या हम एक शक्ति सम्पन्न बर्बर ताकत द्वारा बंगला देश में चलाये गये नर संहार के दर्शन मात्र हैं ? बंगला देश सरकार द्वारा शस्त्र खरीदने तथा अपने आपको मजबूत करने के लिए इस सरकार को मान्यता प्रदान करना एक अनिवार्य कदम नहीं ? लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। दान देना तथा विस्थापितों की सहायता करना ही मुख्य बातें नहीं है। लेकिन मुख्य बात, जैसे कि कल प्रधान मंत्री ने कहा, ऐसी स्थिति पैदा करना है जिससे विस्थापित व्यक्ति अपने घरों को जा सकें। हम विस्थापितों तो स्थायी तौर पर भारत में नहीं रख सकते और किसी प्रकार का राजनैतिक हल ढूंढना आवश्यक है।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून सन 1778 में संयुक्त राज्य अमरीका को मान्यता प्रदान करने से न रोक सका। इसी तरह 1887 में संयुक्त राज्य अमरीका ने भी टेक्सा को मान्यता प्रदान करने से संकोच नहीं किया। संयुक्त राज्य अमरीका ने पानामा तथा कोलम्बिया को मान्यता प्रदान करने में भी संकोच नहीं किया। मैं जानता हूँ कि भारत संयुक्त राज्य अमरीका अथवा अन्य बड़ी शक्तियों की जैसी स्थिति में नहीं। भारत समय-समय पर स्वाधीनता के लिए संघर्ष करने वाले देशों का समर्थन करता आ रहा है। इंडोनेशिया की आज़ादी का भी हमने समर्थन किया था जिसके फलस्वरूप भारत का गौरव बढ़ा। बंगला देश को मान्यता प्रदान करने में हम क्यों देर कर रहे हैं ? देर करने से पाकिस्तान को ही लाभ पहुंचेगा। बंगला देश के पाकिस्तान से सम्बन्ध विच्छेद का जिम्मेदार भारत नहीं।

क्या हम बंगला देश को मान्यता इसलिए नहीं प्रदान कर रहे हैं कि अन्य देशों ने भी अभी तक ऐसा नहीं किया ? क्या हम पाकिस्तान तथा अन्य देशों से डरते हैं ?

हम पाकिस्तान के उप-उच्चायुक्त से कलकत्ता में ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे एक विशिष्ट व्यक्ति से किया जाता है। इसके विपरीत ढाका में हमारे उच्चायुक्त को नजरबंद किया गया तथा हमारे कराची तथा इस्लामाबाद स्थित उच्चायुक्तों की पत्नियों से दुर्व्यवहार किया गया।

मेरे दोस्त डा० रानेन सेन मुझे बताते हैं कि हमारे सीमा सुरक्षा अधिकारी अखोड़ा-अगरतला में पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों से हाथ मिलाते हैं। जब वे हमारी सीमा में गोलियाँ बरसाते हैं तो हम सफेद झंडा ऊंचा करते हैं।

यह सब इसलिए हो रहा है कि हम पाकिस्तान की धमकियों से डर रहे हैं। हमारा विदेश मंत्रालय जो कुछ कर रहा है उससे भारत का सिर दुनिया के सामने झुक-सा गया है।

मैं जानता हूँ कि प्रधान मंत्री का काम कठिन-सा है। उन्होंने कुछ अच्छी बातें की हैं। हम पाकिस्तान को अपने कब्जे में नहीं लेना चाहते। अब जब बंगला देश बन ही गया है तो इसे मान्यता देनी ही होगी। धीरे-धीरे बंगला देश के मामले में विश्व जनमत जाग रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ भी स्थिति को समझने लगा हैं। आज की जरूरत क्या है, इस बारे में भारत सरकार को धैर्य से काम लेना है। बंगला देश को मान्यता देना अनिवार्य है और भारत सरकार को यह जिम्मेदारी निभानी ही होगी।

Shri M. Ram Gopal Reddy (Nizamabad): India would have given help to the people of other countries in the same manner as she is giving to the people of Bangla Desh, under the circumstances as are prevailing in Bangla Desh.

The steps taken by the Prime Minister have been appreciated by all the leaders of the world and they have appealed the world to come formand for the help of the refugees. The houses of Islamabad want to drive away one crore persons out of East Pakistan so that all the intellegention could go out of Pakistan and they may go on ruling over ignorant public in the same way as i. was in Arbistan before the birth of Prophet Mohammad.

Now what should be the policy of India regarding these refugees because it involves an expenditure of 300 crores i.e. 10 per cent of our budget?

The refugees have started their old trade in West Bengal, Assam and Tripura and as such the local people are finding difficult to get work. This is creating tension there. Govt. should take steps in this direction immediately.

We should ask Pakistan to give some portion of land to rehabilitate the refugees, coming in great number and if she refuses we should take that land forcibly.

If we do not help Bangla we will have to settle these refugees in India permanently, because they will not like to go back on account of the good treatment they are getting here. We should recognise Bangla Desh with out waiting the other countries to do it first and if it is necessary we should send our forces to Bangla Desh and help them in their struggle for independence. Pakistan is using the Nazi ways and during out all Hindus out of Pakistan.

श्री फ्रैंक एन्थनी (नाम निर्देशित–आँग्ल भारतीय) : स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत के सम्मुख यह सबसे कठिन चुनौती है। यह एक चुनौती है हमारी राजनीति कों, हमारे धर्म निर्पेक्ष सिद्धान्त को तथा हमारी एकता को। प्रत्येक नागरिक के सामने यह प्रश्न है कि वर्तमान परिस्थितियों में क्या भारत युद्ध को रोक सकता है।

बंगला देश में आज जो कुछ हो रहा है वह समस्त मानव जाति के प्रति एक अपराध है। तथा हम देख रहे हैं कि आजकल अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का अन्त हो रहा है। तथा उसे बाद में पता चलेगा कि इसका प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति पर पड़ा है।

यह एक सीधी-सी बात है कि इस शरणार्थी समस्या का भारत की आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। पाकिस्तान नाजियों के अनुरूप इस समस्या को हल करने का विचार करता है। यह कोई विद्रोह नहीं है बल्कि यह तो पाकिस्तान के एक बहुमत का विद्रोह है और सैनिक शासन समझता है कि वह इसे नाजियों की तरह दबा देगा।

चीन आज जानबूझ कर धोखा दे रहा है। इससे पाकिस्तान के सैनिक शासकों को समर्थन मिल रहा है और साथ ही उनके नर संहार को भी। उसका मुख्य उद्देश्य इस उप-महाद्वीप में अपना आधिपत्य जमाना है।

मैं तुरन्त मान्यता देने की बात नहीं कहता क्योंकि इस बारे में सरकार ही सबसे ठीक ढंग से सोच सकती है। यदि हम तुरन्त मान्यता दे दें तो पाकिस्तान विश्व का ध्यान वर्तमान स्थिति से हटा कर मान्यता की ओर आकर्षित करेगा।

तत्काल मान्यता देने का एकमात्र उपाय यही है कि जो संकल्प हम पहले पारित कर चुके हैं उन पर तुरन्त कार्रवाही शुरू कर दें। और मान्यता का प्रश्न सरकार का सिर दर्द है। इसमें समय अधिक लग सकता है। और वह महंगा भी होगा। क्योंकि पाकिस्तान की समूची सेना बंगला देश के 20,000 से 30,000 गुरिल्लाओं से लोहा लेने में समर्थ नहीं होगी। मुक्ति फौज को किस सीमा तक तथा कैसे सहायता दी जाये यह सरकार पर छोड़ देना चाहिए। बंगला देश वासियों के सामने एक ही मार्ग शेष है—दासता या स्वतंत्रता और मेरा दृढ़ विश्वास है कि स्वतंत्रता की इस अपनी लड़ाई में वे जीतेंगे अवश्य।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : बंगला देश की समस्त जनता का आन्दोलन में कूद पड़ना एक बहुत बड़ी घटना है। यह अत्याचार के विरुद्ध खुला विरोध है। यह लड़ाई से स्वतंत्रता प्रिय लोगों और पूर्व स्थिति बनाये रखने वालों के बीच। और भारत क्योंकि स्वतंत्रता और गणराज्य का पक्षपाती है, हमने यह बता दिया है कि उनकी इस लड़ाई में हम एक मन से उनके साथ हैं।

आजकल बंगला देश में लाखों लोगों को कत्ल किया जा रहा है। पिछले 23 साल तक बंगला देश को पाकिस्तान ने पूरी तरह से गुलाम रखा और अब जब उन्होंने अपनी स्वतंत्रता के लिए आवाज

उठाई तो उन्हें गोलियों का सामना करना पड़ा। ऐसी स्थिति में केवल उनके नेता शेख मुजीबुर्रहमान के शब्द ही उनके सम्बल हैं। चाहे वे कहीं भी हों। पर उनके शब्द प्रत्येक बंगला देशवासी के हृदय में बैठ चुके हैं और उन्हें कभी भी हराया नहीं जा सकता।

यह बड़े खेद की बात है कि बड़े-बड़े देशों तथा अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ ने इस हत्याकाण्ड के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा है। केवल भारत ने इसका पूरा भार अपने ऊपर लिया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से लेकर अब तक का सबसे बड़ा खतरा जो है वह भारत ने उठाया है।

अब जबकि हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं पाकिस्तानी सेना वहाँ स्वाधीनता आन्दोलन को दबा देने में और भारतीय सीमा पर आक्रामक कार्यवाहियाँ करने में लगी है। हमारी सरकार को इस स्थिति पर गौर से विचार करना है।

हाल ही में श्री लंका में आतंकवादियों ने अपनी कार्यवाही तेज की भारत सरकार ने उनकी मदद की, यद्यपि वह लंका का आन्तरिक मामला था। हमने देखा है कि संसार के अन्य देशों ने भी आने वाले संकट को टालने के लिए खतरा मोल लिया है और कार्यवाही की है। और अब जबकि भारत में बंगला देश से 30 लाख शरणार्थी आ चुके हैं जिनके भरण-पोषण के लिए उसे 6 महीने में 180 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेंगे।

अब हमारे सामने दो ही विकल्प हैं या तो हम इन सभी शरणार्थियों को अपने यहाँ बसा दें और इस प्रकार एक और आक्रामक सीमा बनाएं या उन्हें उनके देश में वापिस भेज दें। इसलिए हमें इन दोनों बातों की सामयिकता पर विचार करना है।

यह पूछा जा सकता है कि इतने कम समय में पाकिस्तान अपनी सेना के डिवीजन बंगला देश कैसे भेज सकता है। क्या यह संभव नहीं था कि पश्चिमी सीमा पर सेना को भेज कर उसे डराया जाता। इसमें क्या कठिनाई है इससे मैं अवगत नहीं, पर यदि समय हो तो सरकार इस बात पर विचार करे।

दूसरे बंगला देश के सम्बन्ध में कार्यवाही करने के हमें पहले भी मौके मिले हैं। पर हमने 19 विरोध पत्र भेजे उनसे क्या हुआ। कोई सीधी कार्यवाही की जानी चाहिए थी।

बंगला देश एक तथ्य है जो कि रक्त सिंचित होकर पैदा हुआ है। और जबकि समस्त संसार यह जानना चाहता है कि बंगला देश में क्या हो रहा है तब हमारी सरकार दिल्ली में एक सूचना केन्द्र खोलने की अनुमति देने में क्यों आनाकानी कर रही है।

हमने बंगला देश के लोगों के साथ होने की बात एक मत से कह कर बड़ा खतरा उठाया है। इसलिए अब सरकार, जो आवश्यक है, वैसी कार्यवाही करे। मान्यता के सम्बन्ध में अनेक अन्तर्राष्ट्रीय नियमों का हवाला दिया गया। पर उन पुराने नियमों का हवाला बेमानी है। हमें तो वस्तु स्थिति को देखना है। हमें पाकिस्तान को वर्तमान स्थिति से लाभ नहीं उठाने देना चाहिए।

कार्यालयों में बैठे कुछ नौकरशाही लोग बंगला देश की वास्तविक स्थिति का अनुमान नहीं लगा सकते। संसार के देशों ने बंगला देश में पाकिस्तान की करतूतों की यदि जोरदार निन्दा नहीं की है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है। क्या संसार को आकर्षित करने के लिए बंगला देश में हो रहा

अत्याचार काफी नहीं है। इसलिए हमें इस मामले के राजनीतिक हल के लिए अमरीका और रूस को अपने साथ लेना चाहिए। चीन इसमें उनका साथ नहीं देगा। भारत को इसमें नेतृत्व करना चाहिए।

श्री जी० विश्वनाथन (वान्डीवाश) : मैं बंगला देश के लोगों को ऐसी सैनिक सरकार से लोहा लेने पर बधाई देता हूँ, जिसके पास सभी प्रकार के आधुनिक हथियार हैं। वह यह लड़ाई वर्षों से लड़ रहे हैं पर जब उनकी सभ्यता, संस्कृति और भाषा पर आ बनी तब उन्होंने यह युद्ध छेड़ा।

इस बीसवीं सदी में साम्राज्यवाद नहीं पनप सकता। अब लोगों को शस्त्र बल से हमेशा के लिए नहीं दबाया जा सकता। यह युग स्वतंत्रता का युग है। अन्ततः बंगला देश को स्वतंत्र होना है। हमें उन्हें स्वतंत्रता दिलाने के लिए उनकी पूरी-पूरी सहायता करनी चाहिए। बड़ी शक्तियाँ वह सब नहीं कर रही हैं जो कि उन्हें करना चाहिए।

पाकस्तिान का काम तो केवल आरोप लगाना और भड़काने वाली बातें करना है। हम फिर भी शान्त हैं। हजारों लोग रोजाना भारत आ रहे हैं और हमें नहीं पता वे कब वापिस जायेंगे। जब तक बंगला देश स्वतंत्र नहीं होगा वापिस नहीं जा सकेंगे, क्योंकि नेहरू लियाकत करार के आधार पर जो लोग यहाँ रहना चाहें वे यहीं रहेंगे। अतः यह सीमावर्ती राज्यों के लिए एक हमेशा की समस्या होने वाली है।

अब हमारा क्या कर्त्तव्य है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून मान्यता देने के आड़े नहीं आ सकता, क्योंकि हमें पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ऐसे देशों तक को भी मान्यता दी गई जिनकी घोषणा एक होटल के कमरे में ही की गई। यहाँ तो देश है और उनके लोग हैं।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से हमने देखा है कि अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में भारत ने कभी पहल नहीं की। मैं समझता हूँ कि भारत इस सम्बन्ध में ऐसा नहीं करेगा।

यह पहला मौका है जब राज्य विधान सभाओं ने एक मत से बंगला देश को मान्यता देने की बात कही है। संसद को देश की जनता की भावनाओं का आदर करना चाहिए। आपके मान्यता देने पर अन्य देश भी जो ऐसी स्थिति में है वे भी उसे मान्यता दे देंगे और तभी आप इन शरणार्थियों को वापिस भेज सकेंगे।

प्रधान मंत्री ने बताया कि हमें शरणार्थियों पर 300 या 400 करोड़ रुपया काफी समय तक खर्च करना पड़ेगा। और फिर जब हम इतना रुपया खर्च करेंगे तो हमारा यह कर्त्तव्य है कि हम यह देखें कि हम किस सीमा तक स्वतंत्रता सेनानियों की सहायता कर सकते हैं। यह हमें तमाम कठिनाइयों के रहते करना है। हम लड़ाई नहीं चाहते पर यदि वह हम पर थोपी जाये तो फिर हमारे पास कोई अन्य विकल्प नहीं।

सरकार का यह कहना है कि हम मान्यता देने पर विचार कर रहे हैं और स्थिति का अध्ययन कर रहे हैं। पर मेरा कहना है कि पहले ही देर हो गई है, अब और कितना समय इसमें लगेगा।

श्री बी० आर० भगत (शाहाबाद) : बंगला देश में हो रही घटनाओं के सम्बन्ध में बड़ी शक्तियों की उदासीनता और बंगला देश की जनता की आकाँक्षाओं के विरुद्ध कार्य करने से यह पता चलता

है कि आजकल विश्व की घटनाओं पर उनके गुणदोष के आधार पर नहीं वरन् राष्ट्रीय हित के आधार पर विचार किया जाता है । इसी प्रकार दूसरे देशों की प्रेसों द्वारा भी राजनैतिक समाधान के पक्ष में उद्गार व्यक्त किये गये हैं और बंगला देश के निवासियों पर पश्चिम पाकिस्तान के सैनिक प्रशासन द्वारा किये गये अभूतपूर्व अत्याचारों की निन्दा की गई है । परन्तु संसार की सरकारें इस विषय में शान्त हैं । हमारे विदेश मंत्रालय पर आक्षेप लगाया गया है । यदि वस्तुस्थिति का अध्ययन किया जाय तो स्पष्ट हो जाता है कि बंगला देश के मामले को उठाना हमारे देश तक ही सीमित नहीं है । बंगला देश में सभी मानवीय अधिकारों का हनन किया गया है परन्तु आज के निर्दयी संसार में संसार की सरकारों द्वारा एक भी शब्द नहीं कहा गया है । वस्तुस्थिति ऐसी है और हमें इसके अन्तर्गत कार्य करना है ।

यदि कहीं पर कोई अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की घटना घटित होती है तो बड़ी शक्तियाँ साँसारिक संतुलन की ओर ध्यान देने लगती हैं । ये शक्तियाँ अपने हितों को दृष्टि में रखते हुए ही विश्व शक्तियों के झुकाव की ओर ध्यान देती हैं । कोरिया, वियतनाम तथा अन्य दूसरे स्थानों पर भी ऐसा ही हुआ है । शक्ति संतुलन के आधार पर विश्व की शक्तियों की विचारधारा बनती है, इसके साथ ही यह ध्यान भी रखना पड़ता है कि उनके देश पर इस विचारधारा विशेष का क्या प्रभाव पड़ेगा । बंगला देश के मामले में भी यही कुछ हो रहा है ।

इसके पश्चात् देशों के अपने आदर्श हैं जिनसे उनकी विचारधारा बनती है । बहुत से व्यक्तियों की इच्छा है कि बंगला देश के लोकताँत्रिक विकासवादी आन्दोलन को सफलता मिले परन्तु ऐसी भी शक्तियाँ हैं जिनका विचार है कि इस आन्दोलन को कुचल दिया जाना चाहिए क्योंकि उनके विचार से बंगला देश के विध्वंस के पश्चात् उग्रवादी आन्दोलनकारी शक्तियों का उदय होगा । इस विचार के फलस्वरूप उनकी विचारधारा को बल मिलता है । चीन की विचारधारा का मामला ऐसा ही मामला है ।

जब हम इस स्थिति पर विचार करें तो हमें इन सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए । हमारे देश में जो विचारधारा व्यक्त की गई है उससे मुझे पूरी सहानुभूति है । मैंने सीमावर्ती प्रदेश का दौरा किया है । पाकिस्तानी सेना के आतंक से पीड़ित अनेकों लोगों को अपनी सीमा में आते देखा है । अत: यह स्वाभाविक ही है कि हम इन पीड़ितों की सहायता करें । यदि हम उन्हें केवल जीवित रहने भर के लिए खाना दें तो 2 रुपये प्रति व्यक्ति व्यय आता है और इस प्रकार वर्ष में लगभग 100 करोड़ रुपये व्यय आता है । स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि देश के लिए वह चिन्ता का विषय बन गई है क्योंकि यदि पचास लाख व्यक्ति आ जाते हैं तो 500 करोड़ रुपये का व्यय बढ़ जायगा और यदि एक करोड़ व्यक्ति आ जाते हैं तो 1,000 करोड़ रुपये का व्यय बढ़ जायेगा । हम अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुधारने तथा प्रगतिशील समाजवादी समाज की स्थापना के लिए जो कार्य कर रहे हैं, पाकिस्तान हमारी लक्ष्य प्राप्ति में कठिनाई बनकर उपस्थित हो रहा है । यह कहा गया है कि सरकार बंगला देश की सरकार को मान्यता देने के लिए आगे आने में कोई उत्साह नहीं दिखा रही है । इसके अनेकों कारण हैं बहुत से लोगों का विचार यह है कि यदि दूसरे देशों को ऐसा दीख पड़ता है कि बंगला देशवासी अपने आन्दोलन में सफल हो जायेंगे तो निश्चित ही सभी देश उनकी सरकार को मान्यता देने के लिए आगे आयेंगे । मेरे विचार से ऐसा दिन शीघ्र ही आयेगा । हमें देखना यह है कि स्वतंत्रता का युद्ध बंगला देश की जनता को ही लड़ना है और वे वीरता से लड़ रहे हैं । वे अवश्य ही विजयी होंगे । यह कहना

उचित नहीं है कि हमें एकदम उनकी सहायता के लिए कार्य करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान हमें इस झगड़े में उलझाना चाहता है। वह हमारी अर्थ-व्यवस्था को नष्ट करने पर तुला हुआ है।

इस समय, मेरे विचार से यह हमारा परम कर्त्तव्य हो जाता है कि बंगला देश के समर्थन में जनमत जागृत करें। हमारी प्रधान मंत्री ने दूसरे देशों की सरकारों को लिखा है और हमारे राजदूत तथा मिशन प्रमुख दूसरे देशों की सरकारों से सम्पर्क बनाए हुए हैं। हमें इस कार्य को अधिक से अधिक बढ़ावा देना है जिससे पाकिस्तान का पक्ष निरन्तर दुर्बल होता जाय।

पाकिस्तान द्वारा यह दिखाने का प्रयत्न किया जा रहा है कि बंगला देश की जनता अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिये जो युद्ध कर रही है वह वास्तव में लड़ाई नहीं है, अपितु यह भारत द्वारा पैदा की गई गड़बड़ी है। हमें उनके इस जाल में नहीं फंसना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार यदि युद्ध छिड़ गया तो बंगला देश में जो स्वतंत्रता का आन्दोलन चल रहा है, वह भुला दिया जायगा और सभी मामले एक ओर रख दिये जायेंगे, अन्तर्राष्ट्रीय शक्तियाँ उस युद्ध में सम्मिलित हो जायेंगी। पाकिस्तान इस मामले को भारत-पाक युद्ध का रूप देने में सफल हो जायगा और संसार के सम्मुख निर्णय के लिए वास्तविक मामले से भिन्न एक नया ही मामला होगा।

सम्पूर्ण देश इस सम्बन्ध में एकमत है कि बंगला देश की जनता के लोकतांत्रिक अधिकार, वे मुख्य उद्देश्य जिनके लिए वे लड़ रहे हैं, उन्हें प्राप्त होने ही चाहिए। परन्तु इसमें हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यह मामला सरकार पर छोड़ दिया जाना चाहिए कि किस समय कौन से कदम उठाये जायें। यदि भावोद्वेग में हम कोई पग उठाते हैं तो हम कठिनाई में पड़ जायेंगे। देश पूर्ण एकता और शान्ति होनी चाहिए। एकता तथा शान्ति से सरकार को बल मिलेगा और पाकिस्तान तथा उसके सभी प्रकार के घृणित कार्यों से निपटने के लिए सरकार के लिए यह सरल हो जायेगा और हमारे हित में समस्यायें सुलझ जायेंगी जिससे अन्ततोगत्वा जनता को संतोष होगा।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय): प्रधान मंत्री ने देश में अखंडता तथा एकता बनाए रखने की जो अपील की थी उसका समर्थन किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में मेरे मस्तिष्क में किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं है। हमारे दल की ओर से प्रधान मंत्री को इस सम्बन्ध में पूर्ण समर्थन दिया जाएगा।

सरकार आरम्भ से ही इस मामले के सम्बन्ध में उलझन में पड़ी रहीं है कि क्या किया जाये, क्या न किया जाये। इस प्रकार की उलझन इतिहास में कभी दिखाई नहीं दी। यही कारण है कि यह स्थिति पैदा हुई है। आज पाकिस्तान में जो स्थिति पनप रही है उसके संदर्भ में राष्ट्रीय हित को दृष्टि में रखते हुए क्या कोई कार्यवाही की जायगी। संसद में दो माह पूर्व जो ऐतिहासिक संकल्प पारित किया गया, उसके पश्चात् सरकार द्वारा जिन नितियों का पालन किया गया है, उनसे यही निष्कर्ष निकलता है कि सरकार या तो राष्ट्रीय हितों का अर्थ नहीं समझ पाई, अथवा उन्हें क्रियान्वित करने का प्रयास नहीं किया गया।

पाकिस्तान का संकट भारत में आ गया है। आज जो स्थिति है वह आक्रमण की स्थिति से किसी भी प्रकार कम नहीं है। चाहे किसी देश पर बम डाला जाय अथवा वहाँ लाखों लोगों को भेज दिया जाय स्थिति एक ही जैसी है। उस देश के लिए दोनों ही विनाशकारी हैं। आज 35 लाख के

लगभग शरणार्थी हमारे देश में आ गए हैं, क्या हम इनका भार वहन करेंगे? यह संख्या आगे चलकर 1 करोड़ भी हो सकती है। इस स्थिति का प्रभाव केवल हमारी अर्थ व्यवस्था पर ही नहीं पड़ेगा, केवल हमारी विकास योजनाओं में ही बाधा उत्पन्न नहीं होगी, अपितु देश का राजनैतिक तथा सामाजिक जीवन छिन्न-भिन्न हो जायगा और यही कारण है कि यह स्थिति देश के लिए एक चिन्ता का विषय बन गई है। आसाम से बंगाल तक का सारा प्रदेश तनावपूर्ण हो जायगा और हो सकता है वहाँ की स्थिति विस्फोटक हो जाय। इस सम्बन्ध में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है?

आये हुए शरणार्थियों पर यदि 2 रुपये प्रति दिन प्रति व्यक्ति भी व्यय आता है तो भी इन शरणार्थियों पर एक वर्ष में किया जाने वाला व्यय देश के 1 वर्ष के रक्षा बजट के बराबर होगा। 1965 के दौरान भारत-पाकिस्तान युद्ध में भारत का जितना व्यय हुआ था उसकी अपेक्षा यह व्यय ढाई गुना अधिक बैठता है।

शरणार्थियों के सम्बन्ध में मेरे मस्तिष्क में दो सुझाव हैं। यदि अन्तर्राष्ट्रीय शक्तियाँ इन्हें वापस भेजने का प्रबन्ध करती हैं तब तो ठीक है और यदि ऐसा नहीं किया जाता तब हमारे पास इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रह जाता कि हम इनके पुनर्वास के लिए भूमि की माँग करें। यदि शरणार्थियों की संख्या 50 लाख तक पहुंच जाती है तो पश्चिम बंगाल में विस्फोटक स्थिति पैदा हो जायगी।

भारत अपनी कूटनीति में असफल रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ तथा गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों में हमारी कूटनीति असफल रही है। बड़ी शक्तियों के सम्बन्ध में भी हमारी कूटनीति असफल रही है। यह सब इस कारण से हुआ कि भारत सरकार सूचना उपलब्ध करने में सतर्क नहीं रही है। जो हमारे गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष था उसने भारत तथा बंगला देश की जनता को बहुत बड़ी हानि पहुंचाई है। मेरा तात्पर्य प्रधान मंत्री से नहीं है अपितु उस अधिकारी से है जो गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष रहा है।

इस समय जबकि देश संकटकालीन परिस्थितियों से गुजर रहा है हम प्रधान मंत्री तथा उनकी सरकार के साथ हैं। इस मामले में समस्त देश ही प्रधान मंत्री के साथ है। यदि कोई ऐसा सुझाव देता है कि देश का अमुक वर्ग सरकार के साथ नहीं है तो यह खतरनाक सुझाव है।

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर): बंगला देश में आज जो कुछ हो रहा है उसे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। जब अंग्रेजों ने भारत से जाने का निश्चय कर लिया तब उन्होंने दो भागों में पाकिस्तान बनाया। कुछ वर्षों पश्चात् पूर्वी बंगाल ने भाषायी युद्ध किया और उस युद्ध में विजय प्राप्त की। पश्चिमी पाकिस्तान को झुकना पड़ा और उन्हें बंगला को राष्ट्र भाषा मानना पड़ा। यह इन लोगों की पहली विजय थी। गत 12 वर्षों के सैनिक शासन के दौरान वहाँ आर्थिक शोषण तथा दमन के कारण बहुत असंतोष व्याप्त था। इससे कटुता बढ़ती गई। सैनिक तानाशाही के प्रति आक्रोश तथा लोकतंत्र के प्रति प्रेम बढ़ता गया। वियतनाम तथा पश्चिमी बंगाल की घटनाओं से यही निष्कर्ष निकला है कि देश की राष्ट्रवादी भावनाओं तथा स्वतंत्रता की इच्छाओं का दमन नहीं किया जा सकता।

पश्चिम पाकिस्तान के सैनिक तानाशाहों को जनता के निर्णय का आदर करना चाहिए तथा पूर्वी बंगाल को छोड़ देना चाहिए। मुझे विश्वास है कि अब वे अधिक समय तक वहाँ अपनी सत्ता बनाए नहीं रख सकेंगे।

यदि लोकतंत्रात्मक पद्धति से कोई हल निकल आता है तो ठीक है, अन्यथा बंगला देश के निवासी, जिन्होंने इतना अधिक बलिदान दिया है, जो वर्षों तक अपमान सहन करते रहे हैं, अब दृढ़ संकल्प होकर अपनी भूमि को पश्चिम के शोषण से मुक्त कराने के लिए उठ खड़े हुए हैं और अब वे चुप नहीं बैठेंगे।

आज सदन के सामने प्रश्न यह है कि हमें इस परिस्थिति के संदर्भ में क्या कार्यवाही करनी है व उसे किस प्रकार से क्रियान्वित करना है। क्या एक पड़ौसी देश को यह अधिकार है कि वह असुरक्षा तथा आतंक का वातावरण पैदा करे, नरसंहार करे तथा लाखो लोगों को अपने देश की सीमा से निकाल कर दूसरे देश में खदेड़ डाले ? क्या यह एक नए ढंग का अतिक्रमण नहीं है ?

श्री समर गुह (कन्टाई) : सरकार ने समुचित प्रचार अभियान की व्यवस्था क्यों नहीं की ?

श्री आर० के० खाडिलकर : यह कहना कि हम भ्रामक संसार में रह रहे हैं मिथ्या है। विश्व में अन्यत्र कहीं भी सरकार को इतना बहुमत नहीं मिला। 15 मार्च से पूर्व भारत में 52.30 लाख शरणार्थी आए। नए आने वाले शरणार्थियों की आज तक की संख्या 35,56,405 है। उन पर होने वाला खर्च 350 करोड़ रुपया है और इसके अतिरिक्त भी अन्य खर्चे किए जा रहे हैं।

श्री बी० के० दास चौधरी (कूच-बिहार) : जो आँकड़े संयुक्त राष्ट्र संघ को बताए गये हैं, वही यहाँ बताइए।

श्री आर० के० खाडिलकर : पूर्वी बंगाल के सम्बन्ध में यही आँकड़े हैं। दस लाख शरणार्थियों पर 6 मास में 53 करोड़ रुपया व्यय करना पड़ता है। संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। एक-एक दिन में 50,000 शरणार्थी आते रहे हैं। स्थानीय प्रशासन ने सहायता कार्य बड़ी योग्यता के साथ निभाया है।

त्रिपुरा की कुल जनसंख्या 15 लाख है जबकि वहाँ 6 लाख शरणार्थी आए हैं। हम उनके भार को यथासम्भव हल्का करने की चेष्टा कर रहे हैं। वहाँ हमारे पास कुल 35 मोटरें हैं हम उन्हें और ट्रक दे रहे हैं। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि सफाई बनाए रखने एवं चिकित्सा सहायता के सभी साधन अपनाए गये हैं। अनेक स्वयंसेवी संस्थाएँ भी सहायता कर रही हैं। पश्चिम बंगाल में प्रशासन सक्षम नहीं था। अतएव स्थिति का सामना करने के लिए हर जिले में योग्य अधिकारी नियुक्त किये गये हैं। प्रति व्यक्ति दैनिक खर्च 1 रुपया था जिसे बढ़ाकर 1.25 करने का निश्चय किया गया है जबकि तेल आदि कई वस्तुएँ इसके अतिरिक्त हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : पचास प्रतिशत से अधिक शरणार्थी खुले में रह रहे हैं।

श्री आर० के० खाडिलकर : कल प्रातः पाकिस्तानी सेनाओं ने करीमगंज के पास हमारी एक चौकी पर हमला किया और सायंकाल वे लोग वापस चले गये। सीमा सुरक्षा बल के कुछ कर्मचारी हताहत हुए। कुछ पाकिस्तानी सैनिक भी हताहत हुए।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय शरणार्थियों की समस्या की ही चर्चा करें।

श्री आर० के० खाडिलकर : यह समस्या इतनी बड़ी है कि हमने संयुक्त राष्ट्र संघ से तथा अपने राजदूतों के माध्यम से विश्व के देशों की आत्मा को जगाने की चेष्टा की है। मैं सदन से अपील करना चाहता हूँ कि जो कोई भी पूर्वी बंगाल के लोगों के संघर्ष में सहायता देना चाहता है उसे एकता तथा निष्ठा का परिचय देना चाहिए। भारत दृढ़ता से इस संघर्ष में पूर्वी बंगाल की जनता के साथ है।

श्री पी० के० देव (कालाहाँडी) : मैं बंगला देश के वीर स्वतन्त्रता सेनानियों को प्रशस्ति देता हूं। मैं इस बात से सहमत नहीं कि अंग्रेजी साम्राज्यवादियों ने पाकिस्तान बनवाया जबकि सच यह है कि धर्म-निरपेक्षता की शपथ लेने वाले सत्ता लोलुप काँग्रेसी हमारी मातृभूमि का साम्प्रदायिक आधार पर बटवारा करने के लिए उत्तरदायी हैं।

[**श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए**
Shri K. N. Tiwari *in the Chair*]

इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि ऐतिहासिक तथा भौगोलिक परिस्थितियों ने भारत तथा पाकिस्तान को एक बनाया है और इस उप महाद्वीप की प्रगति दोनों की मैत्री पर निर्भर करती है। मुझे इस उप महाद्वीप में शान्ति स्थापना के लिए भारत के भूतपूर्व महान प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा किये गये प्रयत्नों की याद आ रही है। परन्तु अब ताशकन्द की भावना लुप्त हो गई है।

जब जनरल याह्याखां ने चुनाव के आदेश दिये और बंगला बंधु शेख मुजीबुर्रहमान भारी बहुमत से पाकिस्तान की राष्ट्रीय संसद के लिये चुने गये तो बड़ी बड़ी आशाएं जगी थीं। श्री मुजीब केवल स्वायत्त बंगला देश चाहते थे जो कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के लाहौर में पारित प्रस्ताव के अनुकूल ही था। कहा गया है कि उनका आन्दोलन अलगाव का था। परन्तु बहुमत अल्पमत से कैसे अलग हो सकता है।

31 मार्च को हमने इस सदन में सर्व-सम्मति से प्रस्ताव पारित किया था जिसमें वहाँ की घटनाओं के प्रति चिन्ता प्रकट की गई थी तथा विश्व के सभी राष्ट्रों से बंगला देश के चुने हुए प्रतिनिधियों को उनके जनताँत्रिक अधिकार दिलाने के लिये क्रियात्मक सहयोग देने को कहा गया था। परन्तु हम 55 दिन की अवधि में बहुत ही निष्क्रिय बने रहे। पाकिस्तान ने कई देशों से क्रियात्मक सहयोग प्राप्त कर लिया।

श्री ऊथांत ने अभी पिछले दिन मानवता के आधार पर एक प्रस्ताव रखा अन्यथा कोई सक्रिय पग नहीं उठाया। पाकिस्तान ने स्पष्टता संयुक्त राष्ट्रसंघ के घोषणा पत्र की अवहेलना की है।

मान्यता देने की बात तो गौण है। विश्व की कोई ताकत स्वाधीन बंगला देश को रोक नहीं सकती। यदि विधिवत मान्यता देने से उनके लक्ष्य की पूर्ति होती हो तो अवश्य मान्यता दी जानी चाहिए। परन्तु इससे हमारे पाकिस्तान की चाल में आने का भय है क्योंकि भारत -पाक युद्ध की आड़ में पाकिस्तान को दोनों भागों को संयुक्त करने का अवसर मिलेगा।

मान्यता देने का प्रश्न नीति का अधिक है कानूनी कम। हमारा राष्ट्रीय हित बंगला देश में शान्ति की स्थिति बनाने तथा 35 लाख शरणार्थियों को वापस भेजने में है। यह एक अन्तर्राष्ट्रीय मामला है और इसे उसी स्तर पर सुलझाया जाना चाहिए।

जब पाकिस्तान से शरणार्थी भारत आ रहे थे तो सरदार पटेल ने कहा था कि यदि पाकिस्तान अधिकाधिक शरणार्थियों को भारत आने के लिए विवश करता रहेगा तो हमें उन्हें बसाने के लिए पाकिस्तान से भूमि माँगनी पड़ेगी।

श्री पी० एम० सईद (लक्कदीव, मिनिकाय तथा अमीनदीवी द्वीप समूह) : हमारी निष्ठा तो सदा धर्म-निरपेक्षता पर आधारित रही है जबकि पाकिस्तान का जन्म ही धार्मिक आधार पर हुआ तथा उसे इस्लामिक प्रजातन्त्र घोषित किया गया। अब उसी पाकिस्तान से बंगला देश का जन्म हुआ है जो कि धर्म निरपेक्ष है।

ब्रिटेन आदि साम्राज्यवादी देश सदा यही चाहते रहे हैं कि भारत को आर्थिक तथा अन्य रूपों में मजबूत न बनने दिया जाए। बंगला देश में इतना बड़ा हत्याकाण्ड हुआ है जो कि विश्व के इतिहास में मिलना दुर्लभ है परन्तु ब्रिटेन कह रहा है कि यह पाकिस्तान का आंतरिक मामला है।

भारत में जब कभी साम्प्रदायिक दंगे हुए पाकिस्तान बहुत शोर मचाता रहा। परन्तु पाकिस्तान के इस बर्बरतापूर्ण कृत्य पर वहाँ किसी ने भी आवाज नहीं उठाई।

मैं सरकार से बंगला देश को मान्यता देने की माँग करता हूँ। केवल शरणार्थियों की समस्या पर ध्यान देने से हम समस्या का समाधान नहीं कर सकते। हमें रूस तथा अमरीका की सद्भावना प्राप्त करनी चाहिए ताकि समस्या का हल निकाला जा सके।

Shri M. M. Hashim (Sikindrabad): I do not find words to describe the treatment met by democracy at the hands of Islamabad. The Awami League won a massive majority in the elections on the basis of it's six point programme. If the Government had any objection in that regard it could have taken some plea and stopped it before elections.

Now that democracy is being burried in our neighbour country, we should not shut our mouth even for a second.

All other communities living in Pakistan are surpressed in the name of Islam. Refugees in millions are coming our country. Mere speeches and resolutions won't fulfil our aims. The foreign countries are looking towards us. The foreign powers had been propagating during the Indo-Pak conflict that communal riots would break in India. They went to weaken our country.

In the in flew of refugees continues in this way, there is likely had of infiltrations entering Kashmir again and create problems for us. We should not only recognize Bangla Desh but also go to their rescue and in the history it will be written that the Indian people had risen to the occasion when the entire world had failed.

Shri Shankar Dayal Singh (Chatre): I want to drew the attention of Govt. towards the attitude of under papers in the country and particularly of Patna. The news in these papers in regard to Bangla Desh and the refugees are very dangerous. Many of our colleagues in the opposition camp are pressing for early recognition of Bangla Desh but when the question of aid is raised they are reluctant to it. We should look towards the problem in a casual manner.

श्री त्रिदिब चौधरी (बरहामपुर) : मैं समझता हूँ कि हमने 55 दिन नष्ट कर दिये हैं। जो कुछ प्रधान मंत्री तथा उनके दल के सदस्यों की ओर से कहा गया है उसका सारांश यह है कि वे विश्व की आत्मा को जागृत करने की चेष्टा कर रहे हैं तथा वे उचित समय पर उचित कार्यवाही करेंगे। दूसरी ओर पाकिस्तान ने स्थिति अपने अनुकूल बना ली है।

दो तीन दिन पूर्व ही समाचार आया है कि अमरीका तथा ब्रिटेन पाकिस्तान की सहायता करेंगे। दोनों देशों की सरकारें पाकिस्तान को सहायता देने को सहमत हो गई हैं। विश्व बैंक का प्रति-

निधि मंडल भी यह जानने के लिए भेजा गया कि पाकिस्तान द्वारा क्या सहायता अपेक्षित है। प्रधान मंत्री ने स्वीकार किया है कि विदेशों से सहायता तो आने लगी है परन्तु वह बहुत कम है।

चीन ने पाकिस्तान के एकीकरण का समर्थन किया है।

35 लाख शरणार्थी हमारे देश आ चुके हैं और थोड़े समय में उनकी संख्या एक करोड़ तक हो जायेगी। इससे हमारी पूरी अर्थव्यवस्था छिन्न-भिन्न हो सकती है।

प्रश्न केवल मान्यता देने का ही नहीं है। प्रश्न यह है कि क्या सरकार जोखिम उठाकर कार्य-वाही करने को तैयार है? जब तक वे संसार को यह बताने की स्थिति में नहीं हैं कि संसार के इस भाग में ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी जायेगी कि यहाँ उनका प्रभाव समाप्त हो जायेगा, तब तक किसी की आत्मा जागृत नहीं होगी।

सदस्य की दोष सिद्धि
CONVICTION OF MEMBER
(श्री लालजी भाई)

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी नई दिल्ली से अध्यक्ष के नाम प्राप्त दिनाँक 25 मई, 1971 के निम्न पत्र के बारे में सभा को सूचना देनी है:

> "मुझे आपको यह सूचित करना है कि लोक-सभा के सदस्य, श्री लालजी भाई पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत मेरे न्यायालय में मुकदमा चलाया गया। उनके विरुद्ध आरोप यह था कि उन्होंने 251 अन्य व्यक्तियों के साथ 24 मई, 1971 को संसद भवन, नई दिल्ली के समीप राज पथ पर प्रदर्शन किया और नारे लगाए और इस प्रकार अतिरिक्त जिलाधीश (दक्षिण) दिल्ली के इस क्षेत्र में प्रदर्शन करने और नारे लगाने पर प्रतिबंध लगाने वाले 20 मई, 1971 के आदेश का उल्लंघन किया। 25 मई, 1971 को एक दिन की सुनवाई के बाद मैंने उन्हें अपना अपराध स्वीकार कर लेने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दोषी पाया और न्यायालय के उठने तक कारावास की सजा दी।"

इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार, 26 मई, 1971/5 ज्येष्ठ, 1893 (शक) के ग्यारह बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Wednesday, May 26, 1971/Jyaistha 5, 1893 (Saka).